खण्ड-216, अंक-4
गुरूवार, 10 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(1 सितम्बर, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 216 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बैचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगबतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन, खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १ सितम्बर, १९६०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कूड़ा नदी की बाढ़ से नौगढ़ तहसील में क्षति

*१—**श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित), **श्री गोविंदसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित), **श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती की नौगढ़ तहसील में कूड़ा नदी में १८ जुलाई, १९६० को जो सख्त बाढ़ आई उससे कितने गांव की किस कदर रकबे की फसल का नुकसान हुआ?

राजस्व उप मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—जिला बस्ती की नौगढ़ तहसील म दिनांक १८ व १९ जुलाई, सन् १९६० ई० की रात्रि में कूड़ा नदी में बाढ़ आने से ६१ ग्रामों में लगभग १,२८४ एकड़ की फसल को नुकसान हुआ।

*२—**श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी** (अनुपस्थित), **श्री गोविंदसिंह विष्ट** (अनुपस्थित), **श्री मदन पांडेय** तथा **श्री ऊदल**—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस बाढ़ से कुल कितने मकानात पस्त हो गये?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—उक्त बाढ़ से लगभग १,३९७ मकानों को क्षति पहुंची। लगभग ६९६ मकान बिलकुल गिर गये तथा शेष ७०१ को आंशिक क्षति पहुंची।

*३—**श्री मुहम्मद सुलेमान अधमी** (अनुपस्थित), **श्री गोविंदसिंह विष्ट** (अनुपस्थित), **श्री मदन पांडेय** तथा **श्री ऊदल**—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि सैलाब से मकानात गिरने से कुल कितना नुकसान हुआ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उक्त बाढ़ से मकानों के गिरने से लगभग ४,२०,००० हजार रुपये की अनुमानित हानि हुई जिसमें अन्य सामान जैसे गल्ला, कपड़ा, तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की हानि का मूल्य भी सम्मिलित है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कूड़ा नदी में बाढ़ आयी थी, उस बाढ़ को रोकने के लिये जो बांध बांधा गया था उसके टूट जाने से इन गांवों में पानी आ गया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, गोवर्द्धन बांध, जो बहुत पहले बनाया गया था, उस पर पानी का दबाव पड़ा जिससे वह टूट गया और उन गांवों में बाढ़ आ गयी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गांवों की क्षति हुई है उन गांवों के किसानों की क्षति का अनुमान लगा कर विधान के अनुसार सरकार छूट देने की कृपा करेगी और फिलहाल चारे वगैरा का प्रबन्ध करने की कृपा करेंगी ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अभी तो ३० हजार रुपया ग्रेचुइट्स रिलीफ और ३६ हजार तकावी के लिये दिया गया है। नुकसान का ऐस्टीमेट किया जा रहा है, जब वह पूरा हो जायगा तो कायदे के अनुसार जो भी होगा वह किया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो बांध टूटा और जिसकी वजह से यह बाढ़ आयी, उस बांध के सम्बन्ध में मंत्री जी क्या काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पानी कम होने पर कुछ न कुछ इन्तजाम किया जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—जो बांध टूटा है, वह कच्चा था या पक्का ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक हमारा खयाल है, वह कच्चा ही है।

श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि यह बांध अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन जब से अंग्रेज चले गये हैं और जमींदारी खत्म हो गयी है, उस बांध की मरम्मत नहीं करायी गयी, इसी कारण बांध टूट गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इतनी डिटेल्ड सूचना हमारे पास नहीं है । इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ वगैरा से जिन लोगों के मकान गिर जाते हैं उनके मकानों को बनवाने के लिये नियमों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो क्या सरकार ऐसा करने जा रही है कि नियमों में परिवर्तन करे ताकि लोगों को पर्याप्त सहायता मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—परिवर्तन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। जो कुछ मौजूदा हालात में हो सकता है, वह हम कर रहे हैं।

श्री ऊदल—माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, मेरी जानकारी है कि इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है और इससे ज्यादा गांव वालों को क्षति पहुंची है, तो क्या मंत्री जी इस बात की फिर से जांच करायेंगे ताकि लोगों को ठीक प्रकार से सहायता मिल सके ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जो सूचना जिलाधीश से मिली इस समय हमारे सामने है उसके अनुसार उत्तर दिया गया है। यदि माननीय सदस्य इसके अलावा और कोई नुकसान की सूचना दें तो उसकी जांच करा ली जायगी ।

***४—श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—[हटा दिया गया।]

बागपत तहसील में रबी का लगान वसूल करने का कथित आदेश

*५—**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि मेरठ के ए० डी० एम० ने यह आदेश दिया है कि बागपत तहसील के संग्रह कर्मचारियों को जुलाई के अन्त तक रबी की छः माही की वसूलयाबी समाप्त कर देनी चाहिये जब कि ३० सितम्बर को रबी की छः माही समाप्त होती है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं? अगर यहां से नहीं दिये गये हैं तो किस अधिकारी द्वारा दिये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इस प्रकार के आदेश कहीं किसी अधिकारी द्वारा नहीं दिये गये हैं।

आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि छः माही कर संग्रह के लिए जो ६ महीने का समय मिलना चाहिए उसमें संग्रह अमीनों को आम तौर पर सभी जगह ४ महीने ही मिलते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३० सितम्बर आखरी डेट है, उसमें कटाव बढ़ाव हम नहीं करना चाहते।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी उस आदेश को सदन के सामने रखेंगे जो इस वसूलयाबी के सम्बन्ध में अमीनों को दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जवाब में कहा गया कि कोई ऐसे आदेश नहीं दिये गये। फिर कहां से रख दें ?

*६-७—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—[हटा दिये गये।]

चकबंदी समिति, आजमगढ़, का प्रस्ताव

*८—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), तथा **श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)—न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या चकबन्दी परामर्शदात्री समिति, आजमगढ़ ने सरकार के उस आदेश के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास किया है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि चकबन्दी क्षेत्र में एक गांव के ७५ प्रतिशत खातेदारों को एक ही चक दिया जाय तथा सरकार से उक्त आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इस विषय में सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। चकबन्दी आयुक्त ने कुछ समय पूर्व यह आदेश जारी किया था कि खातेदारों के संतोष का ध्यान रखते हुये यथासंभव प्रत्येक गांव में कम से कम ७५ प्रतिशत खातेदारों को एक-एक चक दिया जाय। आजमगढ़ चकबन्दी समिति ने इस आदेश के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी समिति आजमगढ़ का प्रस्ताव सरकार के पास कब आया तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह कब आया, इसकी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है। जहां तक उस पर आवश्यक कार्यवाही करने का प्रश्न है, पहले से ही यह आदेश है कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि जहां तक हो सके उसमें किसानों का अहित न हो और यह आवश्यक और अनिवार्य नहीं है कि ७५ प्रतिशत एक ही चक बनाया जाय। यह

एक लक्ष्य रखा गया है कि इस बात को ध्यान में रखा जाय कि जहां तक किसानों को सुविधा और सन्तोष हो, उसी तरह के उनके चक बनाये जायं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकार का कोई आदेश नहीं है कि ७५ प्रतिशत खातेदारों के एक ही चक बनाये जायं, तो फिर चकबन्दी कमिश्नर ने यह आदेश क्यों दे डाला?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कायदे में यह रखा है कि जहां तक हो सके ७५ प्रतिशत तक का एक चक हो सकता है। यह इस वजह से किया गया था कि बहुत जगह से यह मांग आई थी कि हमारा सभी का एक चक कर दिया जाय क्योंकि एक चक न होने की वजह से हमें असुविधा होती है, हमारा नुकसान होता है तथा हमें तकलीफ भी होती है। इसलिये जहां तक हो सके ७५ प्रतिशत तक के एक चक करने की गुन्जायश रखी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय माल मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके इस आदेश के बावजूद भी आजमगढ़ जिले में ९० प्रतिशत चक केवल एक बनाये गये हैं और जिसके कारण इस तहसील के किसानों में बहुत असन्तोष है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना हमें नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को जानकारी है कि आजमगढ़ से उनके कार्यालय में सैकड़ों आवेदन-पत्र इस सम्बन्ध में आये हैं? यदि हां, तो वे उसकी जांच करवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे मित्र लिखेंगे तो हम जरूर जांच करायेंगे।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ, में बी०एम०बी०एस० कोर्स के अध्यापक

*९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ, में बी० एम० बी०एस० के कितने छात्रों को पढ़ाने के लिये कितने अध्यापक एवं अन्य कर्मचारीगण कितने रुपये मासिक वेतन पर रखे गये हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सन् १९४९ में जब किंग जार्ज मेडिकल कालेज में बी० एम० बी० एस० का कोर्स चालू किया गया था तब इसके लिये संलग्न तालिका 'अ' में दिये गये अध्यापक एवं अन्य कर्मचारीगण स्वीकृत किये गये थे।

(देखिये नत्थी "क", आगे पृष्ठ ३१७ पर)

*१०—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त श्रेणी के छात्र कितने वर्षों से इस कालेज में उक्त डिग्री के प्राप्त करने हेतु अध्ययन कर रहे हैं और कितनी बार अनुत्तीर्ण हुये हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—बी० एम० बी० एस० के सब छात्र अक्तूबर, १९५७ में परीक्षा पास करके चले गये हैं और अब मेडिकल कालेज, लखनऊ, में बी० एम० बी० एस० की डिग्री के लिये कोई भी छात्र शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है।

*११—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों की कम संख्या तथा अधिक व्यय का ध्यान रखते हुये किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ, के बी० एम० बी० एस० के छात्रों को राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, टूड़िया गन्ज, में भेज देने की कृपा करेंगे?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मन्त्री बी० एम० बी० एस० कोर्स शिक्षा हेतु जो तालिका उनके द्वारा हमें दी गई है उसे देखते हुए यह बताने के लिये तैयार हैं कि इन कर्मचारियों और अध्यापकों के ऊपर कितना रुपया सालाना व्यय होता रहा है?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—सन् १९५५–५६ .. २९ हजार २०० रु०
सन् १९५६–५७ .. ७ हजार ११० रु०
सन् १९५७–५८ .. २३ हजार ५०० रु०
सन् १९५८–५९ .. कुछ नहीं
सन् १९५९–६० .. कुछ नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो कर्मचारी और प्रोफेसर इस काम के लिये रखे गये थे, बी० एम० बी० एस० की पढ़ाई इस कालेज से हटा देने के बाद भी क्या वह लोग मौजूद हैं?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—उनमें से कुछ स्टाफ कम हो गया है, बाकी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—बाक़ी स्टाफ के जो लोग हैं वह क्या कार्य करते हैं?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—५२ लड़के जो बी० एम० बी० एस० के एम० बी० बी० एस० में मर्ज हो गये हैं, वह पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि हमारा काम बहुत बढ़ गया है। १०० लड़कों का ऐडमीशन होता था, वह अब १५० का होता है, इसलिये रखना अनिवार्य है, वह ऐसा कहते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बी० एम० बी० एस० वाला कोर्स सन् ५७ से क्यों बन्द कर दिया गया?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—बी० एम० बी० एस० आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ाया जाता है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—जब बी० एम० बी० एस० का क्लास यहां बन्द हो गया और आयुर्वेदिक कालेज टूड़ियागंज में है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि टूड़ियागंज में जो माडर्न मेडीसिन साइन्स को पढ़ाने वालों की कमी है वहां इस स्टाफ को भेज दिया जाय?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—अगर यूनिवर्सिटी अपनी डिमान्ड को जस्टीफाई करेगी कि वहां जरूरी हैं तब तो वहीं रहेंगे, नहीं तो यहां तो पहले से इन्तजाम है ही।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों को कुछ विशेष रिसर्च करने की मेडिकल कालेज में सुविधा प्राप्त हो सके?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

[१ सितम्बर, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[स्थगित किये गये।]

लेखपालों की नौकरी से संबंधित बोर्ड आफ रेवेन्यू का कथित आदेश

*४—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बोर्ड आफ रेवेन्यू ने जिला अधिकारियों के पास कोई ऐसा आदेश इधर भेजा है कि दो तीन वर्ष पूर्व विभागीय परीक्षा में फेल, वे लेखपाल जो सर्विस से अलग किये गये थे किन्तु हाईकोर्ट द्वारा पुनः बहाल होकर सर्विस कर रहे हैं, उनके पहले के कागजात का पुनः निरीक्षण करके त्रुटियां निकलने पर उन लेखपालों की सर्विस समाप्त कर दी जाय?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं।

*५—श्री मुक्तिनाथराय—यदि हां, तो वह आदेश क्या हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रश्न नहीं उठता ।

*६—श्री मुक्तिनाथराय—इस आदेश के अनुसार प्रदेश के जिलों से अब तक कितने लेखपालों की सेवायें समाप्त किये जाने की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह प्रश्न भी नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथराय—श्रीमन, प्रश्न में जो कुछ लिखा हुआ है इन शब्दों में नहीं बल्कि इस किस्म के आदेश भेजे हैं कि ऐसे लेखपालों को निकाला जाय ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं, इस किस्म के भी आदेश नहीं भेजे गये हैं ।

चकबंदी का कार्य

*७—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के जिन १४ जिलों में चकबन्दी का कार्य १९५५ में आरम्भ हुआ था उनमें किन जिलों में कार्य अब तक समाप्त हो चुका है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—किसी में भी नहीं ।

*८—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो ५ रु० ८७ नै० पै० फी एकड़ चकबन्दी का खर्च जनता पर लगाया जाने वाला है वह किस प्रकार कैल्कुलेट किया गया है तथा क्या यह सत्य है कि इसमें कुछ रकम उन लोगों से भी ली जायगी जिनकी जमीन चकबन्दी में नहीं आई है ? यदि हां, तो वह रकम कितनी प्रति खाता होगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—५.८७ न० पै० फी एकड़ जो चकबन्दी का खर्च खातेदारों से वसूल किया जा रहा है राज्य में चकबन्दी पर औसत व्यय जो करीब ११ रुपया फी एकड़ आता है उसका एक अंश है ।

यह सही है कि ०.३७ नै० पै० फी एकड़ खर्चा उन लोगों से भी लिये जाने का विचार है जिनकी जोतें (Holdings) चकबन्दी द्वारा ज्यादा संहत (compact) नहीं हुई हैं, लेकिन चकबन्दी योजना से लाभ पहुंचा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—इतने दिन हो गये, अभी तक यह काम पूरा क्यों नहीं हुआ ? क्या इसका कारण यह है कि चकबन्दी का काम कुछ ठिकाने से नहीं चल रहा है ?

श्री हकुमसिंह विसेन—यह कारण नहीं है । १० जिलों में तो मुकम्मिल हो गया है और जो फाइनल नया रिकार्ड है वह बन रहा है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है । १४ जिले जो लिये हैं उनमें बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या यह सत्य है कि कहीं कहीं चकबन्दी का खर्चा २२ रु० से ३६ रु० प्रति एकड़ तक पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—ऐसी सूचना हमको नहीं है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—यह ३७ नये पैसे जिन खातेदारों से लिये जांयगे उनके खेतों की चकबन्दी नहीं हुई है, तो यह किस कारण लिये जायंगे ? कौन-सी सहूलियत दी गई है जिस की वजह से लिये जायंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चकबन्दी का काम जब गांव में होता है और करेक्शन आफ रिका ं होता है तो करीब-क ीब सब गांव आ जाता है । दूसरी बात यह है कि जो कामन ऐमिनिटीज की बा ें होती हैं वह भी उनको अ ैलेबिल हो जाती हैं इसलिये उनको देना आवश्यक है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जिन १० जिलों में चकबन्दी का काम खत्म हो चुका है क्या उन जिलों की सब तहसीलों में हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, पहली तहसील जो ली गई थी उसमें। एक-एक तहसील हर जिले में ली गई थी।

श्री भजनलाल—मन्त्री जी बतायेंगे कि इटावा जिले की चकबन्दी का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है इसका कारण यह है कि वहां पर गलत तरीके से सम्बन्धित अधिकारियों ने चक काटे हैं जिसकी वजह से हजारों अपीलें और रिवीजन किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बात नहीं है, अपीलें होती ही रहती हैं। गलत चक काटे, इस वजह से नहीं हुईं; बहुत सी गलत अपीलें हो जाती हैं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—जो ५.८७ नये पैसे फी एकड़ लिया जा रहा है वह एक मुश्त लिया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हर तरह की सहूलियत सरकार देती है। दो किस्तों में लिया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—१४ जिलों में कब तक चकबन्दी का काम मुकम्मल हो जायगा ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसा अनुमान है कि १९६० के अन्त तक या अगले वर्ष के दो महीने बाद तक पूरा हो जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि चकबन्दी के खर्चे को देखते हुये ५.८७ नये पैसे अलग से सरकार को देने पड़ते हैं उसे पूरा करने के लिये सरकार चन्दा उगाहने की सोच रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, सरकार देगी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—ऐसे कितने जिले हैं जिनमें पूरी चकबन्दी हो चुकी है, क्या मन्त्री जी बतायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी कोई नहीं। एक एक तहसील ली है।

श्री गौरीशंकर राय—मन्त्री जी ने कहा कि जो रिकार्ड्स का करेक्शन हो रहा है इसके सिलसिले में थोड़ा सा टैक्स लिया जा रहा है । तो मैं जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, करेक्शन आफ रिकार्ड करना सरकार का काम है, उसके लिये टैक्स की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का नाजायज टैक्स जो लग रहा है इस पर मन्त्री जी पुनर्विचार करेंगे कि न लिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मालगुजारी ऐक्ट की धारा ३९ में दिया हुआ है कि कोई रिकार्ड अगर गलत है तो ऐग्रीव्ड पार्टी करेक्शन की दरख्वास्त दे। और यहां पर हम चकबन्दी आपरेशन के सिलसिले में करेक्शन कर देते हैं, उसमें तो हम चार्ज नहीं करते हैं लेकिन इसमें हमें चार्ज करना जरूरी है।

श्री ऊदल—मन्त्री जी बतायेंगे कि शुरू में ४.५० नये पैसे फी एकड़ सरकार ने किसानों से लेने के लिये तय किया था, तो ५.८७ नये पैसे फी एकड़ लेना कब से निश्चय किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारा तो तरीका सीधा है। जितने एरिया में कन्सालीडेशन करते हैं उस-पर जितना टोटल खर्चा होता है उस खर्चे को उस एरिया से तक्सीम कर देते हैं और जो निकलता है वह लेते हैं।

श्री मदन पांडेय—१४ जिलों में जिन १० जिलों में एक-एक तहसील का कार्य समाप्त हो चुका है उसके बाद यह तय किया जा चुका है कि दूसरी किन-किन तहसीलों को लिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील का नाम तो याद नहीं है लेकिन दूसरी तहसीलें ली हैं।

श्री भजनलाल—मेरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी ने बताया था कि इटावा के अन्दर गलत तरीके से चक नहीं काटे गये । तो उसके सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि मौजा भदासन का मैंने स्वयं निरीक्षण किया और पाया कि गलत तरीके से चक काटे गये जिसकी दरख्वास्त जांच के लिये आपके पास भेजी। लेकिन फिर भी जिन्होंने दरख्वास्त दी थी उनके चक वहां के ए० सी० ओ० ने गलत बनाये हैं और लोगों का सफाया कर दिया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें तो दो रायें हो सकती हैं; आप गलत कहते हैं, हम सही कहते हैं।

***९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—[१५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

***१०-११—श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[१५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों पर व्यय

***१२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापितों को बसाने और भत्ता देने में जो धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय होगी उसमें कितना अंश भारत सरकार प्रदान करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कुल व्यय।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापितों के ऊपर जो भी धनराशि भोजन और भत्ते देने में व्यय होगी वह कुल कितनी खर्च होगी तथा यह प्रति व्यक्ति दी जाती है या प्रति परिवार ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह तो माननीय सदस्य बजट को देख सकते हैं कि कुल कितना व्यय होगा, लेकिन अनुमानित व्यय जो बजट में अंकित है वह ७ लाख के करीब है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यह सहायता विस्थापितों को कब तक प्राप्त होती रहेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब तक उनको मदद की जरूरत रहेगी।

चकबंदी कर उगाही रोकने के लिये उन्नाव तहसील के किसानों की प्रार्थना

***१३—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव तहसील, जिला उन्नाव, में किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि चकबन्दी टैक्स की वसूली रोक दी जाय ? क्या सरकार ने उनकी इस मांग पर कोई भी निर्णय किया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, शासन को इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। परन्तु खेद है कि चकबन्दी टैक्स की वसूली रोकना सम्भव नहीं है।

***१४—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, जून व जुलाई, १९६० में इस टैक्स की वसूली के लिये कितने समन, कितनी कुर्कियां व कितने वारंट गिरफ्तारी जारी किये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इस अवधि में चकबन्दी टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में जारी किये गये सम्मनों तथा गिरफ्तारी के वारन्टों की संख्या क्रमशः ४१८ तथा ८९ थी। कुर्की का वारन्ट एक भी नहीं जारी किया गया।

श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'—क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह चकबन्दी टैक्स कुल एक ही साथ वसूला जा रहा है ? यदि इसकी किस्तें हुई हैं तो कितनी कितनी हुई हैं ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—मैंने अभी बताया एक सवाल के जवाब में कि २ किस्तों में वसूल होता है रबी और खरीफ की मालगुजारी के साथ।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में रबी और खरीफ की फसल बाढ़ से तथा पानी न बरसने से चौपट हो गई है वहां वसूलयाबी रोकने की कोशिश करेंगे ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—चकबन्दी में ऐसी कोई पावर हमको नहीं है जैसी जमीन्दारी एबोलीशन ऐक्ट में है।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में चकबन्दी हो रही है वहां का लगान बढ़ गया है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—चकबन्दी में लगान नहीं बढ़ता, रेवेन्यू करेक्शन डिमांड में चाहे बढ़ा हो।

श्री गौरीशंकर राय—इस जिले में भी सरकार के रिकार्ड को मेनटेन करने वाले महकमे के निकम्मेपन से जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके सम्बन्ध में जो अलग से टैक्स लगा हुआ है वह जिले से वसूल किया जा रहा है, इस कुर्की के साथ ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—हमारे अहलकारों के निकम्मेपन से जनता के बहुत से लोग दे दिला कर गलत काम करा लेते हैं, तो वे भी तो जिम्मेदार हैं।

श्री गौरीशंकर राय—प्वाइंट आफ आर्डर। मैंने जो उत्तर चाहा है वह है कि जनता के लोगों के निकम्मेपन से दुरुस्ती कागजात के लिये जो वसूली होती है. . . .

श्री अध्यक्ष—आप नया सवाल कीजिये।

श्री गौरीशंकर राय—मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के रेकार्ड्स को मेनटेन करने वाला जो डिपार्टमेंट है जिसका निकम्मापन साबित हो चुका है और कई बार ऐडमिट भी किया कि करेक्ट करना पड़ रहा है; तो जो रेकार्ड्स करेक्ट करने पड़ रहे हैं उन्नाव जिले में उनके लिये अलग से लेवी लगाई गयी है, तो वह इस जिले में भी लेवी लगाई गयी है और वसूली हो रही है इस कुर्की के साथ ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—यह तो चकबन्दी की है और वह वसूल नहीं हो रही है।

पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों की सहायता

*१५—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में पूर्वीय बंगाल से आये हुये विस्थापितों को बसाने के कार्य में इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज (पर कैपिटा पर रिफ्यूजी) निकाल लेने के बाद अब तक कुल प्रति विस्थापित कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—३१ मार्च, सन् १९६० तक कुल १,०६,४३,४०३ रु० व्यय हुआ है। प्रति विस्थापित व्यक्ति पर हुए व्यय का निकालना संभव नहीं है।

*१६—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुद्रपुर में विस्थापितों हेतु औद्योगिक आस्थान (इंडस्ट्रियल एस्टेट) बनाये जाने हेतु योजना पर कितना रुपया किन-किन कार्यों में अब तक खर्चा किया जा चुका है ? क्या यह योजना अब स्थगित की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कुछ व्यय नहीं हुआ। भारत सरकार के आदेशानुसार योजना स्थगित की जा चुकी है ।

*१७—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार के पास उपर्युक्त विस्थापितों की यह मांग आई है कि उनके हेतु दिनेशपुर में हायर सेकेंन्डरी स्कूल खोले जाने की व्यवस्था की जाय तथा केन्द्रीय सरकार से भी इस हेतु सहायता ली जाय ? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां । इस विषय में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इंडस्ट्रियल एस्टेट के बनाये जाने की जो योजना थी वह कितने रुपये की थी और इसमें क्या-क्या कार्य होना था ? क्या यह भी सही है कि इस योजना के मुताबिक ३५० के लगभग क्वार्टर्स वहां रुद्रपुर में बने हुए मौजूद हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले तो सेंट्रल मिनिस्ट्री आफ रिहेबिलिटेशन ने कहा कि यहां काम करो, उसको ड्राप कर दिया। फिर कहा कि इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाओ, उसे भी ड्राप कर दिया लेकिन पहले ही हमने कुछ क्वार्टर्स बनाने शुरू कर दिये थे और जब रिप्रेजेंट किया तो कहा कि ५२० क्वार्टर्स बनाइये वे क्लेम्स के कम्पेनसेशन में एडजस्ट हो जायंगे । २२० मुकम्मल हो गये हैं, ३२० और मुकम्मल हो जायेंगे, यह असली स्थिति इसकी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी की ओर से जवाब दिया गया है कि कुछ व्यय नहीं हुआ है । मैं यह जानना चाहता था कि यह जो इंडस्ट्रियल एस्टेट ड्राप किये जाने का कारण बतलाया गया है और इंडस्ट्रियल स्टेट योजना के मातहत जो ३३० के लगभग क्वार्टर बने उनको इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाये जाने के प्रयोजन में न लाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने किस वजह से ड्राप कर दिया यह तो वही बता सकते हैं । उन्होंने कहा कि इस स्कीम को न चलाओ, लिहाजा हम मजबूर हो गये । हम तो उनके मुख्तार-आम थे ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि जो एक करोड़ से ज्यादा की धनराशि बतायी गयी है यह नैनीताल में कुल किन-किन कालोनीज में खर्च की जायगी जहां विस्थापित लोग बुलाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंहविसेन —इसके डिटेल्स तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायंगे कि जो २२० क्वार्टर बन चुके हैं और अब वहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेगी नहीं, तो वे क्वार्टर किस काम में लाये जायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो जवाब मैंने दिया कि जो क्लेमेंट्स हैं उनके क्लेम में ऐडजस्ट कर दिये जायंगे और उनको दे दिये जायेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने बिस्थापित अब तक बसाये जा चुके हैं और कहां-कहां ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने के बारे में सरकार ने क्या संस्तुति की है और कितने का एस्टीमेट भेजा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—४० हजार रुपये बिल्डिंग के लिये और १० हजार रुपये साज-सज्जा के लिये हमने गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को लिखा है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने क़ी कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सरकार ने क़ेन्द्रीय सरकार क़ो यह सुझाव दिया है कि जो ५०० क्वार्टर बनने वाले थे उनमें से १०० क्वार्टर कम कर दिये जांय क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे तो याद नहीं कि मैंने कोई ऐसा सुझाव दिया हो ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी बंगाल के कितने शरणार्थी अब-तक वहां बसाये जा चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कई हजार फ़ैमिलीज़ बसायी हैं, तादाद तो इस वक्त नहीं बता सकता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जो स्कीम एक बार सदन में घोषित हो जाती है और जनता के सामने आ जाती है और भारत सरकार एक बार कहती है कि रुपया देंगे और फिर ड्राप हो जाती है, उसकी जो जन-मानस पर प्रतिक्रिया होती है, उसको देखते हुये यह सरकार केन्द्र को कोई प्रोटेस्ट लेटर भेजेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनको हम ऐसी सलाह नहीं दे सकते, वे हमसे बहुत बड़े हैं, खुद सोच सकते हैं ।

*१८-२०—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)—[१५ सितम्बर, १९६० क लिये स्थगित किये गये ।]

*२१-२२—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—[१५ सितम्बर, १९६० के लिय स्थगित किये गये ।]

जेल के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने की प्रार्थना

*२३—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजाज्ञा ११६१/२२—१६८९-ए—१९४७, दिनांक १९ अप्रैल, १९५५ के अनुसार जेल के अध्यापक़ों का जो वेतन-क्रम निर्धारित किया गया है वह जे० टी० सी० अध्यापकों के लिये स्वीकृत वेतन-क्रम से बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार जेल के अध्यापकों का वेतन-क्रम जे० टी० सी० अध्यापकों के स्वीकृत वेतन-क्रम के समकक्ष करने की कृपा करेगी ?

संसदीय विषयक उप मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—जी हां, परन्तु जेल अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इसके लिये न्यूनतम योग्यता बी० टी० सी० है न कि जे० टी० सी० ।

श्री मोती लाल अवस्थी—क्या मंत्री जी, इन जेल अध्यापकों के वेतन में इस प्रकार की असुविधाओं के होते हुये, उनको छट्टी, पद-वृद्धि तथा यात्रा-व्यय के भत्ते आदि देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—कोई विशेष प्रश्न नहीं है, यदि होगा तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जेल अध्यापकों को दो तीन मास के बाद वेतन मिलता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरी जानकारी में यह नहीं है और कोई शिकायत भी नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार उस राजाज्ञा की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी जिसके अनुसार जेल के अध्यापकों को वही सुविधा प्राप्त हैं जो अन्य अध्यापकों को रहती हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अन्य अध्यापकों को कौन सी विशेष सुविधायें प्राप्त हैं, मुझे पता नहीं लेकिन जो सुविधायें बी० टी० सी० अध्यापकों को प्राप्त हैं वही इनको भी प्राप्त हैं । यदि मेरे मित्र पूछना चाहें कि क्या सुविधायें प्राप्त हैं या क्या वेतनक्रम है तो मैं निवेदन करूं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जेल अध्यापकों का वेतनक्रम क्या निर्धारित किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्राधानाध्यापक का वेतन-क्रम ५०–१–६५ रु० है; इसके अतिरिक्त २० रुपये प्रतिमास विशेष तनख्वाह है । दूसरे अध्यापकों का भी यही वेतनक्रम है, लेकिन विशेष तनख्वाह १५ रुपये प्रतिमास है ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जेलों में सोशलिस्ट बंदी बंद हैं उनमें शिक्षित अध्यापक नहीं हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जरूर हैं, श्रीमान्, जहां आवश्यकता है वहां तो हैं ही ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जेल अध्यापकों को यह भी सुविधा प्राप्त नहीं है कि जो जेल में अनपढ़ हैं उनको खड़िया और पट्टी सरकार से दी जाय बल्कि उनको अपनी जेब से देनी पड़ती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे विचार से यह बिलकुल गलत है । यदि कोई खास शिकायत हो तो मेरे मित्र बतायें ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसे अन्य अध्यापक ट्रेंड होते हैं, या जेलों में भी ट्रेंड अध्यापक रखे जाते हैं या अनट्रेंड भी रखे जाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वहां बी. टी. सी. हैं, कुछ जे. टी. सी. भी आ गये हैं जो अधिक विशेष शिक्षा प्राप्त हैं वह यदि आना चाहें तो आ सकते हैं ।

शिकोहाबाद तहसील के कुछ ग्राम प्रधानों व लेखपाल के विरुद्ध शिकायतें

*२४—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील शिकोहाबाद में ग्राम समाज कारी खेड़ा, सराय अकबरपुर, शेखुपुर शेरपुर, अफजलपुर तथा बहादुरपुर के प्रधानों के खिलाफ व लेखपाल सर्किल बहादुरपुर के खिलाफ १९–८–५८ को व ५–६–५९ को व ६–१०–५९ को लिखित शिकायतें जिलाधीश मैनपुरी के पास इस आशय की आई हैं कि जो गांव समाज की जमीन के पट्टे १९५७–५८ में दिये गये हैं वह भूमिहीनों को नहीं दिये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—१६ अगस्त, १६५८ को कोई शिकायती दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई । प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायत की दरख्वास्तें अन्य तारीखों को प्राप्त हुई और उनकी जांच की गई । तहसीलदार की जांच की दौरान में ५ जून, १६५६ को जिलाधीश, मैनपुरी के यहां, ७ अक्तूबर, १६५६ को तहसीलदार शिकोहाबाद के यहां, तथा २१ जनवरी, १६६० को परगनाधीश शिकोहाबाद के यहां उक्त जांच के संबंध में दरख्वास्तें प्राप्त हुईं ।

*२५—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या उपरोक्त शिकायतों की जांच तहसीलदार, शिकोहाबाद, ने की थी, उसमें क्या लिखा है और अब तक क्या हुआ है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, तहसीलदार शिकोहाबाद ने अपनी रिपोर्ट में पट्टे देने के संबंध में हुई अनियमितताओं के लिए संबंधित गांव समाजों के प्रधानों व संबंधित लेखपाल को दोषी ठहराया और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफ़ारिश की । इन व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जा रही है । नाजायज पट्टों की अमलदरामद रोक दी गई है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या माननीय मंत्री जी तहसीलदार की रिपोर्ट को पढ़ कर सुना देने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—तहसीलदार की रिपोर्ट इस समय हमारे पास नहीं है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—मेरे पास सूचना है कि तहसीलदार ने लिखा है कि १६२ पट्टे गलत तरीके से दिये गये और घोर बेईमानी की गयी, कई हजार रुपये रिश्वत के लिये गये, और आठ महीने हो गये तहसीलदार की रिपोर्ट को दिये हुये और वह सब कागजात जिले के अधिकारियों ने दबा रखे हैं, तो क्या सरकार जिले के अधिकारियों से पूछने की कृपा करेगी कि वह कागजात क्यों दबाये रखे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमको इत्तला मिली है कि कार्यवाही हो रही है । हम पूछेंगे कि क्यों देर हो रही है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—मेरी इस सूचना को सही मान कर कि इस लेखपाल ने १६२ पट्टों में कई हजार रुपये लिये और २० हजार रुपये का पक्का मकान बना कर खड़ा किया है और पक्का कुंआ बनाया है, क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं कहता हूं कि इन सब मामलों के बारे में कलेक्टर से सम्पर्क स्थापित करके रिपोर्ट मांगूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्यों देरी हो रही है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब प्रश्न २५ में स्पष्ट-रूप से यह लिखा गया था "क्या उपरोक्त शिकायतों की जांच तहसीलदार, शिकोहाबाद, ने की थी, उसमें क्या लिखा है और अब तक क्या हुआ ?" फिर माननीय मंत्री जी ने उस रिपोर्ट को क्यों अपने सामने नहीं मंगाया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिपोर्ट का सारांश दे दिया है जवाब में, जो आ गया था वहां से, कि उन्होंने शिकायत की है और कार्यवाही हो रही है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब तहसीलदार ने अपनी रपट में उस लेखपाल को दोषी ठहराया तो कम से कम उस लेखपाल को अब तक मुअत्तल क्यों नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कलेक्टर के यहां से मैं मंगवा लूं, फिर जो कुछ करना होगा म करूंगा ।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो रिश्वतें उस लेखपाल ने ली हैं उन्हें वापस भी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—रिपोर्ट वे मंगवा रहे हैं, उसके बाद वे कहते हैं कि देखा जायगा ।

जनाना अस्पताल जलेसर में लेडी डाक्टर का न होना

*२६—**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जलेसर, जिला एटा, के जनाने अस्पताल में किसी डाक्टर की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जलेसर के जनाने अस्पताल में डा० (कु०) पी० गौड़ के छुट्टी में जाने के पश्चात् दो महिला चिकित्सकों को एक दूसरे के बाद वहां भेजने के आदेश दिये गये परन्तु उनके घरेलू कारणों से उनका स्थानान्तरण रद्द करना पड़ा। अब एक और चिकित्सक को भेजने के आदेश फिर जारी हो चुके हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस चिकित्सक को भेजने का आदेश जारी किया गया उसके पहले यह छान-बीन कर ली गयी कि उनको भी घर पर रोकने के कारण तो नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर कारण होंगे तो फिर विचार करेंगे ।

श्री प्रतापसिंह—आदेश कब जारी हुआ और क्या चिकित्सक अस्पताल में पहुंच गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी हाल में जारी हुआ है, आशा है वह जल्दी ही टेक-ओवर कर लेंगी ।

*२७-२८—**श्री उग्रसेन**—[१५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में बिना डाक्टर के अस्पताल

*२९—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितने राजकीय अस्पताल हैं, जिनमें डाक्टर नहीं हैं और कितने दिनों से नहीं हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—फर्रुखाबाद जिले की निम्नलिखित राजकीय डिस्पेन्सरियों में, उनके सामने दी हुई तिथियों से, डाक्टर नहीं हैं :—

१—बिशुनगढ़, ५ मई, १९६० ।
२—कमालगंज, १९ अप्रैल, १९६० ।
३—सौरिख, ५ अक्तूबर, १९५९ ।
४—नवाबगंज, मई, १९५८ ।
५—कायमगंज, मई, १९६० ।
(महिला)

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, वहां कौन काम कर रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ट्रेंड कम्पाउडर कर रहे हैं ।

श्री होरी लाल यादव—क्या सरकार जिन डिस्पेंसरियों में साल, दो साल से डाक्टर नहीं हैं वहां पर डाक्टर भेजने का प्रबन्ध करेगी ?

नोट :—तारांकित प्रश्न २६ श्री प्रताप सिंह ने पूछा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम तो हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन डाक्टरों की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाते, यह हमें दुख है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस जिले में कुल कितने अस्पताल हैं और उनमें कितनों में डाक्टर नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१५ अस्पताल हैं लेकिन जितने डाक्टर चाहिये उनके लिये उतने नहीं हैं ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २ साल से डाक्टर नहीं पहुंचे तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका जवाब मैंने दे दिया ।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि रोटेशन से उन जगहों में डाक्टर भेजा जाय जहां पर दो साल से डाक्टर नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं प्रयास कर रहा हूं कि डाक्टर हमारे प्रदेश में इतने पैदा हों । हमारे यहां जो रुकावट थी कि दूसरे प्रदेश के पासशुदा डाक्टर नौकरी नहीं कर सकते तो वह हमने हटा दी है । वह अब नौकरी कर सकते हैं । हम रिइम्पलाय कर सकते हैं । एज के बन्धन को भी हमने हटा दिया है । साथ ही मेडिकल कालेज में १०० के स्थान पर १५० भरती करना शुरू कर दिया है । कानपुर में १५० लड़के लेना शुरू कर दिया है और आगरा में ७५ के स्थान पर १०० कर दिया है । इसी तरह से हमने हेल्थ यनिट सेन्टरों में स्पेशल पे ७० रुपया कर दिया है और नान-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स भी हमने ५० रुपये मन्जूर कर दिया है ताकि लोग आयें । सारी सुविधा उनके लिये हम कर रहे हैं । अब देखें हम इसमें कहां तक सफल होते हैं ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या यह सही है कि देहाती क्षेत्र में डाक्टर इसलिये नहीं जाते कि उनकी तनख्वाह कम है और इसी वजह से वहां के लिये मंत्री जी को डाक्टर नहीं मिलते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह भी एक वजह हो सकती है लेकिन हमने ७० रुपया स्पेशल पे एलाउन्स कर दिया है और नान प्रेक्टिसिंग एलाउन्स ५० पया कर दिया है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं है वहां पर एक-एक कम्पाउन्डर है और जब वह छुट्टी पर चले जाते हैं तो अस्पताल बन्द रहते हैं ? यदि हां, तो जब तक डाक्टरों की व्यवस्था न हो तब तक २, २ या ३, ३ कम्पाउन्डर वहां भेज दिये जायं जिससे वे अस्पताल खुले रहें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी शिकायत बतलायें कि जहां पर कम्पाउन्डर चले गये और अस्पताल बन्द हों, तो हम देखें ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी नोटिस में ऐसी बात आई है कि जिन अस्पतालों में मेडिकल अफसर क्वार्टर नहीं हैं वहां पर डाक्टर जाने से इन्कार करते हैं ? तो क्या ऐसे स्थानों पर मेडिकल अफसर के क्वार्टर बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह भी ठीक नहीं है । बहुत सी जगह जहां पर क्वार्टर हैं वहां भी वे जाना पसन्द नहीं करते क्योंकि वहां पर तारकोल की सड़क नहीं मिलती । हर साल हमारा प्रोग्राम है कि कुछ तहसीलों में बिल्डिग और क्वार्टर बनायें । उस प्रोग्राम के लिहाज से हम चल रहे हैं । थोड़े दिनों में हम उसको पूरा कर सकते हैं ।

नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम के प्रवर्तन में विलम्ब

*३०—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों में 'नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम, १९५६' को इस समय लागू किया गया है और शेष शहरों में कब तक लागू कर देने का विचार है ?

श्री महाबीरप्रसाद शुक्ल—अभी तक किसी नगर क्षेत्र में नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम, १९५६ लागू नहीं किया गया । इसको लागू करने का कार्य सरकार तत्परतापूर्वक कर रही है ।

श्री रामसूरतप्रसाद—माननीय मंत्री जी ने १२ फरवरी, १९६० को माननीय भीखालाल के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि प्रदेश में अधिकांश नागर क्षेत्रों में १ जुलाई, १९६० तक जमींदारी समाप्त हो जायगी किन्तु अभी तक नहीं हुई, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अधिनियम वे कब तक निश्चित रूप से लागू कर सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लगभग ४३० यूनिट सारे प्रदेश में हैं लेकिन हमने २२४ में ऐग्रीकल्चर लैंड का डिमार्केशन करने की स्कीम रखी है । ८१ यूनिटों में हमारी स्कीम मुकम्मिल हो चुकी है । अब हम सोच रहे हैं कि जहां मुकम्मिल हो जाय वहां लागू कर दें । उसमें रूल बनाना पड़ेगा, उसके लिये डिमार्केशन लगाना लाजमी है तभी वह ऐग्रीकल्चर लैंड पर लागू होगा । तो जब तक डिमार्केशन न करा लें तब तक उस ऐक्ट को लागू करना सम्भव नहीं है । अब वह हम पूरा कर रहे हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जिन ८१ यूनिटों में काम मुकम्मिल हो गया है उनमें इस साल के अंत तक क्या वह कानून लागू हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कानून के बारे में तारीख निश्चित करना महफूज नहीं होता । बाज वक्त जैसा कहा जाता है—मेनी ए स्लिप बिटविन दि कप ऐंड दि लिप, तो हो सकता है कि कोई स्लिप रह जाय । इसलिये कोई तारीख निश्चित करना संभव नहीं है ।

*३१–३३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[१५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४–३६—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—[८ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

नगरा विकास क्षेत्र में प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाई स्थापित करने में विलम्ब

*३७—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया के नगरा स्थान में सरकारी ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने के लिये १९५९–६० में सरकार ने मंजूरी दे दी थी ? यदि हां, तो क्या डिस्पेंसरी खोल दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐलोपैथिक चिकित्सालयों के स्थान पर अब नियोजन विभाग द्वारा प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयां केवल विकास क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती हैं । विकास क्षेत्र नगरा, जिला बलिया, में एक ऐसी ही इकाई स्थापित किये जाने के आदेश नियोजन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष १९५९–६० में दिये गये थे । किन्तु पारिभाषिक व्यक्तियों की कमी के कारण अभी स्वास्थ्य इकाई कार्य नहीं कर रही है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब आदेश १९५९–६० में दिये गये थे तो यह इकाई अब तक कायम क्यों नहीं की गई है ? और यह कब तक स्थापित हो जायगी और काम करने लगेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसे ही डाक्टर मिलने लगेंगे हम कर देंगे ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डाक्टर के अलावा और जो साज-सज्जा और दूसरी व्यवस्था होती है वह सब व्यवस्था क्या नगर में पूर्ण हो गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी कोई यूनिट नहीं बना ।

आम चुनाव में काम करने वाले एटा जिले के अध्यापक का बकाया भत्ता

*३८---श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो आम चुनाव १९५२ में हुये उस समय के एटा जिले के ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्होंने पोलिंग स्टेशनों पर कार्य किया किन्तु उनका अभी तक डी० ए० व टी० ए० नहीं दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---प्रथम आम चुनाव से संबंधित कोई भी टी० ए० का क्लेम (Claim) जिला निर्वाचन कार्यालय, एटा में भुगतान के लिये बाकी नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पातीराम, भूतपूर्व अध्यापक, ग्राम दही का १९५२-५५ तक का टी० ए० और डी० ए० बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मेरी इत्तला के अनुसार नहीं बाकी है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा---यह जो पातीराम जी भूतपूर्व अध्यापक हैं इन्होंने कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दिया था. . . . .

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं । इसे आप लिख कर मंत्री जी के पास भेज दीजिये ।

*३९---श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)---[१५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद की इमारत

*४०---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद का मोतीलाल नेहरू अस्पताल जो मलाका जेल की जमीन पर बनाया जा रहा है कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस अस्पताल के दिसम्बर, १९६० तक तैयार होने की आशा है ।

*४१---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोतीलाल नेहरू अस्पताल में अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और कुल कितने धन व्यय करने की योजना है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस अस्पताल के निर्माण में जून, १९६० तक रु० २२,१४,५४४.३३ नये पैसे व्यय हो चुके हैं और कुल योजना की लागत (८ प्रतिशत पी० डब्ल्यू० डी० चार्जेज को छोड़कर) २९,४४,००० रु० है ।

*४२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि क्या मोतीलाल नेहरू अस्पताल के बन जाने के उपरान्त उसे मेडिकल कालेज के रूप में परिणत करने की योजना है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---कोई भी अस्पताल मेडिकल कालेज के रूप में नहीं परिणत किया जाता है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह अस्पताल कितने बेड का होगा और इसके बनने में इतनी देर क्यों लग रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह लगभग २०० बेड का अस्पताल है और काफी बड़ा काम है इसलिये कुछ देर लग रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अस्पताल बना है उसके मटिरियल की जांच टेक्निकल आडिट ऐडवाइजरी कमेटी ने की है और उसमें १ लाख रुपये का घपला बताया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरी नोटिस में यह बात अभी तक नहीं आई । अगर हमारे माननीय मित्र लिख कर भेज दें तो पता लगवा लूंगा । हमको उस से सहूलियत हो जायगी ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कुछ जगहों पर नये मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह अस्पताल जो बन रहा है सरकार उन्हीं लाइन्स पर बनाने की कृपा करेगी उन सब बातों को ध्यान में रखते हुये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने बहुत बड़ा अस्पताल बना दिया है । अब जब गुंजायश हो जायेगी मेडिकल कालिज खोलने की, तब उस पर भी विचार करेंगे ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—तृतीय पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद में एक मेडिकल कालिज खोलने की योजना है, तो सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह नया मेडिकल कालिज खोलेगी या जो अस्पताल बन रहा है उसी को मेडिकल कालिज में परिवर्तित कर देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अस्पताल मेडिकल कालेज में परिवर्तित नहीं होता, वह तो जो मेडिकल कालिज होता है उसके साथ एटैच कर दिया जाता है ।

श्री कैलाशनारायण गुप्त (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार जो जांच पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा कराती है उसके अलावा भी कोई ऐसी कमेटी की स्थापना करती है, या हुई है, जो इस विभाग से अलग होकर उस मैटीरियल की, जो उसमें इस्तेमाल होता है, जांच करती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई ऐसी जांच तो होती नहीं है ।

उन्नाव जिले में बिना डाक्टर के अस्पताल

*४३—**श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में कुछ ऐसे सरकारी अस्पताल भी हैं जिनमें इस समय डाक्टर नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, ऐसी ३ डिस्पेन्सरियां हैं । इसका कारण डाक्टरों की कमी है ।

श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन-कौन से अस्पताल हैं जिनमें डाक्टर नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक का नाम है बारीखेड़ा, और दूसरा औरस है ।

श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इनमें कब से डाक्टर नहीं हैं और कब तक वह यहां का प्रबन्ध करने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक में तो १२ अप्रैल, १९६० से नहीं हैं और दूसरे में २ अप्रैल, १९६० से नहीं है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—माननीय मंत्री जी ने जो अभी बताया कि इन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और दूसरे प्रश्नों में भी अभी बताया था कि डाक्टर नहीं हैं और उन्होंने कारण यह बताया कि डाक्टर मिलते नहीं हैं और बहुत से देहात में जाना पसन्द नहीं करते, तो मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि मेडिकल कालिज में जो छात्र भर्ती किये जायं, उनमें देहातों से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---रूरल एरिया के लिये कुछ सीटें इयरमार्क्ड हैं । लेकिन दिक्कत तो यह है कि जो भी देहात से आता है वह भी ५ साल यहां पढ़ने के बाद फिर देहात जाना पसन्द नहीं करता ।

श्री उग्रसेन---क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि डाक्टर नहीं मिल रहे हैं, वह उनके स्थान पर जो बनारस यूनिवर्सिटी आदि से पास करके जो वैद्य और हकीम वगैरह निकलते हैं उनको वहां भेजेगी ताकि उन अस्पतालों का काम चलता रहे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब एक सिस्टम का डाक्टर, दूसरे सिस्टम से काम करे तो मैं नहीं समझता कि वह कैसे काम कर सकेगा, कैसे वैद्य एलोपैथिक ट्रीटमेन्ट कर सकेगा, यह मेरी समझ में तो आता नहीं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या सरकार डाक्टरों के अभाव को दूर करने के लिये जहां और प्रयास कर रही है वहां यह पी० एम० एस० (२) के ग्रेड को भी बदलने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी हम सोच रहे हैं, लेकिन कोई वायदा नहीं कर सकते ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मंत्री जी ने जो यह बताया कि देहातों में जाने के लिये डाक्टरों में अनिच्छा है, तो क्या उसका मुख्य कारण यह है कि देहातों में वह नागरिक सुख-सुविधा नहीं है, वे सोशल ऐमिनिटीज नही हैं जो शहरों में हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि जो सुख-सुविधायें यहां लखनऊ में हैं वे देहात में नहीं हैं ।

कैदियों को जन्माष्टमी की छुट्टी

*४४---**श्री लायकसिंह चौधरी** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ब्रिटिश राज्य में जेल में कैदियों की जो छुट्टी सम्राट के जन्म दिवस पर दी जाती थी वह उत्तर प्रदेश की जेलों में अब भी जारी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---जी नहीं ।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने यह कबसे प्रतिबन्ध किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---२५ सितम्बर, १९५१ के जेल मैनुअल के आधार पर यह छुट्टी बन्द कर दी गई है और इसके बदले जन्माष्टमी की छुट्टी दी जाने लगी है ।

श्री मलिखानसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ के जो नान-आफिशियल विजिटर्स के पास लिखित सूचना भेजी गई है उसमें स्वतंत्रता दिवस के स्थान पर सम्राट जन्म दिवस की छुट्टी होगी, यह लिखा हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुझे मालूम नहीं है । अगर माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकृष्ट करेंगे तो मैं देखूंगा ।

*४५---**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---[८ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

नोट---तारांकित प्रश्न ४४ श्री मलिखानसिंह ने पूछा ।

श्री गांधी विद्यालय इंटरमीडिएट कालेज, मुरादाबाद का हाई स्कूल का परीक्षाफल न घोषित करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार एक विषय ध्यान आकृष्ट करने के लिये है वह मुरादाबाद के सम्बन्ध में राम कुमार वैद्य जी का है, उसको मैंने स्वीकार किया है। वह यह है—

"माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा केन्द्र श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज मंडल धनौरा, जिला मुरादाबाद के १९६० के हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा फल अभी तक घोषित नहीं किया गया जिससे लगभग २०० छात्र प्रभावित हैं। इन छात्रों का साल भर का समय नष्ट हो रहा है। इस कारण विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों में अत्यन्त क्षोभ है।

अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करता हूं।"

माननीय शिक्षा मंत्री, आप इस पर वक्तव्य कब देंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—माध्यमिक शिक्षा परिषद् से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसका शासन से कोई संबंध नहीं है। अभी नोटिस मिला है।

श्री अध्यक्ष—आप कब देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक सप्ताह का समय दे दें तो....

श्री अध्यक्ष—ठीक है, बुध को रखें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ठीक होगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—एक निवेदन है, अगर गलत कहूं तो माननीय मंत्री जी सही कर देंगे। यह परीक्षाफल जो रुका है यह इम्तहान में नकल करने के संबंध में रुका है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मंत्री जी यह भी बता सकें कि पूरे प्रदेश के कितने विद्यार्थियों का रुका है, क्यों रुका हैं और कब आउट होगा, तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—तो पूरे प्रदेश का जिलेवार आप चाहेंगे ?

श्री गौरीशंकर राय—मोटे तौर पर पूरे प्रदेश का दे दिया जाय। बलिया जिले में बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष—(श्री कमला पति त्रिपाठी से) यह आप मंगा सकेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शायद संभव न हो, चूंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद् नकल इत्यादि की शिकायतों पर जांच समिति बैठाता है जो १ बार, २ बार जांच करके रिपोर्ट देती है और तब फैसला होता है। सारे सूबे में ऐसी बात हुई होगी। संभव है कि १ सप्ताह में यह सारी सूचना न मिल सके, लेकिन मैं चेष्टा करूंगा। अगर सूचना आ गई तो बुधवार को वह भी ले लिया जायगा वरना बाद में देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री गौरी शंकर राय से) आप लिखकर भेज दें तो मंत्री जी को सहूलियत हो जायगी और वह खास तौर से मंगा लेंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—आपके सुझाव के अनुसार मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न....

श्री अध्यक्ष—मेरा कोई सुझाव नहीं होता है। आपने मुझसे सलाह ली होगी और मैंने सलाह दी होगी।

आचार्य दीपंकर—मैंने आपसे निवेदन किया था और आपने उसे अर्द्ध स्वीकृति दी थी।

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार बहुत से ध्यान आकृष्ट करने वाले विषय लोग देते हैं। उन सबमें मैं सब से अधिक महत्वपूर्ण एक दिन में एक ही नियमानुसार ले सकता हूं। आपने कहा था कि कामरोको प्रस्ताव आप लाना चाहते हैं उस विषय पर, जिस पर मैंने कहा था कि उस पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता, नियम ५२ में आप नोटिस दे सकते हैं। आपने दिया। परन्तु उससे अधिक महत्व का मुझे दूसरा प्रश्न मालूम हुआ। आप कल फिर उसे दे सकते हैं। समय की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर उससे अधिक महत्व का कोई दूसरा होगा तो मैं बाध्य नहीं हूं कि आपके प्रश्न को ही स्वीकार करूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—यह २०० विद्यार्थियों के बारे में उन्होंने कहा है। एक आदमी की हत्या हो जाय जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, इसलिये वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है।

कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह सूचना देना चाहता हूं। कल प्रश्न उठा था कि ५ तारीख को बारावफात होगी, इसलिये उसकी छुट्टी रखी जाय। यह सुझाव था। श्री राज्यपाल जी ने तारीख ५ के लिये निश्चय किया है कि उस दिन सदन का कार्य नहीं होगा, इसलिये उस दिन का कार्य, यानी पूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान अब ६ तारीख को सदन में प्रस्तुत हो जावेंगे और ८ और ९ तारीखों में उन पर विचार होगा। तो ५ तारीख को सदन नहीं बैठेगा।

एडवर्ड सप्तम सैनेटोरियम, भुवाली, की परामर्शदात्री समिति में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—एडवर्ड सप्तम सैनेटोरियम, भुवाली, की परामर्शदात्री समिति में श्री दीनदयालु शास्त्री के त्यागपत्र से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचनार्थ यह कार्यक्रम रखा गया है :—

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय—६-९-६० को सायंकाल ५ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा—७ सितम्बर को २ बजे से, सचिव विधान सभा के कमरे में।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि—१३ सितम्बर को ५ बजे सायंकाल तक।

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, १६ सितम्बर को विधान वाचानालय में, १२ बजे से ५ बजे तक।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडियट एजूकेशन बोर्ड तथा आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट के लिये सदस्यों के चुनाव का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—इंटरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड में कार्य करने के लिये २ सदस्यों और आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट में कार्य करने के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचनार्थ नामों की वापसी

[श्री अध्यक्ष—]
की अन्तिम तिथि तथा समय २९ अगस्त, १९६० के ५ बजे तक कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम वापिस ले लिये, किन्तु अब भी उक्त बोर्ड तथा सीनेट के क्रमशः २ और ५ स्थानों के लिये उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के कारण मतदान ७ सितम्बर, १९६० को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

सदन के भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी की सूचना

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, निश्चित तौर पर हमें यह बता दिया जाय कि सदन कब तक बैठेगा।

श्री अध्यक्ष—अन्दाजा यह है कि २३ सितम्बर तक हम बैठेंगे। उसके बाद नवरात्रि और दशहरे की वजह से उठना ही पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०
खंड ३ (कमागत)*

श्री अध्यक्ष—कल जिला परिषद् विधेयक पर श्री मदन पांडेय भाषण दे रहे थे। वह जारी रखेंगे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस संशोधन को पेश करते हुए यह निवेदन किया था कि यह संशोधन इतना निष्कलंकित और मासूम है कि इसे सरकार को स्वीकार कर ही लेना चाहिये। इससे जो आशंकायें आम तौर से शासक पार्टी के विरुद्ध लोगों के दिल में उठा करती हैं उनका स्पष्टीकरण हो जायगा। मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान कुछ ऐसी चीजों की ओर ले जाना चाहता हूं जिनकी तरफ उसका ध्यान जाना आवश्यक है। मसलन, हमारे देश में आम चुनाव से पहले डिलिमिटेशन आफ कंस्टीट्यूएंसीज हुआ मैं उसकी तुलना जिला परिषद् के चुनावों से इसलिये करना चाहता हूं कि जैसे देश के पैमाने पर आम चुनाव का महत्व था वैसे ही प्रदेश के पैमाने पर जिला परिषदों का चुनाव होगा। दोनों का एकसा ही महत्व है। जैसे उस समय देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हुआ था, उसी प्रकार इस धारा के अनुसार यह सरकार भी अपने हाथ में अधिकार ले रही है कि वह प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर सके जिनमें से जिला परिषदों के लिये चुनाव होगा।

जो कार्य प्रणाली उस समय देश की सरकार ने अपनायी थी मैं उस ओर उस सरकार का और सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे संविधान की धारा ३२७ और ३२८ के अनुसार पार्लियामेन्ट को और सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह क्षेत्रों का परिसीमन करेगी। लेकिन इस देश की सरकार ने क्या किया, यह भी बहुत मार्के की बात है। क्योंकि उसने अपने अधिकार के प्रयोग की निष्पक्षता पर कलंक न आने देने के लिये परिसीमन का कार्य एक डिलिमिटेशन कमीशन के सुपुर्द किया। उस कमीशन के संबंध में मैं आपकी आज्ञा से Delimitation Commission Act की कुछ धारायें पढ़ना चाहता हूं।

Constitution of Delimitation Commission धारा ३ में दिया है कि—
"As soon as may be after the commencement of this Act, the Central Government shall constitute a Commission to be called the Delimitation Commission which shall consist of three members as follows :

(*a*) Two members, each of whom shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court, to be appointed by the Central Government and (*b*) the Chief Election Commissioner, ex-officio"

---

*३१ अगस्त, १९६० की कार्यवाही से।

अर्थात् इसके अन्दर सरकारी व्यक्तियों पर कोई कलंक लगने की संभावना न हो इसलिये उन्होंने एक सुप्रीम कोर्टके जज को इसका एक सदस्य बनाया है और जो चीफ Election Commissoner होगे वह इसके एक्स आफिशियों मेम्बर बनाये गये हैं। उन्हीं के चेयरमैनशिप में इसको रखा गया है। इसके बाद भी स्टेट्स को कोई शिकायत न हो डिलिमिटेशन के संबंध में, उसके लिये भी निम्न शब्दों में प्राविजन कर दिया गया है—

"Associate members—(1) For the purpose of assisting the Commission in the readjustment of the representation and in the delimitaion of the territorial constituencies, both for the House of the People and the Legislative Assembly, if any, in each State other than the State of Jammu and Kashmir and the State of Bilaspur, the Commission shall associate with itself from that State, if its population according to the latest census figure "

इसमें ७५ लाख से ऊपर जिस प्रदेश की आबादी हो वहां से उन्होंने ७ मेम्बर का प्राविधान किया था, तीन सदस्य पार्लियामेंट के और ४ सदस्य उस प्रदेश की असेम्बली से लिये जायंगे और वे असोसियेटेड मेम्बर्स कहलायेंगे और उनका नामांकन कौन करेगा, सरकार नहीं करेगी। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया है। मैं डिलिमिटेशन कमीशन ऐक्ट की धारा ५ पढ़ रहा हूं और मान्यवर, यदि मंत्री जी चाहेंगे तो मैं इसको उनकी मेज पर भेज दूंगा। इसके सब सेक्शन का जिक्र है, 'ए' से मतलब है कि जो असेम्बली के असोसियेटेड मेम्बर्स होंगे। जिक्र करते हुए लिखा गया है—

"(2) The persons to be so associated from each State shall be nominated, in case of members of the House of the People, by the Speaker of that House, and in the case of members of a Legislative Assembly, by the Speaker of that Assembly, having due regard to the composition of the House, or as the case may be, of the Assembly."

यह एक महीने या दो महीने के भीतर ले लिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त नामिनेटेड मेम्बर्स के बारे में भी स्पष्ट किया है :

"(3) The first nomination to be made under sub-sction (2)—

(*a*) shall be made by the Speakers of the several Legislative Assemblies within one month, and by the Speaker of the House of the People within two months, of the commencement of this Act, and

(*b*) shall be communicated to the Chief Election Commissioner, and where the nominations are made by the Speaker of a Legislative Assembly also to the Speaker of the House of People."

इस सम्बन्ध में यह स्पस्ट है कि सरकार को कहीं पर भी बीच में नहीं आने दिया गया है। यदि पार्लियामेन्ट के सदस्य नामांकित हों तो पार्लियामेन्ट के स्पीकर इस बात का ध्यान रखते हुए कि जिस आधार पर हाउस का कम्पोजीशन हुआ है उसके हिसाब से सदस्य भेजेंगे या नामजद करेंगे और असेम्बली के मेम्बरों के लिये यह व्यवस्था की गई है कि असेम्बली के कम्पोजीशन का ध्यान रखते हुए नामिनेट करें। जहां पर ऐसे आदेश मौजूद हैं उनके कारण सरकार ने निष्पक्षतापूर्वक चुनाव निष्पादित कराये हैं, जहां पर सरकार ने ऐसी सावधानी बरती है और हमारे यहां एक ऐक्ट विशाल रूप में मौजूद है और उसके आधार पर सारे देश में निर्वाचन हुए हैं। इसलिये इन बातों को ध्यान में रखकर सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हमने जो इस खन्ड में प्राविजन करने के लिये संशोधन पेश किया है उसमें बहुत ही माइल्ड मांग रखी है। बहुत अच्छा होता अगर इस वक्त सरकार कोई डिलिमिटेशन कमीशन न सही, कोई लिमिटेशन कमेटी ही बनाती। वह कमेटी हमने यह सुझाव रखा है कि इस प्रदेश की असेम्बली में जितनी भी पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधित्व का खयाल रखते हुए बना दी जाय और उसी की देख रेख में यह परिसीमन का कार्य हो और खन्डों के रूप में जो गांवों को बांटा जाय उसकी स्वीकृति इस कमेटी के द्वारा हो। इस संशोधन की मंशा यही है।

[श्री मदन पांडेय]

आपके द्वारा मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि अपोजीशन की तरफ से आने वाले हर संशोधन को शक व सुबहा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये, यह मुनासिब बात नहीं है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें सरकार की नेकनामी और बदनामी का सवाल है, यह ऐसा प्रस्ताव है जिसमें प्रजातंत्र की नेकनामी और बदनामी का सवाल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जिला परिषदों के चुनावों को निष्पक्षतापूर्वक यह सरकार सम्पन्न करा लेगी तथा जिस समय एलेक्शन हो उस समय यदि परिसीमन की दिक्कत न आये तो यह कहा जायेगा कि वास्तव में यह सरकार प्रजातंत्र चलाना चाहती है। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें इससे उनकी सरकार का और इस सदन का, सबका बड़प्पन ही प्रतीत होगा।

हमारे इस संशोधन को मान लेने से माननीय मंत्री जी की घटी न होगी, इसलिये हमारे संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह उचित समझता हूं कि माननीय प्रतापसिंह जी और ब्रजनारायण तिवारी अपने अपने संशोधन पेश कर दें।

***श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के अन्त में निम्न रख दिया जाय —

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करने से पहले एक ग्राम्य क्षेत्रों का खण्डों में बिभाजन के हेतु समिति का निर्माण करेगी, जिसकी राय पर राज्य सरकार इस धारा के अन्तर्गत कार्य करेगी।"

मान्यवर, जिस खण्ड के अन्त में हम इस प्रतिबन्ध को जोड़ना चाहते हैं वह इस प्रकार से है—

"राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रत्येक खन्ड का नाम और उसके क्षेत्र की सीमायें या उसके संघटक अंश निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक जिले के ग्राम्य क्षेत्रों को खन्डों में विभाजित करेगी और इसी प्रकार वह नामों में परिवर्तन कर सकती है या खन्डों में क्षेत्र सम्मिलित करके या उनमें से क्षेत्र निकाल कर उनके क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नये खन्ड बना सकती है।"

मान्यवर, जो यह खन्ड है, हम उसको उसी रूप में मानते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को बदनामी से बचाने के लिये यह प्रतिबन्ध रखना चाहते हैं। अगर माननीय मंत्री जी ने इस प्रतिबन्ध को न माना तो हुक्मरां पार्टी पर यह दोष लग जायगा कि वह पक्षपात करती है। इसलिये आप ऐसी सर्वदलीय कमेटी बनायें। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि ऐसा कहां हुआ है? मैं माननीय मंत्री जी को मैसूर के विलेज पंचायत बिल, १९५९ की याद दिलाना चाहता हूं। उसमें ऐसी व्यवस्था है कि पहले गांव सभाओं और गांव पंचायतों की राय ली जायगी कि कौन-कौन खन्ड बनाये जाने चाहिये। मैं उन्हीं शब्दों में तो नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि उसके लिये एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय। लिहाजा इस संशोधन की मंशा बड़ी पाक है और इससे प्रजातंत्र पद्धति को गांव स्तर और ब्लाक स्तर पर सही रूप दिया जा सकता है।

ऐसा भी देखा गया है कि चुनाव के मौके पर जब डिलिमिटेशन होता है तो अपनी जाति या फेवर के लोग जहां होते हैं उधर आवश्यकतानुसार हेर-फेर कर दिया जाता है। अतः जो सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है उसके लिये यह आवश्यक है कि उस प्रकार की एक कमेटी बने। सन् १९५७ के चुनावों में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक मिनिस्टर साहब को अपनी कांस्टीटूयेंसी में बहुत दिक्कत होती थी लिहाजा जो डिलिमिटेशन किया गया वह ऐसे इलाके में किया गया जिसमें उनकी बिरादरी के लोग रहते थे। इसको रोकने के लिये इस तरमीम की अत्यन्त आवश्यकता है।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद ११७ में कम्पोजीशन आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली दिया हुआ है। उसकी भी मंशा यही है कि पापुलेशन को और एरिया को देखकर डिलिमिटेशन किया जाय। आज आप जिला परिषद् बनाने जा रहे हैं। वह जिले की असेम्बली या जिले का प्लानिंग कमीशन होगा। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है और ब्लाक छोटा कमीशन है। इसलिये जो चीज संविधान में असेम्बली के लिये लिखी गयी है वही जिला परिषदों के लिये भी लागू होती है जिले के लिये। उसी के लिये हम चाहते हैं कि एक डिलिमिटेशन कमेटी बनायें और सदन में जो मान्यता प्राप्त विरोधी दल है उन सब के प्रतिनिधि उसमें हों। अगर मंत्री जी इस प्रकार से करेंगे तो अवश्य ही वे अपने प्रदेश में एक इतिहास शुरू कर देंगे और असली मानी में डेमोक्रेटिक मिनिस्टर बनेंगे। जहां तक हमारे और मिनिस्टर्स है वे आटोक्रेट हैं, अपनी बात के अलावा दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन माननीय शर्मा जी जिनको मैं बड़े प्रेम से भाई भी कहा करता हूं वे ऐसे नहीं हैं। उनके लिये यह बड़े क्रेडिट की बात है कि यही एक विधेयक ऐसा है जो संयुक्त प्रवर समिति में नहीं गया है। यह इसलिये किया गया है कि माननीय मंत्री जी जिला परिषदों का चुनाव जितनी जल्दी हो सके कराना चाहते हैं। लेकिन जल्दी चुनाव कराने का मतलब यह नहीं है कि उसके लिये कोई गलत धारा पास कराने में भी हम अपनी राय दे दें। इसलिये हमारा कर्त्तव्य है कि हम आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करें कि यह संशोधन समय व सुविधा के अनुकूल है, अतः वे इसको मानने की कृपा करें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ के अन्त में निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस खण्ड द्वारा खंडों की सीमा निर्धारण करने में यातायात की सुविधा केन्द्र की दूरी, मंडलाकार क्षेत्र तथा ४० हजार से अधिक जन संख्या न हो, आदि का ध्यान रख कर किया जायेगा।"

अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहता हूं और अपनी तरफ से यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे इस संशोधन का अर्थ केवल यह है कि जो क्षेत्र बनेंगे वह डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर, विकेन्द्रीकरण के नाम पर या अधिकार के बंटवारे के नाम पर किया जा रहा है तो वह सब से छोटी इकाई होगी। बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह देहात के शासन की एक छोटी इकाई होगी। श्रीमन्, मैं तो यह चाहता हूं कि यह शासन की जो छोटी इकाई बने, चाहे वह किसी नाम पर भी बने उसका एक केन्द्र तो होगा ही,वह क्षेत्र ऐसा बने कि केन्द्र से हर गांव की दूरी लगभग समान हो, वह मंडलाकार हो और यातायात की सुविधा हो। हमारे संशोधन का अर्थ इन तीन चीजों के होने से है।

एक और अर्थ यह है कि इस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम ४० हजार हो, इससे अधिक न हो, कुछ कम ही हो ताकि हम इस इकाई के द्वारा शासन का काम आसानी से चला सकें। मुझे मालूम है कि शासन की मुख्य रूप से तीन इकाइयां हैं। एक जो शासन की इकाई है वह तो पुलिस की है और जो सब से छोटी इकाई है वह चौकीदार का क्षेत्र है। चौकीदार एक ही गांव का चौकीदार नहीं होता है, लगभग दो तीन गांवों का वह चौकीदार होता है। दूसरी इकाई है लेखपाल हल्का। वह भी ४, ५ या ७ गांव का लेखपाल होता है। तीसरी इकाई है पंचायत राज्य ऐक्ट के मुताबिक पंचायती अदालतें और उसमें भी १० गांव सभायें होती हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि आप इस सीमा निर्धारण करने में इन इकाइयों को तोड़ेंगे कि नहीं? अगर इन इकाइयों को नहीं तोड़ेंगे तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि आपकी यह इकाई

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

नहीं बन सकेगी। मेरा अपना अनुभव है कि मैं जिस गांव में रहता हूं वहां से कसया की दूरी ७ मील है और तमकुही से वह १३ मील है। गांव की यूनिट नहीं है, पंचायत राज ऐक्ट के मुताबिक वह अदालती क्षेत्र है। अगर सीमा निर्धारण के समय इस यूनिट को तोड़ देंगे तो लोगों को बड़ी आसानी होगी।

मैं एक और सूचना दे दूं कि हमारे यहां एक गांव पड़ता है अमवां बुजुर्ग, जहां से पडरौना ६ मील, कसया ९ मील और तमकुही १४ मील पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि शासन व्यवस्था ठीक करने के लिये आपकी जो छोटी इकाई होगी वह चौकीदार के हल्के की होगी, या लेखपाल के हल्के की होगी या पंचायत राज सेक्रेटरी के हल्के की होगी। मैं तो इस निश्चित राय का हूं कि जब तक आप अपना बिलकुल एक सालिड क्षेत्र नहीं बनाते हैं, तथा यातायात की सुविधा नहीं प्रदान करते हैं जैसा कि कल माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने संशोधन रखा था जिसे स्वीकार नहीं किया गया, तब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी जिसे हम और आप चाहते हैं। मेरा आपके द्वारा सदन से यह निवेदन है कि हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जिसके आधार पर हम बुनियाद खड़ी कर सकें ताकि इस देश की तरक्की हो और इस देश की शासन व्यवस्था ठीक हो। श्रीमन्, मैं निश्चित राय का हूं कि यह केन्द्र जो बनें वह ऐसे मंडलाकार बनें ताकि हमारे नित्य प्रति के काम आसानी से चल सकें। बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं यदि यातायात की सुविधा नहीं है, अपने क्षेत्र में पहुंचने के लिये आज जो विकास खण्ड बने हैं तीन क्षेत्रों को पार करना पड़ता है, तब कहीं पहुंचते हैं। श्रीमन्, एक ब्लाक है तमकुही। वहां के बी० डी० ओ० तीन ब्लाक पार करके तब अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं क्योंकि यातायात की सुविधा नहीं है। तो जब आप अपनी पुरानी परम्पराओं को तोड़ेंगे तभी आपका सीमा निर्धारण का काम पूरा होगा।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, यह जो खंड रखा गया है, चूंकि यह अधिनियम हमेशा के लिये बनाया जा रहा है, तो सरकार ने यह पावर अपने पास ले ली है, लेकिन फिलहाल तो यह प्रवर समिति में भी इसीलिये नहीं भेजा गया है कि फरवरी में हम एलेक्शन कराने में सफल हो जायं। अगर आम तौर से इस पर विवाद करना शुरू कर दें तो फरवरी तक चुनाव कराना नामुमकिन होगा। यह खंड बना हुआ है, किसी खास पार्टी के लिये नहीं था, कोई एलेक्शन का नाम भी नहीं था, एक बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसी को लेकर हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। जो खंड बने हुए हैं उनमें थोड़ा-बहुत कहीं कुछ होना है तो वह तो हो सकता है, लेकिन इतना समय नहीं है कि इस वक्त इलोबरेट कोई बात करें। अगले एलेक्शन के पहले हम यह सब कर सकते हैं। अगर हम अभी यह सब करेंगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। इतना लम्बा सिलसिला चल जायगा कि फरवरी तक एलेक्शन कराने की बात नामुमकिन हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको प्रेस न करें।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तावित संशोधन है उसका समर्थन करने के लिये मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो....

श्री अध्यक्ष---आप कौन से संशोधन को मान रहे हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं सिद्धांत रूप से तीनों को ही पसन्द करता हूं। मैं तो यह कहने जा रहा था कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जो ब्लाकों को ही खंड मान लेने की बात कही गई उसे मैं समझ नहीं पाया कि जब प्रदेश भर में केवल अभी ५० फीसदी हिस्सा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही ब्लाकों में विभाजित हो कर के किसी रूप में कार्य हो रहा है, तो वह कैसे हो सकेगा। आगे शैडो ब्लाक है, न उनमें अभी कोई इंचार्ज मुकर्रर है और नउनकी कोई रूप-रेखा बन पाई है। उन शैडो ब्लाकों में भी ऐसी बहुत-सी बातें हैं जिन पर लोग अभी विचार भी नहीं कर पाये हैं कि कम्पोजिट ब्लाक होगा या नहीं। उन खंडों को पुनर्सीमित करने के लिये यह आवश्यक है कि जनता से राय ली जाय। यह खंड जब बने थे तो कोई जनता की राय नहीं ली गई थी। बल्कि ब्लाकों का कार्य हमारे प्लानिंग अफसर ने अपनी बुद्धि से ही किया था। अब ब्लाकों को हम एक प्रकार से एक ऐसी बाडी बनाने जा रहे हैं जो लीगल बाडी होगी, जो दावा भी कर सकेगी, यानी एक प्रकार से अथारिटेटिव बाडी बनेगी जो कि अनादि काल तक चलेंगे। यह जो क्षेत्र बनेंगे यह परपीचुअल सील रखने वाले होंगे। अतः इनको बनाने के पहले अच्छी तरह से सोच-विचार लेना चाहिये और जनता की राय अवश्य लेनी चाहिये कि इसके लिमिटेशन्स उचित हुये हैं या नहीं।

मंत्री जी ने कहा इसमें काफी समय लगेगा और जो चीज पहले से मानी हुई है उसमें क्या एतराज हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि समय इसलिये नहीं लगेगा कि अभी से आप जनता के प्रतिनिधियों से उनकी राय ले सकते हैं। अन्यथा दिक्कत यह होगी कि जो एतराज पहले से जनता को ब्लाक्स के कम्पोजीशन के बारे में हैं वह बने रहेंगे। हमारे जिले में कुछ ऐसे ब्लाक्स हैं जिनमें जनता चाहती है कि उनमें कुछ हेर-फेर किया जाय। लेकिन जनता ने अभी अधिक ध्यान इसलिये नहीं दिया कि शैडो ब्लाक्स में अभी कुछ काम तो होने नहीं जा रहा है, लेकिन जब होगा तो एतराज होंगे। कई ब्लाक हेडक्वार्टर्स ऐसे हैं जो बिलकुल सीमा पर हैं, बीच में नहीं हैं, क्योंकि सड़क की सुविधा वहां थी इसलिये किनारे पर बना दिया उस ब्लाक का हेडक्वार्टर, जब कि उसको ब्लाक के बीच में होना चाहिये ताकि सब तरफ की जनता आसानी से पहुंच सके, सड़क के किनारे होने से तो केवल अफसरों को सुविधा होगी।

यह कहा गया कि जो खंड बनेंगे उनका नामकरण और परिसीमन भी होगा। मैं कहना चाहता हूं कि नामकरण आदि करने में जनता को एतराज हो सकता है। क्योंकि एक खंड में दो बड़े गांव हैं तो बड़े गांव वाले स्वाभाविक है कि खंड का वही नाम रखवाना चाहेंगे जो उनके गांव का नाम है। अतः लोगों को इस सम्बन्ध में मौका दिया जाना आवश्यक है। ब्लाक बनाते समय आबादी का खयाल नहीं रखा गया। कुछ ब्लाक्स ऐसे हैं जो कई नाले, नदियां पार करके फैले हुए हैं, कुछ सड़क के लिहाज से हैं और यह आज से ७, ८ साल पहले बनाये गये थे तबसे काफी समय गुजर चुका है और बहुत-सी बातें जनता की निगाह में स्पष्ट रूप से आ चुकी हैं जिनको जनता कहना चाहती है। अतः उनको मौका मिलना आवश्यक है।

एतराज लेने में क्या दिक्कत है? कमेटी बनाने में अगर कोई दिक्कत है तो किसी और स्टेज पर उनको मौका दें ताकि लोग अपनी दिक्कतें बता सकें। यह भी सम्भव नहीं है कि जिन जिनको कोई एतराज हो वह आपके ही पास आवें पूरे प्रदेश से। अतः जिला हेडक्वार्टर पर समिति बनाकर लोगों की राय ले लें। इसमें सरकार को क्या एतराज है? मैं चाहूंगा कि सरकार ब्लाक की आबादी के फर्क को निकाल दे और एक राउन्ड फिगर बतावें कि इतनी आबादी का एक ब्लाक बनेगा। उनके हेड क्वार्टर किस आधार पर रखे जायंगे, किनारे पर ट्रेफिक के आधार पर होंगे या बीच में होंगे, साथ ही यह भी खयाल रखा जाय कि जो प्राकृतिक व्यवधान रास्ते में होंगे जैसे नदी, नाले, वहां जनता कैसे पहुंचेगी? ऐसे आज बहुत से ब्लाक हैं जहां नदियां हैं और उन पर घाट नहीं हैं। अब जब इनकी परपीचुअल सील बन जायगी तो उनके मेम्बर कैसे मीटिंग में बार-बार आ पावेंगे? हेडक्वार्टर पर पहुंचना इसलिये जरूरी होना चाहिये कि उनके पास निकट सेंटर में हो और सबके लिये बराबर दूरी हो। इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक जिलाधीश को मौका दे दें राउन्ड टेबिल कान्फ्रेन्स बना कर कि प्रतिनिधियों से बातचीत कर लें

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

और मंत्री जी चाहते हैं कि लखनऊ में बैठे रहें और स्टेट लेविल पर, ब्लाक लेविल पर और डिस्ट्रिक्ट लेविल पर राय ले लें। सरकार की ओर हाथ बढ़ाया गया है और सरकार हाथ नहीं मिलाती है तो मैं समझता हूं कि सरकार उसमें एकांगी विचार रखती है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो खंड ३ के अन्दर संशोधन रखे गये हैं वे बहुत ही उचित हैं। इसमें एक समिति के निर्माण की बात कही गयी है जो सर्वबलीय स्तर की होगी और सबके प्रतिनिधि उसमें होंगे और उसकी राय पर सरकार खंडों का विभाजन करेगी। अभी जो जिलों में खंड बनाये गये हैं उनके बन जाने से पता चलता है कि वे खंड ठीक से नहीं बनाये गये हैं। हम उदाहरण के तौर पर अपने यहां घुघली खंड की बात करते हैं। वह इस तरह का खंड है कि बीच में दूसरा खंड सम्मिलित हो गया है और वह खंड फिर शुरू हो जाता है। इस तरह से ऊंटपटांग खंड बनाया गया है और जिले में जो खंड बने हैं उनमें कुछ ऐसे भी खंड बने हैं जिनका केन्द्र भी ठीक जगह नहीं रखा गया है। यह समिति बन जायगी तो उसकी सिफारिश से जो खंड बनेंगे वे निश्चय ही निष्पक्ष भाव से बनेंगे और सरकार पर फिर इल्जाम नहीं लगाया जा सकेगा।

माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि फरवरी में चुनाव हो जायं। तो यह समिति बन जाने से मैं यह नहीं समझता कि फरवरी में चुनाव कराने में कोई रुकावट पड़ेगी। निश्चय ही पुराने खंड ठीक से नहीं बने हैं, यह समिति बनती है तो अच्छे खंड बनेंगे और निष्पक्ष भाव से खंडों का निर्माण होगा या उसमें परिवर्तन होगा और भविष्य में फिर खंडों में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फरवरी में चुनाव कराने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। माननीय मंत्री जी बहाना बना कर इसे स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि उनका यह कहना है कि फरवरी में चुनाव कराने में रुकावट पड़ती है। बल्कि मेरी समझ में तो इससे फरवरी में चुनाव कराने में कोई रुकावट नहीं पड़ती है। इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जिलों में जो खंड बने थे जिला नियोजन समिति ने बनाये थे और खूब समझ कर बनाये थे और यह समझ कर बनाये थे कि हमको जिले को इतने विभागों में बांटना है जिसमें हमारी प्रसार योजना ठीक प्रकार चल सके। उस समय हर जिले में नियोजन समिति न बैठाकर खंडों का निर्माण किया गया। कुछ व्यक्तियों द्वारा यह बात सदा कही जायगी, जब खंड बन जायेंगे, कि खंड ठीक नहीं बने। हमारे भाई ने कहा कि रास्ते में नदियां, नाले बहते हैं और पुल बनाने की जरूरत पड़ेगी। स्वयं ये देर करना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी के सर पर कलंक लगाना चाहते हैं कि फरवरी में चुनाव न हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं जो खंड बने हुए हैं प्रसार सेवा क्षेत्र के जरिये से वे ठीक बने हुए हैं। खंडों की स्थापना का अधिकार सरकार को मिलना चाहिये।

***श्री लालबहादुर** (जिला वाराणसी)—मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं इन संशोधनों का विरोध कर रहा हूं। जो ब्लाकवाइज खंड बनाये गये हैं, जैसा कि हमारे मेहरोत्रा जी ने कहा है, पहले प्लानिंग कमेटीज में सभी एम० एल० एज० रहा करते थे, उस कमेटी ने बहुत सोच-समझ कर इन विकास खंडों को बनाया। इसके बावजूद भी पूरा अधिकार इसमें है कि जब सरकार चाहे, अगर कहीं कठिनाई हो तो बदल दे। अगर यह सोचा जाय कि किसी में नाले और नदी न पड़ें तो मेरे खयाल से ऐसा कोई ब्लाक बन ही नहीं सकता है। हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में यातायात की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, अब इस तरफ थोड़ा-सा ध्यान जरूर दिया जा रहा है। यहां तो मनमाने ढंग से नाले बहा करते थे। इसमें तो ब्लाक को खुद ही अधिकार होगा कि चाहे सड़कें बना लें, चाहे नाले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खोद लें और सब से बड़ी बात तो यह है कि यह कोई हुकूमत के लिये नहीं बनाया गया है, यह तो सुविधा के लिये बनाया गया है। सामान्य विवाद में कहा गया कि पटवारी के ऊपर अधिकार हमको नहीं दिया गया, उसका कैरेक्टर रोल लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिये .....

श्री अध्यक्ष—आम बहस के वक्त कही गयी बातों का जवाब आप इस वक्त नहीं दे सकते। इस वक्त खंडों पर विचार हो रहा है, आप उसी पर सीमित रहें।

श्री लालबहादुर—बहुत अच्छा। किसी खंड को आप ले लें, वहां नाला भी पड़ेगा, नदी भी पड़ेगी। अगर एक गांव काट कर दूसरी तरफ मिलाते हैं तो क्या दूसरी तरफ नाला नहीं आ जायगा? हमारे यहां कोई प्लान्ड तरीके से तो गांव बसाये नहीं गये। वह तो अपने आप जहां लोगों ने जमीन पायी बसते चले गये। उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो था नहीं। ऐसी हालत में जब यह कहा जाता है कि नाले, नदी न हों, तो मेरी समझ में तो ऐसा कोई ब्लाक बन नहीं सकता। इतनी ही बात कह कर मैं बैठ रहा हूं कि जैसी धारा यह है वैसी ही पास की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी मदन पांडेय और ब्रजनारायण तिवारी जी के संशोधन प्रस्ताव हैं यह दोनों प्रस्ताव एक में मिल कर बहुत अच्छा भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की जो दलील उधर के साथी लोग दे रहे हैं कि बड़ी देरी होगी, ऐसा कोई खंड नहीं हो सकता जिसमें नदी, नाला न हो। यह इस सरकार की जो परिपाटी है उसके विपरीत ही इस तरह के भाषण दिये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है कि अपने देश में भारत के संविधान के अनुसार बहुत से प्रदेश बने और हठवादिता के बावजूद भी बहुत से नये-नये प्रदेश बनते चले जा रहे हैं। माननीय लाल बहादुर जी को कुछ अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिये और कुछ ज्ञान बढ़ाना चाहिये कि जो भारत की सरकार है वह बहुत बड़ी है, जिसको माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते और उनको कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन कोई अच्छी राय हो तो उसका मनन अपने मन में कीजिये।

मुझे माननीय विचित्रनारायण जी की इस बात से बड़ी तकलीफ हुई जब उन्होंने यह कहा कि यह तो चुनाव में देर कराने का एक रास्ता है। १९४८ में चुनाव हुआ था और १३ साल के बाद १९६१ में चुनाव कराने की घोषणा है। १९५८ में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स खत्म हुये थे और उनका अन्तरिम जिला परिषद् नामकरण हुआ था तो उस समय मंत्री जी ने कहा था कि एक साल के अन्दर बिल लाकर चुनाव करा देंगे। मैं नहीं समझता कि इस तरह के संकल्प और विकल्प जो होते हैं उनमें सच्चाई क्या है? मेरा खयाल यह है कि अगर आप खंड बनाना चाहते हैं और जो परिषदों को अधिकार दे रहे हैं और चाहते हैं कि उनका उपयोग सही माने में हो तो इससे श्रीमन्, सही माने में उपयोग नहीं होता है। श्रीमन्, आपको जानकारी होगी कि लालबहादुर जी और मेहरोत्रा जी ने कहा कि खंडों को नियोजन विभाग ने बनाया है। हमें तकलीफ होती है ऐसी दलीलों से और इस तरह की दलीलें नहीं दी जानी चाहिये।

मैं आपके द्वारा उनको बता देना चाहता हूं कि जो विकास खंड बने हैं वह बिलकुल बेढंगे बने हैं और उनके बनाने में कोई ढंग नहीं है। विकास अधिकारी को अपने क्षेत्र में जाना होता है तो तीन-चार खंडों से होकर जा पाता है। मैं नहीं समझता कि आप इसको क्यों नहीं महसूस करते कि इस अधिकारी का कितना रुपया खर्च होता है, कितना समय खर्च होता है? आप क्यों नहीं समझते कि जो जनता १५, २०, २५ मील दूर बसी हुई है उसके प्रधान एडवायजरी कमेटी में हाजिर नहीं हो पाते? मैं अपनी ही बात कहूं कि ऐसे विकास खंड बने हैं कि हमारे क्षेत्र का एक गांव बहुत बड़े विकास क्षेत्र खंड में रख दिया गया। शायद ही

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

कोई ऐसा क्षेत्र बचता हो जिसका मैं मेम्बर न होऊं। मैं नहीं समझता कि माननीय लालबहादुर जी और मेहरोत्रा जी ब्लाक की कितनी मीटिंगों में जाते हैं। यह शायद कभी नहीं जाते हैं....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप वैयक्तिक हमला न करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैंने एक रिवाज बताई।

श्री अध्यक्ष—आपने नाम ले कर यह कहा कि यह लोग ऐसे हैं। ऐसा आक्षेप व्यक्तिगत हो जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस तरह की परिपाटी है कि नहीं जाते हैं हम लोग भी, वहां पहुंचने में दिक्कत महसूस करते हैं और कभी-कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिये हमें इसके लिये सोचना पड़ेगा। अभी बिल पास नहीं हुआ है और सरकार नियम लागू करना चाहती है। इसको बना कर दे दें। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कहना कि हम लोग देर करना चाहते हैं यह गलत बात है। अगर सरकार खंडों में परिवर्तन करना चाहती है तो सरक्युलर जारी करे। श्रीमन्, सर्वदलीय कमेटी बनाई जाय तो बहुत अच्छा होगा और अगर न बनायें तो जो संशोधन हैं उसके देखने से मालूम होगा कि वह चाहते हैं कि केन्द्र जो बनें वह बीच में बनें और ४० हजार की आबादी पर हों और यातायात की सुविधा हो। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर सरक्यूलर जारी हो जाय विकास खंडों का और नियोजन समिति का और नियम बनने से पहले सुझाव आ जायेंगे और चुनाव से पहले सारे खंड बन सकते हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप समझते हैं कि नियोजन कमेटियां अच्छे ढंग से बनें, लोगों की राय से सारे काम हों, जनता की दिक्कतों को दूर कर दिया जाय तो एक ही मात्र तरीका है कि फिर से नियोजन कमेटियां बनायी जायं, फिर से सीमाओं का बटवारा हो और उसके बाद निकट के गांव लिये जायं और उनके सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं माननीय प्रताप सिंह जी और माननीय अमर नाथ मिश्र जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग के मिनिस्टर रह चुके हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की प्रणाली का आपको पूर्णतया ज्ञान है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय की बुद्धि की सराहना करूं या उप-मंत्री महोदय या उन माननीय सदस्य की जो उस तरफ बैठते हैं उनकी बुद्धि की सराहना करूं, उनको पता नहीं है कि जो खंड बनाया जायगा उसकी पापुलेशन क्या होगी, क्या उसका बेसिस होगा? यानी यह तय नहीं है उनके दिमाग में कि वह खंड ४० हजार, ५० हजार, ३० हजार या २० हजार की आबादी का होगा। उनको यह भी पता नहीं है कि जिला परिषद् का जो चुनाव होगा वह किस आधार पर होगा, किन लोगों का प्रतिनिधि बन कर जिला परिषद् में बैठेगा, जब कि पापुलेशन की बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन होना है। यह कनफ्यूज्ड थिंकिंग है।

मान्यवर, इसका इतिहास क्या है? जो ब्लाक पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बने वे एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू से बनाये गये और उस समय बहुत-सी दृष्टियों से ध्यान दिया गया, यातायात का ध्यान रखा। कहीं नहरें आ रही थीं, कहीं ट्यूबवेल्स थे, कहीं पर नहीं थे। लिहाजा उसके अनगिनत आधार थे। इस सरकार को मजबूरन इन खंडों को तोड़ कर नये खंड निर्धारित करने होंगे। मैं माननीय मदन पांडेय का समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें बड़ी परेशानी होगी और उनको बहाना मिल जायगा कि फरवरी में एलेक्शन न करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं श्री ब्रजनारायण तिवारी का संशोधन समझना चाहता था, लेकिन समझने की कोशिश के बाद भी समझ में नहीं आया। ४० हजार की जन-संख्या वह रखते हैं। इसमें भी परेशानी होगी क्योंकि ७५ हजार से १ लाख तक की आबादी पर तो विधान सभा के लिए एक सदस्य आता है। तो बहुत से जिलों में प्रतिनिधित्व कम हो जायगा। माननीय प्रतापसिंह का प्रस्ताव यह है कि खंडों में विभाजन के हेतु समिति का निर्माण करेगी, जिसकी राय पर राज्य सरकार इस धारा के अन्तर्गत कार्य करेगी। यह बिल्कुल एलेस्टिक है, चाहे प्रादेशिक स्तर पर रखिये या जिले के स्तर पर। प्रादेशिक स्तर पर रखने में कठिनाई हो जायगी। उस वक्त कोई आ नहीं पायेगा। लिहाजा जो भी समिति बनायी जाय जिला स्तर पर बनायी जाय। अगर सरकार कहती है कि उनके पास वक्त नहीं है तो महज बहाना होगा। अगर नीयत है वह कमेटी बनाने के लिए, फरवरी में एलेक्शन करवाने के लिए, तो कोई भी बाधा ऐसी नहीं है जिसको वह हल न कर सकें।

श्रीमन्, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह अपने विवाद के दौरान हमको बतला दें कि उन खंडों की पापुलेशन क्या होगी यानी जिला परिषद् में एक आदमी कितनी पापुलेशन को रिप्रेजेन्ट करेगा? मैं जानना चाहता था कि इसका कोई आधार उनके दिमाग में है। महज अपोजिशन को यह तलवार दिखाने से काम नहीं चल सकता कि अगर ऐसा किया जायगा तो फिर फरवरी में एलेक्शन नहीं हो सकते हैं। इस भय से क्या मैं यह समझूं कि जितने संशोधन हैं वह सब वापस कर लिये जायं? आप फिर कोई कठिनाई बतला सकते हैं। अगर कोई संशोधन स्वीकार किया जायगा तो उससे कुछ समय लग सकता है इस प्रकार की दलील इस सदन में देना कुछ उनको शोभा नहीं देता।

मैं मदन पांडेय जी के सिद्धान्त से सहमत हूं। अगर कांस्टीटचूएन्सीज के लिये यह कहा जाय कि कांस्टीटचूएन्सी बनाना बहुत बेग चीज है तो यह ठीक नहीं है। मैं आपको यह भी बतला दूं कि यह क्षेत्रीय समिति और जिला परिषद् का चुनाव सुचारु रूप से, निष्पक्ष भाव से नहीं हुआ तो यह प्रजातन्त्र की प्रणाली इस भारतवर्ष में कोई श्रद्धा की चीज नहीं रह जायगी। पाकिस्तान की तरह जिसको झुनझुना समझते थे उसी तरह से यहां समझा जायगा। यह विभाग ऐसा नहीं है लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट का जिसको कोई महत्व न दिया जाय। इसके पीछे और मुल्कों का एक इतिहास है जिस पर आज विलायत को देखा जाय तो उसी आधार पर उस जगह के लोगों ने सीखा है। तो मैं इसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी, मुझे आशा है, इसका उत्तर देंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ३ में जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। इसलिये करता हूं कि मैं यहां पर इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता। अगर हमारे भाई ने विधेयक की धारा ३ को पढ़ा होता तो शायद वह खुद इस बात को महसूस कर लेते कि यहां जो यह संशोधन पेश किया गया है इसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि सरकार एक नोटिफिकेशन से जिले को खंडों में बांट देगी। इसमें हमारे किसी भाई को शिकायत हो सकती है कि मौजूदा खंडों में कुछ कमी है। मैं इस बात को मान लेता हूं कि जिले में जो खंड बने हैं उनमें कुछ कमी हो लेकिन इसमें यह कहां लिखा है कि जो खंड हैं उनको सरकार वैसे का वैसा ही मान लेगी? सरकार ने यह अधिकार लिया है कि खंडों को बांटे। उसकी एक सम्भावना मेरे दिमाग में यह भी है कि सरकार को यह अधिकार होगा कि खंडों के बनने के बाद तब्दीली हो सकती है। क्षेत्रों की सीमा में तब्दीली हो सकती है। सरकार को हर वक्त इस बात का अधिकार है कि अगर कोई खंड ठीक नहीं बना है और मुनासिब नहीं है तो उसके अन्दर तब्दीली कर सकती है।

जहां तक यह बात कही गई कि यातायात की सुविधा देखी जाय तो मैं इससे बिलकुल इत्तफाक नहीं करता और इसलिये और भी खास तौर से कि जब हमको ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

[श्री नवलकिशोर]

करना है और हम लोग यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश में यातायात की बहुत कमी है, आम तौर पर हमारे कर्मचारियों की यह ख्वाहिश रहती है कि खंड ऐसे स्थान पर बनाये जायं जहां पर आसानी से मोटर पहुंच जाय। मैं हमेशा इस सिद्धान्त का रहा हूं कि जहां तक सम्भव हो, जो क्षेत्र बीच में आते हों वहां पर खंड होने चाहिये जिससे शासन की दृष्टि से वहां पर यातायात के साधन हो जायं। जैसा कि श्री ब्रजनारायण तिवारी का संशोधन है वह ४० हजार की आबादी बहुत कम है। मैं इस माने में यह कहता हूं कि जब खंड बनेंगे तो उसके लिये स्टाफ भी होगा। हम इस बात के लिये यहां पर कहा करते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो मान्यवर, जितना क्षेत्रफल खंडों का कम से कम होगा उतने खंडों की तादाद इस प्रदेश में ज्यादा होगी और उतने ही एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर हमको बढ़ाने पड़ेंगे। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हैवी बनता चला जायगा। इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

एक बात और इसमें कही गई। इसमें जो यह पिछला संशोधन है उसको मैं समझ नहीं पाया कि वही सिद्धान्त जिला स्तर पर भी लागू होगा इसका क्या अर्थ है? जिले के स्तर पर उसका क्या अर्थ है? क्या वह जिला स्तर पर कोई कमेटी चाहते हैं? जो आज का सेट अप है उसमें सभी दलों के आदमी हैं, पुरानी प्लानिंग कमेटियां तो शायद अब हैं भी नहीं, और आइन्दा भी जो जिला परिषद् बनेगी उसमें हम लोगों के आदमी रहेंगे। तो जिला परिषद् की बात समझ में नहीं आती। वह चाहते हैं कि प्रदेश के स्तर पर कोई कमेटी बने। तो इसमें प्राविजन भले ही न हो लेकिन सरकार नियम बनायेगी कि खंडों का किस तरह से विभाजन हो, उसके लिये क्या तरीका अपनाया जाय, यह चीज अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन केवल इसीलिये हम सरकार के हाथों को बांध दें, यह कुछ मुनासिब नहीं होगा। यूं तो जब यह प्रदेश की सरकार है तो यह किसी एक दल की सरकार नहीं है। जितने भी दल यहां हैं उन सब को यह रिप्रेजेन्ट करती है। जिस दिन सरकार बन गयी उसको अधिकार हो जाता है तमाम लोगों को रिप्रेजेन्ट करने का और सही माने में करना भी चाहिये। इसके अलावा भी सरकार का फर्ज होगा कि जब खंड बनें तो वह ध्यान में रखेगी कि कहां लोगों को असुविधा होती है, उसको दूर करना चाहिये और इसलिये यह जो तीन संशोधन पेश किये गये हैं, मेरा निवेदन है कि उनकी आवश्यकता नहीं है और जो आशंका है वह निर्मूल और निराधार है।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधनों के विरोध में खड़ा हुआ हूं और यह इसलिये कि मैं यह समझता हूं कि यह जो संशोधन आये हैं और उनके समर्थन में जो बहस हुई है वह सब गलतफहमी पर हुई है और शायद इसलिये हुई है कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य कुछ अंधेरे में भी हैं और मैं यह भी समझता हूं कि इसका उत्तरदायित्व सरकार पर है और जिसने इसको ड्राफ्ट किया है उनके ऊपर है।

श्रीमन्, इस धारा में लिखा है कि खंडों को विभाजित करेगी और आगे आप जहां देखें वहां लिखा है कि कर सकती है। तो शायद यह भ्रम हो गया है कि यह कोई डिलिमिटेशन आफ कांस्टीट्यूएन्सीज होगा और ऐसा कहा भी गया। जिला फैजाबाद के माननीय सदस्य ने ऐसा कहा भी। यह डिलिमिटेशन आफ कांस्टीटयूएन्सी नहीं होने जा रहा है। कांस्टीटयूएन्सीज निर्धारित हो चुकी हैं और वह हैं ग्राम सभायें। अब सवाल यह है कि आपकी जो क्षेत्रीय समिति होगी उसकी सीमा क्या होगी? जो लोग इस प्रश्न पर अंधेरे में हैं उनके लिये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को उन्हें बताना चाहिये था कि हमारा इरादा यह था कि जो ब्लाक खंड हैं उनकी सीमायें ही यहां रहेंगी। किन्हीं खंडों में कोई तब्दीली नहीं की जायगी। हां, अगर कहीं कोई असुविधा हो तो उसे ध्यान में रख कर सीमा में कुछ हेरफेर किया जा सकता है।

श्रीमन्, इसी गलतफहमी के कारण, अंधेरे में रहने के कारण, फैजाबाद के माननीय सदस्य को यह कहना पड़ा कि उनको इस ओर के बैठने वालों की बुद्धि पर आश्चर्य होता है और उन्होंने इसीलिये उधर के बैठने वालों की नीयत पर हमला किया। मैं उनकी नीयत पर कोई हमला नहीं करता, मैं यह नहीं कहता कि सरकार इसमें देर करना चाहती है या देर करेगी। लेकिन यह सच है कि जब हम और आप उत्सुक हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो जायं और जैसा कि अभी कहा गया इतने वर्षों के बाद तो यह जिला बोर्ड का विधेयक आया है और उसमें भी अगर इसी प्रकार की अनावश्यक चीजें रख कर देर की जायगी, दो तीन महीने की, तो वह उचित न होगा। यदि आवश्यकता होती तो मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि उधर के बैठने वाले भी उनका समर्थन करते। लेकिन यह बिलकुल मानी हुई बात है कि जो ब्लाक खंड हैं उनके आधार पर ही क्षेत्रीय समितियां बनेंगी और ग्राम सभाओं, पंचायत क्षेत्रों और ब्लाक के खंड निर्धारित हैं ही। तो अब अगर कहीं कोई असुविधा है तो वह ठीक हो सकती है।

अभी दरिया और पहाड़ की बात कही गयी। मेरे चुनाव क्षेत्र में ही छोटी-मोटी चार दरियायें हैं और किसी न किसी को कहीं जाने के लिये दरिया पार करना ही पड़ेगा। चुनाव क्षेत्र दरियाओं का हिसाब लगा कर ही बनाये जायं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो जैसे वे ब्लाक समिति में आते थे वैसे ही क्षेत्रीय समिति में भी आयेंगे।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए।)

तो मेरा यह निवेदन है कि पहले इस पर माननीय सदस्य सोचें। इस संशोधन की कोई आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैंने तो माननीय मदन पांडेय जी ने जो डिलिमिटेशन आफ कान्स्टीटचूएन्सीज के बारे में कान्सीटचूशन कोट किया था, उसका जिक्र किया था और यह कहा था कि मैं उनके सिद्धान्त से सहमत हूं। माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने जो कहा उससे उसका कोई वास्ता नहीं था।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुझे माननीय नवलकिशोर जी तथा सुरेश प्रकाश सिंह जी के भाषण को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। माननीय नवलकिशोर जी ने तो इसका एक तरह से समर्थन ही किया, किन्तु केवल विरोध करने के लिये विरोध जरूर किया। एक बात तो उन्होंने बड़े आश्चर्य की कही, और उस पर वे फिर जरा सोचें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सरकार जब बन जाती है तो वह सर्वदलीय होती है।

श्री नवलकिशोर—मैंने यह कहा था कि होनी चाहिये।

श्री गेंदासिंह—खैर, बात तो उनकी यह बहुत अच्छी है, लेकिन जब वह उनके घर में ही नहीं हो पा रहा है, माननीय नवलकिशोर जी जिस दल में हैं, उसी में वह नहीं हो पा रहा है, तो और जगह कैसे हो जायेगा?

श्रीमन्, मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय मदन पांडेय जी का है, यह बड़ा पवित्र संशोधन है इसलिये मैं यह आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी मुझे सुनने की कृपा करें। यह संशोधन किसी राजनीतिक प्रोपेगेन्डे के लिये या पब्लिसिटी के लिये नहीं है। सेलेक्ट कमेटी में न भेजने की बात को हम भी मान गये और इसलिये मान गये कि जल्दी से जल्दी ग्रामवासियों की एक संस्था, उनका एक संगठन बने, जिससे वह अपना काम-धन्धा चला सकें। श्रीमन्, मैं अपने निजी तजुर्बे से बताना चाहता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

देवरिया जिले में दो ब्लाक्स बने हुये हैं---एक ४ मील पर है और दूसरा ३ मील पर है। दोनों ब्लाकों में मेरा गांव नहीं आया है यद्यपि वह उसी के पास है। लेकिन १३ मील पर एक विशिष्ट व्यक्ति का घर है और वह उन ब्लाकों में पड़ता है। मेरा घर तीन मील पर है, वह उस ब्लाक में नहीं है, लेकिन उसका घर १३ मील पर होते हुए भी उसमें है। तो सरकार को इस असुविधा को दूर करना चाहिये। सरकार सब चीजों की कस्टोडियन है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है उसका कोई अर्थ है? उस बुनियाद पर यह समिति नहीं बनाते। यह कमीशन ऐसे संशोधन पेश करता है, ऐसी सिफारिशें करता है जिनको पार्लियामेन्ट एडाप्ट कर लेती है इसलिये यह बात कही गयी है कि एक समिति बनायी जाय जिसमें सभी दलों के बराबर-बराबर लोग हों। उसमें कोई मामला इस तरह से फैसल नहीं होगा जो कि कोई दल के आधार पर हो। सरकार को तो पूरा अधिकार रहेगा। उसकी हैसियत तो केवल सिफारिश करने की ही होगी।

फिर माननीय नवलकिशोर जी जरा इस बात को याद करें कि उन्होंने स्वतः इस बात को कबूल किया कि सरकारी नौकरों की टेंडेंसी है कि सड़क के किनारे जहां वह सुभीते से रह सकें वहां ब्लाक का आफिस करते हैं और हदबन्दी तय करते समय इस बात को ध्यान में रखते हैं। इसलिए मैंने मदन जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। यही नहीं, कई संशोधन इस प्रकार के हैं, आचार्य दीपंकर का है, प्रताप सिंह जी का है। तो इन सब पर विचार करके विचार-विनिमय करते समय कोई ऐसी चीज निकलनी चाहिए कि जिससे लाभ हो। सेलेक्ट कमेटी में न जाकर इस सदन में ही हमने सोचा है कि जल्दी करेंगे। सुरेशप्रकाश सिंह जी को खतरा नहीं होना चाहिए कि हम देर करना चाहते हैं। इसलिए पहले प्रदेशीय स्तर पर इस बात को एक समिति तय कर लेगी जिसमें जिले के मामले में झगड़ा ही न हो। हम वहां बैठ कर ठीक ढंग से ग्रामों का ब्लाकों में बटवारा कर सकते हैं और जब लोग उसमें बराबर होंगे तो किसी राजनीतिक दल की इच्छानुसार बटवारा नहीं होगा। हो सकता है कि जो बटवारे इस समय हुए हैं वही मान लिए जायं। जहां पर अनुचित हुए होंगे और असुविधापूर्ण होंगे उनको ठीक कर लिया जायगा। एक बुनियादी चीज हम बनाने जा रहे हैं, उसको बिगड़ने से हम बचा सकें, इसी गरज से यह संशोधन लाया गया है। मुझे आशा है कि श्री शर्मा जी और श्री वर्मा जी भी इस पर विचार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, विवाद के स्वाद की रक्षा के लिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसके विषय में और आगे नहीं बढ़ना चाहिये। वैसे तो मीठा भी अच्छा लगता है और खटाई भी, लेकिन कभी-कभी दोनों साथ में खाने से स्वाद बिगड़ जाता है। जो वास्तव में नियम के सम्बन्ध में चीज हो और उसे हम विधेयक में लाना चाहें और अनिवार्य रूप से रखना चाहें तो उसमें असंगतता का दोष उत्पन्न हो जाता है। "खंड" शब्द का प्रयोग हुआ है। वह कैसे, कहां साकार होगा इस पर मन्त्री जी को व्यापक रूप से विचार करना चाहिये। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय सदस्यों ने नियम के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये हैं, वे नियम बनाने के समय लागू होंगे। यह भुलाया नहीं जा सकता कि इन केन्द्रों की स्थापना में बहुत बलाबल का प्रयोग होता है। प्रभावशाली दल ने वहां अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है, इसमें दो रायें नहीं हैं, लेकिन हमको अपने सामने यह दृष्टिकोण रखना है कि आया हमें विकास करना है या चुनाव के दृष्टिकोण को सामने रखना है। ब्लाकों की व्यवस्थायें विविध प्रकार की हैं। कोई एक वर्ष, दो वर्ष का है, कोई पूर्णता को प्राप्त हुआ है। विकास के खंडों का एक इतिहास हो चुका है और अगर चुनाव को दृष्टिकोण में हम रखते हैं तो सारे प्रदेश में एक चंचल और कुतूहल-पूर्ण वातावरण उत्पन्न करके हम आगामी १९६२ के चुनाव में उसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि फरवरी, १९६१ के प्रलोभनकारी शब्दों को भूल जाना चाहिये। फरवरी

में चुनाव हो जायं इस विचार से हरी, हेस्ट ऐन्ड कन्फ्यूजन में विचार नहीं करना चाहिये। मैं इसे अनावश्यक समझता हूं।

फरवरी में चुनाव हों या न हों, लेकिन हमें अपने पथ पर दृढ़ रहना चाहिये और इसीलिये इस विधेयक पर विचार करते समय कोई खिलौना हमारे सामने नहीं आना चाहिये। मैं अपील करता हूं कि यह खंड बहुत महत्वपूर्ण है और यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको यहां नहीं लाना चाहिये और हमारे आदरणीय मन्त्री जी को भी इतना बल लाना चाहिये और अपने उत्तर भाषण में बताना चाहिये कि नियमों को बनाते समय वे किन-किन बातों की ओर ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं इस वक्त तो संशोधन के लिये साग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने दृष्टिकोण को विकास खंडों से हटावें नहीं। जो विकास खंड विविध स्थानों पर बने हुये हैं उनके विकास कार्यक्रमों पर हमें ध्यान देना चाहिये। जहां कहीं असंगत बातें आ गई हैं उन पर हमको विचार करना चाहिये। सारे प्रदेश की स्थिति को देखते हुये नियम बनाते समय सारी बातों पर मन्त्री जी को विचार करना चाहिये और इस समय जो विचार प्रकट किये जा रहे हैं यह नियमों के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन पर अवश्य मन्त्री जी को विचार करना चाहिये। किन्तु यदि हम उनको विधेयक में रखना चाहते हैं तो उसमें दोष हो जायगा क्योंकि एक बार जो विधेयक में रख जाता है उसको हटाना मुश्किल हो जाता है और न्यायालयों में निर्णयों का उनके इन्टरप्रिटेशन्स का विषय हो जाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि नियमों को व्यापक बनाना चाहिये और कहां-कहां पर क्षतियां हुई हैं और कहां-कहां, किस-किस प्रकार का नियम उनके लिये बन सकता है, नियमों के बनाते समय उन सब का विचार करना चाहिये, लेकिन इस समय सीमा के निर्माण करने का प्रश्न अनावश्यक है और बजाय खंडों के बनने के, उनके विकास होने के चुनाव के जंजाल में हम फंस जायंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसे संशोधन को प्रस्तुत नहीं करना चाहिये। हां, विचार प्रकट हो गये हैं उनको नियमों में समावेश करना चाहिये।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मैं, अधिष्ठाता महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---अभी कम्युनिस्ट पार्टी के कोई सदस्य नहीं बोले हैं इसलिये मैं भीखा लाल जी को अवसर देता हूं। उसके बाद में यह प्रस्ताव आये।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय मदन पांडेय जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसके समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय सुरेशप्रकाश जी ने अभी कहा कि यह संशोधन किसी गलतफहमी के मातहत लाया गया है और विरोध पक्ष के लोगों को कुछ भ्रम है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर खंड ३ सरकार ने भ्रम के मातहत रक्खा है तो हम जरूर भ्रम में हैं, लेकिन अगर सरकार ने जान-बूझ कर इसे रखा है तो मैं समझता हूं कि हमारा भी संशोधन भ्रम में नहीं है और वह किसी समझदारी की बिना पर है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक जिले में विकास खंड हैं और उनकी सीमा निर्धारित है, लेकिन क्यों सरकार आवश्यकता महसूस करती है कि इस परिषद् के निर्माण के सम्बन्ध में उन विकास खंडों की सीमाओं को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, उनके नामों को चेंज करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

अभी तक जो विकास खंड बनाये गये हैं वे विकास की दृष्टि से तथा ऐडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से बनाये गये हैं, लेकिन अब उन विकास खंडों में परिषद् के चुनाव होने जा रहे हैं और विधेयक के मातहत विकास खंड ही निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इसलिये चुनाव के दृष्टिकोण को भी देखना चाहिये। ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है कि उन विकास खंडों की सीमाओं को निर्धारित किया जाय। जब हम यह जानते हैं कि उनकी सीमायें बनेंगी तो जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है उसकी भी आवश्यकता होगी और यह उचित होगा कि सीमायें बनाई जायं और उनके अनुसार उन खंडों की सीमायें निर्धारित की जायं। ये खंड जो हर जिले

[श्री भीखालाल]

में बने हुये हैं उनका निर्धारण प्रत्येक जिले की विकास समितियों द्वारा किया गया था, लेकिन अब जो सीमायें निर्धारित होंगी, जो रद्दोबदल होगा उसके लिये राज्य सरकार ने पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। मैं नहीं समझ पाया कि पहले आफिशियल और नान-आफिशियल के जरिये से जो काम किया जाता था और जो सिद्धान्त माना जाता था, उसको क्यों समाप्त किया जा रहा है और अब यह क्यों रखा जा रहा है कि केवल अधिकारियों की सलाह से डिलिमिटेशन किया जायगा ? जनरल एलेक्शन्स में जब इस प्रकार का प्रश्न पैदा होता है तो सारी पोलिटिकल पार्टीज की राय ली जाती है। यहां तक कि पोलिंग स्टेशन और पोलिंग सेन्टरों के तय करने में पोलिटिकल पार्टीज की सलाह ली जाती है। यह तो एक बड़ा भारी आधार बनाया जा रहा है। जबकि इस विधेयक के जरिये से विकेन्द्रीकरण की बात की जा रही है तो फिर यह चीज क्यों अधिकारियों के हाथ में सौंपी जा रही है और जनता को पार्टियों से इसमें सलाह क्यों नहीं ली जा रही है ? मैं समझता हूं इसके पीछे कोई बड़ी भारी सैद्धान्तिक बाधा नहीं होनी चाहिये। यह बहुत ही उचित संशोधन है और इसका टकराव किसी उसूल से नहीं होता है। इसलिये एक सलाहकार समिति बनाई जाय जिसके मशविरे से यह किया जाय। खाली अधिकारियों के हाथ में इस चीज को छोड़ देना उचित न होगा। जैसा कि मिश्र जी ने कहा, जो ब्लाक बनाये गये हैं उनमें भी बहुत-सी गड़बड़ियां हैं। अतः इसको जनवादी बनाने के लिये और विकेन्द्रीकरण की भावना का उसमें पुट देने के लिये माननीय मन्त्री जी को इस पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह---आन ए प्वान्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अधिष्ठाता---आप बैठें, कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह---श्रीमन्, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। आप देखें कि जितने भी माननीय सदस्य उधर से बोल रहे हैं वे हमारे "भ्रम" शब्द का मतलब गलत लगा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---इसमें कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। अगर कोई गलत समझता है तो उसको समझने दीजिये।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह---मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया था। मैंने तो स्वयं ही कह दिया था कि इसका उत्तरदायित्व हमीं पर है.....

श्री अधिष्ठाता---मेरा खयाल है आप बैठें।

श्री हिम्मतसिंह---अधिष्ठाता महोदय, इस खंड पर जो बहस चल रही है, मेरा विचार है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिये और यह सुविधा गांव सभाओं को दी जानी चाहिये कि वह किस खंड में शामिल होना चाहती हैं। इसके लिये किसी समिति के बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक गांव सभा जानती है कि किस खंड में मिलने से उसका उपकार हो सकता है। क्षेत्र समिति के लिये इसी प्रकार के खंडों को भी पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह चाहे जिस क्षेत्र में मिले। इसके लिये समिति बनाने का कोई औचित्य मालूम नहीं पड़ता।

आज इसमें जनरल एलेक्शन की बात घुसेड़ी जा रही है जब कि उससे इसका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। माननीय ब्रजनारायण जी ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि हमारा पोलिंग स्टेशन कितनी दूर पड़ता है, इसके अतिरिक्त हमें आने-जाने की सुविधा को देखना होगा। यह तो निरीक्षण अधिकारी स्वयं देखता ही है और इसके लिए पोलिटिकल पार्टीज से सजेशन्स मांगे जाते हैं। हां, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि कोई गांव कई मुहालों में विभाजित होता है तो उसमें कई पटवारी होते हैं, इसके कारण से वह कई पोलिंग स्टेशनों में बंट जाता है। इस लिये माननीय मन्त्री जी इस पर विशेष ध्यान दें कि ऐसे गांव को सुविधा प्रदान की जाय क्योंकि अलग-अलग पोलिंग स्टेशन होने से दिक्कत पैदा हो जाती है।

आज हम यह देखते हैं कि इन खंडों के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना चल रही है इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की बात सोचते हैं तो इन खंडों का एक एरिया होगा। इस बात से साफ प्रत्यक्ष है कि इसका जो मुख्य कार्यालय है वह केन्द्र में स्थापित हो जिससे प्रत्येक गांव करीब-करीब समान दूरी पर पड़ जाय जिससे आगे आने वाले समय में हम उनको तमाम सुविधायें दे सकें। अगर खंडों के अन्दर मुख्य कार्यालय केन्द्र में स्थापित होगा तो गांव के प्रत्येक आदमी को केन्द्र से अपना सम्बन्ध स्थापित करके, अपने सुख-सुविधा की सामग्री प्राप्त करने में आसानी होगी क्योंकि हम समझते हैं कि खंडों का जो मुख्य कार्यालय होगा वहीं पर डाकखाने, बीज गोदाम तथा और भी कितने कार्यालय होंगे। ऐसी सूरत में प्रत्येक गांव से मुख्य कार्यालय की दूरी बराबर होना अनिवार्य है। लिहाजा जो हमारे सामने समितियों और क्षेत्रफल तथा दूरी के मामले विचाराधीन हैं, खंडों के कार्यालय केन्द्र में कर देने से ये सारी की सारी चीजें समाप्त हो जायेंगी तथा गांव की जनता की सुविधा के लिये ब्लाक कमेटी आदि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी। इस हिसाब से मैं श्री मदन पांडेय तथा श्री प्रतापसिंह व श्री ब्रजनारायण तिवारी के संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री वंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने साथी श्री मदन पांडेय के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने खंड ३ में बातें कही हैं, मालूम नहीं किस रूप में आप खंड बनावेंगे, इन खंडों का क्या अर्थ होगा इनसे क्या काम लेंगे। अगर आप चुनाव के लिये क्षेत्र बनावें तो इतनी दूरी से चुनाव तो होगा नहीं क्योंकि हमारे जिले में तो एक ऐसा खंड है जो ४० मील लम्बा और ३ मील चौड़ा है। इसीलिये मैं कहता हूं कि आप चाहे ऐसे जितने भी खंड बना लें उनसे मनुष्य का हृदय तो जरूर खंडित हो जायगा लेकिन उनसे लाभ कोई नहीं होगा। तो मैं श्रीमती सरकार आलिया से यह कहना चाहता हूं कि यह ऐसा कार्य क्यों किया जा रहा है जिसका कोई अर्थ न हो? यों तो जैसा कि अभी तक उसका क्रम चलता था वह यह था कि पांच पंचायतों का एक अदालती पंचायत क्षेत्र हो, ५ या १० पंचायती अदालतों के ऊपर एक इंस्पेक्टर का क्षेत्र हो और उस इंस्पेक्टर का जो क्षेत्र होगा वही दो या तीन क्षेत्रों का एक ब्लाक माना जायगा। और अभी तक जैसा कि बतलाया गया था १०० गांवों का एक ब्लाक बनेगा और उसमें १२ लाख रुपया खर्च होगा और उसी खर्च के आधार पर जनता को सहूलियतें पहुंचाई जायेंगी। मगर अभी तक तो ब्लाक के द्वारा जनता को कोई सहूलियत नहीं मिली है और न आगे मिलने की उम्मीद है। अब तक तो ब्लाक ने जनता को न कोई दुख दिया है और न सुख दिया है। अगर कोई किसानों के दरवाजे पर आता है तो वे उसकी बातें थोड़ी देर के लिये सुन जरूर लेते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। यह आपकी जो सड़िल्ली अफसरावली है, जिनके जरिये आप ब्लाक बना कर जनता के लिये कोई चीज करना चाहते हैं, तो आप गलती करते हैं।

मेरा कहना यह है कि अगर आप चाहते हैं कि उस १२ लाख रुपये का सदुपयोग हो और उससे जनता को कुछ लाभ मिले तो आपको जनता की राय लेनी पड़ेगी, ऊंची-ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले सरकारी अधिकारियों की राय से न आप चल सकेंगे, न देश चला है और न आगे चलने वाला है। आपको झोपड़ों में रहने वाले आदमियों से बातें करनी पड़ेंगी। अगर यह नहीं करते हैं तो थोड़े ही दिनों में वह दशा होगी कि इन ब्लाक वालों से कोई बात भी नहीं करेगा। लाभ तो न हुआ है और न आगे होने को है।

जहां तक चुनाव करने की बात है, गवर्नमेन्ट ने अभी तक तय नहीं किया है कि वह साधारण चुनाव इसी क्षेत्र से करायेगी या अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा या प्रधानों द्वारा। अभी तक तो सरकार प्रधानों द्वारा ही चुनाव कराती थी। अगर प्रधानों द्वारा चुनाव हो तब तो वे ४० मील दूर से भी लखीमपुर ब्लाक के केन्द्र पर किसी न किसी तरह से आ जायेंगे ही, लेकिन अगर सदस्यों द्वारा वह चुनाव करायेंगी तो वे सब नहीं पहुंच पायेंगे और अगर वह साधारण जनता द्वारा चुनाव करायेंगी तब तो कोई भी नहीं पहुंच पायेगा। या तो आप पटवारी के क्षेत्र को खोजिये या परगनावाइज लीजिये या तहसीलवाइज रखिये। या कोई और ऐसा

[श्री बंशीधर शुक्ल]

नदियों का घेरा लिया जाय, सड़कों का लिया जाय, कुछ तो लिया जाय। मगर दिमाग में जो कुछ तुगलक जैसी सनक सवार हो गई, आपके अफसरों ने जो कह दिया, उसे आपने मान लिया। देखने और सुनने को बड़े सुन्दर ढंग से कागज छपवा देते हैं, बड़ी सुन्दर भाषा और बड़े सुन्दर अक्षर होते हैं। लेकिन है क्या? जैसे दुशाले में लिपटी हुई आग।

इसलिये मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इन ब्लाकों से कोई उद्धार नहीं होगा। यह जो १२ लाख रुपया है उसका सदुपयोग कीजिये। जनता से राय लीजिये और ब्लाक ऐसे ढंग से बनाइए जिससे लाभ हो सके। अधिकारियों को हिदायत दीजिये कि बिलकुल साहब बनकर जनता के सामने न आवें। जनता उनको बड़ी सतर्कता से देख रही है और उनके कृत्यों की नाप-तौल कर रही है। बस, यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)---अधिष्ठाता महोदय, मैं मदन पांडेय जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ब्लाक जिस आधार पर आज बनाये गये हैं उनको देखकर ताज्जुब होता है और मन्त्री महोदय ने अभी उसी के आधार पर ब्लाकों का निर्माण करने की बात कही है। मैं जिला इटावा की बात जानता हूं। एक चकरनगर ब्लाक है जो यमुना, चम्बल और क्वारी नदियों के बीच पड़ता है। जो पहले अयाना ब्लाक था उसको तोड़ कर तीन-चार बड़ी नदियों के बीच में डाल दिया गया है। कम से कम १५-२० मील की दूरी में आ गया। इस तरह से जनता के सही नुमाइन्दों की सही राय नहीं पहुंच सकती। अजीतमल और औरैया के बीच में दलेलनगर एक ग्राम है, उसे औरैया ब्लाक में कर दिया है और मुरादगंज जो औरैया ब्लाक में होना चाहिये था उसे अजीतमल ब्लाक में कर दिया है। यह इस कारण से हुआ कि अधिकारी लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही अपने मन से कर देते हैं। अगर कहीं उनको यह अधिकार न देकर समितियों को और ग्राम पंचायतों को दिया जाता तो अच्छा होता।

हमारे जिला इटावा में तो सारे हिन्दुस्तान का सबसे अगुआ केन्द्र है महेवा, जिसके विकास के लिये बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं। मैं उसी ब्लाक का रहने वाला हूं। ब्लाक के काम की जितनी दुहाई सरकार की तरफ से दी जाती है, असल में वह है कुछ नहीं। सिर्फ दिखावटी नक्शा बना दिया जाता है जब कभी बाहर के लोग वहां आते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जनता द्वारा चुने हुये जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं की राय के आधार पर ब्लाकों का गठन किया जाय, उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम हो सकता है और बड़े अच्छे ढंग से ब्लाक बन सकते हैं। इसलिये क्षेत्रीय समिति का गठन वहां के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाय ताकि ब्लाक सुचारु रूप से कार्य कर सकें। इन शब्दों के साथ में मदन पांडेय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री मदन पांडेय---अधिष्ठाता महोदय, कल से इस संशोधन के प्रस्तुत करने के बाद बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया और उनमें से मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि अधिकांश ने मेरी भावनाओं का समर्थन किया, जो मैंने संशोधन पेश करते समय प्रकट की थीं।

मैं सबसे अधिक कृतज्ञ श्री सुरेशप्रकाश जी का हूं जिन्होंने इस तरफ के लोगों को अंधकार में समझकर कुछ प्रकाश दिया और उस प्रकाश में हमें कई अद्भुत चीजें देखने को मिलीं। हमने यह भी देखा कि जिन माननीय नवलकिशोर जी को लगभग सभी बातों में सरकार से मतभेद रहता था आज मालूम होता है जैसे खादी जोर मार गई और इस विधेयक में उन्हें गुण ही गुण दिखाई पड़े। जो माननीय रामलक्षण जी प्रायः प्रत्येक बात पर सरकार का समर्थन करते हैं उन्होंने आज जो तर्क विरोधी दलों की ओर से इस संशोधन के संबंध में दिये उनमें उन्हें बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सा सार दिखाई पड़ा और उन्होंने यह उपालम्भ दिया मंत्री जी को कि उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिये कि नियमों में किन-किन बातों का प्राविधान करने जा रहे हैं । बहरहाल, मैं कृतज्ञ रहते हुए राजा साहब से कहूंगा कि जो प्रकाश उन्होंने हमें प्रदान किया था उसी में हमने यह भी देखा कि यद्यपि इस खंड में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जिन शंकाओं को प्रकट किया था—निर्वाचन शब्द के न आने पर भी उन्हीं खंडों को निर्वाचन के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जायगा तथा इस संबंध में जो निवेदन किया था उसका समर्थन स्वयं मंत्री जी के द्वारा हुआ । स्वयं मंत्री जी ने ही कहा कि जो वर्तमान खंड बने हुए हैं हम उन्हीं को आधार मानकर चुनाव करायेंगे । जो उनका समर्थन है उसी से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है, इन खंडों में उलट-फेर का जो प्राविधान किया गया है उसकी खास मंशा यह है कि इसी के आधार पर चुनाव कराया जाय ।

जब एक बार यह मान लिया जाता है कि चुनाव कराना ही इसका उद्देश्य है तो फिर इसके प्रति जनता में जो जागरूक अंग हैं उन्हें निश्चित रूप से अपनी शंकाओं के समाधान की व्यवस्था की मांग करने का हक है और वह व्यवस्था इस देश की पार्लियामेंट जैसी संस्था ने जिस को यह अधिकार था कि वह इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हों, मार्ग प्रदर्शन किया है। मैंने अपने संशोधन को प्रस्तुत करते समय कहा था कि देश के पैमाने पर आम चुनाव का जो महत्व होता है उससे किसी प्रकार भी कम आज प्रदेश के पैमाने पर जिला समितियों के चुनाव का महत्व नहीं है । १३ साल का शासन या कुशासन जो रहा उसके बाद जो नई बात होने जा रही है इस प्रदेश में वह जिला समितियों का संगठन है और जब इस तरह से एक नई चीज बनायी जा रही है और जिस पर हमारी अरबों की स्कीम, तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसमें १०,२०० करोड़ रुपया लगने का अनुमान है अगर उसकी आधार भित्ति जो जिला परिषदें संगठित करने जा रहे हैं उनके चुनाव अगर निष्पक्ष नहीं होते, जनता को वह चुनाव यदि आश्वस्त नहीं कर सके तो सब किया धरा बेकार हो जायगा और यह चीज डेमोक्रेसी के हक में कोई उचित बात न होगी ।

मुझे राजा साहब खजुराहट के संबंध में कुछ नहीं कहना है । मुझे दुख है मेरी बात का मतलब उनकी समझ में नहीं आया । मेरी बात हिम्मतसिंह जी की समझ में भी नहीं आयी और उन्होंने न केवल मेरे बल्कि तीनों ही संशोधनों का विरोध किया । मैंने स्वयं उनका तर्क नहीं सुना इसलिये उनका उत्तर नहीं दे सकता लेकिन मैं उनसे कहूंगा यह संशोधन निरीह है, मासूम है और जिला परिषदों और क्षेत्रीय समितियों का जो चुनाव होने जा रहा है उनमें कोई कमी रह गई हो इस शंका को मिटाने के लिये बहुत आवश्यक है और उन्हें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिये । मैं समझता हूं माननीय गेंदासिंह की मार्मिक अपील और दोनों तरफ के जो अधिकांश सदस्य बोले हैं उसे देखते हुए मंत्री जी को, जो गांधीवादी विचारधारा के प्रतीक इस मंत्रि-मंडल में समझे जाते हैं उस गांधीवादी विचारधारा को, जिसका लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना करना जिसमें एक धोबी के कहने पर सीता जी को राम ने निर्वासित कर दिया था कलंक से बचने के लिये, सिद्ध करने के लिये माननीय मंत्री इस मासूम संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

*श्री प्रतापसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए माननीय सदस्यों की वह दलील नहीं आई जिसमें वे कहते हैं कि खंडों का नया रूप देने के लिये समिति की आवश्यकता नहीं है । जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधारभूत सिद्धान्त तय किया गया और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पदार्पण किया गया, उस समय न माननीय मंत्री जी के और न हमारे दिमाग में था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर हमको उतरना होगा । जिस समय ये खंड बने थे उस समय न बलवन्त राय मेहता कमेटी थी, न गोविन्दसहाय कमेटी थी । इसीलिये मेरी समझ में नहीं आता कि जिस जमाने के ये खंड बने हुए हैं उस समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रतापसिंह]

जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था या योजना नहीं थी। उसके बाद उधर के सदस्य ललकारते हुए कहें कि विरोधी दल के लोग अन्धकार में हैं तो उत्तर प्रदेश का विरोधी दल जितना प्रकाश सरकार को देता है सरकार उसका १/५ भी नहीं देती। माननीय मंत्री जी जो गांधीवादी हैं उन्होंने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि सच्चाई के मार्ग पर बड़ा संतोष होता है तो उनके खिलाफ हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि उनके बिल में जो खामियां हैं वे ठीक हो जायं।

आपने ये खंड बनाये तो एरिया देख कर नहीं बनाये। ४० हजार और ६० हजार पर एक ब्लाक है। तो पर्वतीय प्रदेश में भी क्या ४० हजार पर एक ब्लाक होगा? यदि ऐसा है तो चाहे कितने काबिल मिनिस्टर, बी० डी० ओ० या सदस्य चुन कर आ जायं कभी वहां की सेवा नहीं कर सकते। एक ओर हम नियोजन प्रणाली में रीजनल प्रणाली को अख्तियार कर चुके हैं। अगर आप उसे स्वीकार कर चुके हैं तो विभिन्न खंडों के लिये विभिन्न प्रकार के खंड बनाने होंगे। ४० हजार और ६० हजार का सिद्धान्त मान कर न जिला परिषद् काम कर सकती है, न विकास परिषद् काम कर सकती है और न बी० डी० ओ० काम कर सकते हैं। जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण सफल हो इसके लिये हमारे देश पर आज दुनिया की आंखें लगी हुई हैं। १२ साल से हमारे यहां जनतंत्र चल रहा है और बहुत से लोग सोचते हैं कि जनतंत्र कैसे आगे बढ़ रहा है। पर्वतीय इलाकों में पापुलेशन की बेसिस पर खंड नहीं बनने चाहियें।

मैं मदन पांडेय जी के संशोधन का समर्थन करते हुए सुझाव देना चाहता हूं कि जो समिति बनाई जाय चाहे उसमें आप सारे कांग्रेसी ही रख लीजिये। समिति बनाइये तो गजेट नोटिफिकेशन कौन करेगा? एक आफिसर कर देगा। यह हमारा संशोधन ऐक्ट की स्पिरिट के अनुकूल है और जो इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, चाहे वे माननीय मंत्री ही क्यों न हों, वे इस ऐक्ट की स्पिरिट के खिलाफ बात कर रहे हैं।

विकेन्द्रीकरण क्या है? जनता के हाथ में जनता का इन्तजाम देना। मान्यवर, अगर आपने इन्कलाब उठाया तो आपके यहां एक ब्लाक खुल गया और अगर हमारे अजनारायण तिवारी जी उतनी आवाज नहीं उठा पाये तो उनके यहां नहीं खुला। तो कहने का मतलब यह है कि ये ब्लाक नियोजन प्रणाली के आधार पर नहीं खुले। जब आप जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं तो इसकी नितान्त आवश्यकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि विरोधी दल ने यह संशोधन रखा है। काश यह संशोधन ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ़ से माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट या माननीय सुरेशप्रकाशसिंह या माननीय अतीकुल रहमान साहब ने पेश किया होता तो जरूर मन्जूर हो जाता। फिर भी मुझे उम्मीद है कि जनतांत्रिक विकास के लिये माननीय मंत्री जी मेरे इन विनम्र शब्दों को स्वीकार करेंगे जिससे सच्चे माने में हम जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करने में सहायक हो सकें।

श्री अजनारायण तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, हमारे संशोधन के सिलसिले में जिन सदस्यों ने अपने भाव व्यक्त किये हैं मैं उनका आभारी हूं। मैं मंत्री जी से फिर एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गांधी जी के शब्दों में गांव की ओर चलो, स्वतंत्रता की ओर चलो, विकेन्द्रीकरण की ओर चलो, समानता की ओर चलो, उसमें यह एक कड़ी है और इस कड़ी को पूरा करने के लिये यह संशोधन है।

मेरा निवेदन है कि ये जो खंड बनें इनका केन्द्र ऐसी जगह पर बनाया जाय कि उसके इर्द-गिर्द जो क्षेत्र हो वह समान दूरी पर हो। मंत्री जी ने कहा कि खर्चा ज्यादा होगा। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को जब कोई नया काम करना हो तो हिम्मत के साथ, चाहे उसमें कष्ट भी हो, करना चाहिये। इसके पहले खंड विकास क्षेत्र बना और उसकी स्थापना भी हुई, उसकी जगह भी निश्चित हुई, लेकिन किसी कांग्रेसी या बड़े आदमी के कहने से, किन्हीं शहरों को देख कर वहां स्थापित कर दिया गया, यह नहीं देखा गया कि इससे जनता

को सुविधा होगी या नहीं । ये जो खंड बनाये गये हैं वहां खाद लाने के लिये, बैठक में जाने के लिये अगर किसी गांव की जनता को एक रोज से ज्यादा समय खर्च करना पड़ा तो न कोई मीटिंग हो पायेगी और न कोई काम हो सकेगा ।

इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि या तो बुनियादी परिवर्तन करें और ऐसा परिवर्तन करें कि अधि ८ से अधिक ५–६ मील की दूरी पर उसके इर्द गिर्द गांव हों ताकि विकास की इकाई अच्छे ढंग से काम करे । अगर इस बात को मंत्री जी नहीं स्वीकार करते तो फिर मैं निवेदन करूंगा कि अब से जो केन्द्र बने वह ऐसी जगह पर स्थापित किया जाय जो बीचोबीच में हो । अगर इसमें खर्चे की बात करते हैं तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि उसका स्थान केन्द्र में बना दिया जाय और केन्द्र में बनाने से जो लाभ होगा वह प्रत्यक्ष है । विकास कार्यक्रमों के अनुसार लोगों को बीज लाना होता है । मैं अपने यहां की बात बताऊं । हमारे यहां एक तमकुही ब्लाक है और वहां से अपने क्षेत्र में जाने के लिये सिउरही ब्लाक, दुद्धी ब्लाक व पडरौना पार करना पड़ता है । मैं फिर अर्ज करूंगा कि या तो पुनः केन्द्र बना दिया जाय या अगर केन्द्र बन गये हों तो उसके चारों तरफ़ उसका क्षेत्र बनाइये । अधिष्ठाता महोदय, इससे सरकार का खर्चा बहुत कम होगा क्योंकि बी० डी० ओ० को गाड़ियां मिली हुई हैं और उसको अगर चाय पीनी है, हवा खानी है या पेशाब करने जाना है तो गाड़ी में जाता है और अगर ५ मील से ज्यादा जाता है तो भत्ता बनायेगा । मैं निवेदन करूंगा कि खर्चा कम करने के लिये यह एक रास्ता है कि केन्द्र ऐसे स्थान पर बने जो पांच मील से दूर न हो तो फिर खर्चे का सवाल कहां पैदा होता है ? आप क्यों किसानों के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर खर्चे का बोझा डालना चाहते हैं ? आप चाहते हैं कि उनको पैसा मिला करे, चाहे काम हो या न हो । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं होगा ।

आपकी जो जिला परिषदें होंगी उनमें ज्यादा संख्या न बढ़ सके इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि ४० हजार से अधिक जनसंख्या न हो ताकि कम संख्या में लोग वहां जा सकें और वहां शान्ति-पूर्वक विचार हो सके । अगर संख्या अधिक होगी तो बेमतलब की बात होगी और काम नहीं होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन रखता हूं और आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती अगर मैं विरोधी दल की किसी माकूल बात को मान सकता । लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि उधर से माकूल बात आती नहीं है, मैं क्या करूं । ऐसी बात की आशा वे करते हैं कि अगर रामराज्य स्थापित हो जाय तो सीता जैसी जगत् माता को निष्काषित कर दूं । अगर मैं ऐसी बेवकूफी करूंगा तो बुद्धि यानी सरस्वती देवी का निष्कासन करना होगा । क्या वह यकीन करते हैं कि इन सुझावों से माकूल खंडों का बंटवारा हो जायगा ? अगर उनको विश्वास है कि हो जायगा तो मेरा निवेदन यह है कि यह जगह उसके लिये नहीं है । इसके बाद हर पांचवें साल हमें यह करना पड़ेगा । जितनी बार चुनाव करेंगे उतनी ही बार इसको करना होगा । यह गलत चीज है । एक बार करने का, दो बार करने का सवाल उठ सकता है । कभी भी सवाल उठ सकता है और सरकार विश्वास दिला सकती है कि जब ऐसा महसूस किया जाय और ऐसी चीज की जा सके तो हो सकता है सचमुच में इन कांसीक्वेंसेज में बड़ी विषमता है क्योंकि खंड जब बने थे तो इस खयाल से नहीं बने थे कि कांस्टीटुएन्सी बनेंगी । आज अगर ४० हजार की आबादी पर खंड बनाये जायं तो १,५०० के करीब खंड बन जायेंगे, यानी दुगने हो जायेंगे जो नामुमकिन है किसी भी सरकार को ऐग्री करने के लिये ।

मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई सुधार करने की बात होगी और चुनाव पोस्टपोन न करना हो तो उस पर विचार किया जा सकता है । अगर कोई ऐसा खंड बना है जो ठीक नहीं है तो उसका सुधार किया जा सकता है । लेकिन खंडों की जो बनावट है वह प्लानिंग की तरफ से हुई है और उनको एडजस्ट करने में कठिनाई होगी और वह इसको कबूल नहीं करेंगे । अगर ऐसा हो जाय कि सारा सूबा खंडों से आच्छादित हो जाय तो यह ऐडजस्टमेंट आसानी से हो सकता

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

है । लेकिन वह स्थिति आज नहीं है । अगर आबादी किसी जगह बढ़ जाय या किसी जगह कम हो जाय तो खंडों को बदल सकते हैं । जब तक जिला परिषद् की व्यवस्था रहेगी तो थोड़े बहुत परिवर्तन करके रखना पड़ेगा । लेकिन जो सोच रहे हैं कि आज जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाय तो उसके लिये आर्जी चीज बनानी होगी । वह विधान के अन्दर नहीं आनी चाहिये । अगर विधान में ले आते हैं तो हर बार चुनाव के पहले इसको करना पड़ेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें । कम से कम अब इसके लिए समय भी नहीं है कि हम यह करा सकें । इतने विस्तार के साथ इस समय परिसीमन करना नामुमकिन होगा और इस संबंध में जो खर्चा होगा, तथा जो इसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन पड़ेगा, उसको हम बरदाश्त नहीं कर सकेंगे । चुनाव का ही इतना स्ट्रेन होगा कि हम मुश्किल से बरदाश्त कर सकेंगे । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन तीनों संशोधनों को वापस लें ।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं इन संशोधनों को दो बजे तक के लिए स्थगित करता हूं । खंड ४ पर संशोधन लिये जायं ।

खण्ड ४

खंडों में परिवर्तन का प्रभाव ।

४—यदि धारा ३ के अधीन कोई क्षेत्र, एक खंड से निकाल कर दूसरे में सम्मिलित किया जाय, तो ऐसा क्षेत्र, उस खंड की क्षेत्र समिति के क्षेत्राधिकार के अधीन न रहेगा जिससे वह निकाला गया हो और वह उस खंड की क्षेत्र समिति के, जिसमें वह सम्मिलित किया गया हो, क्षेत्राधिकार में, तथा उसमें प्रवृत्त नियमों, विज्ञप्तियों, आदेशों, निदेशों और नोटिसों के अधीन हो जायगा, तथा राज्य सरकार उस क्षेत्र समिति को, जिसके क्षेत्राधिकार से क्षेत्र निकाला गया हो, आस्तियों (assets) का ऐसा भाग जो वह उचित समझे, उस दूसरी क्षेत्र समिति के सुपुर्द कर सकती है और ऐसे अस्थायी आदेश तथा निदेश दे सकती है जो वह परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक खण्ड से निकाला गया क्षेत्र किसी ऐसे नये खण्ड में सम्मिलित किया गया हो जिसके लिये कोई क्षेत्र समिति संघटित न की गई हो तो, जब तक कि नये खण्ड में कोई क्षेत्र समिति कार्य करना प्रारम्भ न कर दे, उस खण्ड की क्षेत्र समिति जिससे वह क्षेत्र निकाला गया हो, उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती रहेगी और उस क्षेत्र समिति द्वारा उस क्षेत्र के संबंध में की गई कोई बात अथवा कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या प्रतिनिधान, जारी की गई विज्ञप्ति, आदेश या निदेश, निर्मित नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या योजना स्वीकृत अनुज्ञा या लाइसेंस या किया गया रजिस्ट्रीकरण भी है—नये खण्ड के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नई क्षेत्र समिति द्वारा की गई समझी जायगी और तदनुसार वह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी बात या कार्यवाही द्वारा अभिक्रांत न कर दिया जाय ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के अन्त में और 'प्रतिबन्ध यह है कि' से आरम्भ होने वाले वाक्य से पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा के उपरान्त ३० दिन के अन्दर उन ग्राम्य क्षेत्रों के पंचायतों को राज्य सरकार के सम्मुख यह आपत्ति करने का अधिकार होगा कि अमुक ग्राम क्षेत्र किसी विशिष्ट खंड में (जिसका वे नाम बतावें) सम्मिलित कर लिया जाय ।" दूसरा यह है "अथवा राज्य सरकार. . . .

श्री अधिष्ठाता—मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य एक ही मूव करें ? 'अथवा' करके मूव करना तो नियमों के विरुद्ध होगा ।

आचार्य दीपंकर—जैसी आपकी आज्ञा । जो मैंने पढ़ा है "सम्मिलित कर लिया जाय" वहीं तक ही समाप्त कर देता हूं । जो इसमें है—"और राज्य सराकार दो मास के अन्दर अपनी राय दे देगी", इसको नहीं पेश कर रहा हूं ।

मान्यवर, जो मेरा संशोधन है इसका मतलब केवल एक बात की तरफ ध्यान दिलाना है । वह यह है कि जो खंड बनाये गये हैं पुराने नियमों के अनुसार बने थे । अभी तक पूरे विधेयक पढ़ने से यह बात स्पष्ट नहीं थी कि सरकार कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती है । परन्तु अभी माननीय उपमंत्री तथा शासक पार्टी के माननीय सदस्यों की तरफ से जो वक्तव्य दिये गये उनसे यह बात प्रकट हो गई कि मौजूदा खंडों के कलेवर में राज्य सरकार का परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है । परन्तु एक बड़ी भारी समस्या है, जिसके कारण माननीय मदन पांडेय, माननीय प्रतापसिंह तथा माननीय ब्रजनारायण तिवारी ने संशोधन रखे थे । उनके पीछे यह भावना थी कि इन खंडों में बहुत सी ऐसी गांव पंचायतें सम्मिलित कर ली गई हैं कि अगर उन्हें मौजूदा खंडों में सम्मिलित रखते हैं तो उनके विकास और काम करने में जो स्वाभाविक गतिविधि होती है, उनमें वे फिट इन नहीं करती । इसलिये खंडों और क्षेत्रीय समितियों के बनाने में गांव पंचायतों को इतना अख्तियार होना चाहिये कि वह अपनी राय प्रकट कर करें कि किसी खंड या क्षेत्रीय समिति में उनको सम्मिलित किया जाय या निकाल दिया जाय ।

इस पूरे विधेयक में सरकार को कोई इस प्रकार का नियम बनाना पड़ेगा, चाहे विधेयक के खंडों द्वारा या नियमों द्वारा । यदि वे इस कार्य की उपेक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो उद्देश्य है वह मर जायगा । वैसे हठधर्मी का इलाज न मेरे पास है और न हकीम लुकमान के पास था । अगर मंत्री महोदय या उपमंत्री महोदय इसी बात पर अड़े हों कि जो ब्लाक उन्होंने बना दी है उसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं हो सकता, तो यहां हमारे अरण्यरोदन से लाभ कुछ नहीं है, लेकिन इतनी बात स्वाभाविक है कि यदि हमारे इस रोने को ठुकराकर सरकार जल्दी-जल्दी चुनाव कराना बतला कर और एक मन मोदक बातें कहकर हम को भुलावे में डालना हो तो फिर क्षेत्रीय समिति या जिला परिषद् के संगठन का कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि एक बार दिखावा कर दिया जाय कि हम चुनाव कराना चाहते हैं ।

मैं समझता हूं इस विधेयक में इस प्रकार का प्राविधान अत्यन्त आवश्यक है जिसके अनुसार ग्रामपंचायत अथवा पंचायतों में रहनेवाली जनता को इतना अख्तियार जरूर हो कि वह कह सके कि हम उस क्षेत्र समिति में सम्मिलित होना चाहते हैं और उसमें नहीं चाहते हैं । इतना अधिकार अगर उन ग्रामों की जनता को नहीं दिया जाता है तो यह बड़ा भारी अन्याय है । इसलिये मैंने यह कहा कि जब इस विधेयक के अनुसार नोटिस निकाला जा रहा है, जैसे उसमें नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके ३० दिन के अन्दर गांव की पंचायतों को यह अख्तियार दिया जाय कि वह अपनी आपत्ति कर दे । जो राज्य सरकार की तरफ से अधिकारी नियत किये जायं उसके पास अपना एतराज भेज दे कि हम उस क्षेत्र समिति में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं । बस इतना छोटा सा मेरा यह संशोधन है और मैं समझता हूं सदन की भावना का माननीय मंत्री जी आदर करते हुये इसके ऊपर गौर करेंगे ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे अभी माननीय मंत्री जी का व्याख्यान सुनने का मौका मिला । बड़े गौर से सुनने के बाद मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने एक भी कारण ऐसा दिया हो जिसको मैं समझ पाऊं । उन्होंने यह बात मान रखी है कि इन ब्लाकों के बनने के पहले जनता की राय लेना अनावश्यक है । उन्होंने दो एक बातें कही हैं कि यदि इस संशोधन को मान लिया जायगा तो प्रत्येक ५ वर्ष में इस प्रकार के परिसीमन की बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

आ जायेगी और सरकार के लिये एक परेशानी की चीज होगी । यदि ५ साल के बाद इन ब्लाकों की जनता की ओर से कोई सुझाव आते हैं और उनको सुन लिया जाता है तो सरकर को इसमें क्या दिक्कत है ? आप यह भी कहते हैं कि यदि सरकार को उचित दिखाई पड़े १० या २० वर्ष के बाद तो वह कर लेगी । इतने लम्बे अरसे के बाद यदि सरकार को कुछ ऐसा मालूम पड़े तब वह इस पर विचार करेगी ।

तीसरी बात यह कही गई है कि हमारे पास इतना मौका नहीं है कि इतनी बातें कर सकें । जो ये ब्लाक बनाये गये हैं उनको वह उखाड़ नहीं सकेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि उनके जो लोग थे वह १३ साल तक कुछ सोच नहीं पाये । केवल सोचते रहे । अब सोचकर यह अधिनियम निकाला है और उसको चन्द दिनों में पास करना चाहते हैं । मुझे तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि माननीय मंत्री जी जनता की राय को सुनना भी नहीं चाहते हैं । इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये भी तैयार नहीं हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता—आप विषयान्तर कर रहे हैं । कृपया संशोधन पर ही बोलें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं बिलकुल संशोधन पर बोल रहा हूं । यह इसके अन्दर प्रस्ताव है कि ३० दिन का मौका उनको अपनी बात रखने का दिया जाय । इतने दिन का समय देना उचित है । सरकार की जितनी भी घोषित नीति है उसके अनुसार कोई चीज निश्चित करने के पहले जनता को एतराज करने का समय हमेशा देते रहे हैं । चाहे परिषद् के बारे में चाहे क्षेत्र निर्माण के बारे में कोई भी निश्चय करने के पहले सरकार हमेशा जनता के एतराज लेती रही है । इसमें एतराज लेने के लिये सरकार से यदि मांग की जाती है तो यह कोई नई बात नहीं है और सरकार के लिये उचित भी है । जो तर्क दिये गये हैं वे मेरी समझ में नहीं आये । माननीय मंत्री जी की जिद हमारी समझ में नहीं आई । आप ब्लाकों के बनाने में एक नई दुनिया बना रहे हैं । अभी कल गोविन्द सहाय जी ने कहा था कि इस सरकार के पास अपना दिया हुआ कुछ नहीं है । जो कुछ इनके पास है वह अंग्रेजों का दिया हुआ है । शासन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, जेल की व्यवस्था, वगैरा उनकी ही दी हुई व्यवस्थायें हैं। उनके पदचिन्हों पर ही यह सरकार चल रही है । हां, एक चीज उन्होंने मौलिक निकाली है और वह यह कि क्षेत्रीय समितियों का निर्माण हो, उनके द्वारा उनको स्वायत्त शासन मिले, जिला परिषदें बनें और वह अपने नियोजन और स्वशासन का कार्य करें और नियोजन तथा स्वशासन को एक साथ मिलाने की बात सोची गई । ऐसी हालत में क्षेत्रीय समितियां बड़ी आवश्यक हैं और उनके निर्माण के लिये जो रास्ता है वह भी उचित होना चाहिये । यह क्षेत्रीय समितियां परपेचुअल बाडीज होंगी और उन के ऊपर वाच की जायगी । इसलिये क्या यह उचित न होगा कि जनता से उनके बारे में जानकारी हासिल कर ली जाय ? मैं समझता हूं कि यह संशोधन उचित है और कम से कम सरकार को इसे मान लेना चाहिये । खंड ४ में यह बात आयी है और अगर इस को सरकार मान ले तो उपरोक्त कथन उसकी समझ में आ जायगा । इसलिये म चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करें ।

खंड ३—(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—अभी मैंने खंड ३ को स्थगित कर दिया था। उसके संशोधनों पर अब अगर मैं मतदान ले लूं तो अच्छा होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय:

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त प्रकार खंडों का विभाजन एक समिति की सिफारिश के आधार पर होगा जो विधान सभा की समान सर्वदलीय प्रतिनिधित्व आधार की होगी और वही सिद्धान्त जिला स्तर पर भी लागू होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के अन्त में निम्न रख दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करने से पहले एक ग्राम क्षेत्रों का खंडों में विभाजन के हेतु समिति का निर्माण करेगी, जिसकी राय पर राज्य सरकार इस धारा के अन्तर्गत कार्य करेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के अंत में निम्न प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस खंड द्वारा खंडों की सीमा निर्धारण करने में यातायात की सुविधा केन्द्र की दूसरी मंडलाकार क्षेत्र तथा ४० हजार से अधिक जनसंख्या न हो, ध्यान रख कर किया जायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड ४—(क्रमागत)

***श्री लालबहादुर**—अधिष्ठाता महोदय, माननीय दीपंकर जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं इसका विरोध करना चाहता हूं । यह अपने संशोधन में लिखते हैं कि अमुक ग्राम क्षेत्र किसी विशिष्ट खंड में (जिसका वे नाम बतावें) सम्मिलित कर लिया जाय और राज्य सरकार दो मास के अन्दर अपनी राय दे देगी । मान्यवर, अगर १० ग्राम क्षेत्र यह कहने लगें कि हम अमुक क्षेत्र में नहीं जायेंगे, दूसरा कहने लगे कि हम उस क्षेत्र में नहीं जायेंगे, और फिर सभी इस तरह से कहने लगे तो फिर तो खंड बन चुके । इस तरह से तो खंड बन ही नहीं सकते । इसलिये माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा, माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें । जो धारा सरकार ने इसमें रखी है वह ठीक है और उसके रहते हुये इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

***श्री अमरनाथ**—माननीय अधिष्ठाता महोदय, खंड ४ के अन्तर्गत जो आचार्य दीपंकर जी ने संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह संशोधन बहुत ही स्पष्ट है और अगर इस संशोधन को मान लिया गया तो निश्चय ही इससे बहुत बड़ा न्याय होगा क्योंकि जिन पंचायतों को निकालने का अधिकार सरकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले रही है इस धारा के अन्तर्गत, यदि उसके लिये उन्हें उजरदारी करने का समय नहीं दिया गया तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा । इसलिये उनको यह हक देना उचित ही है । श्रीमन्, अगर इस संशोधन को मान लिया गया तो निश्चय ही उन पंचायतों के साथ न्याय होगा जिन पर इस कानून का प्रभाव पड़ता है बल्कि उन अधिकारियों पर जो सरकार की तरफ से खंडों में परिवर्तन करेंगे उन पर एक प्रकार का अंकुश लगेगा जिससे सही तौर से अधिकारों का इस्तेमाल करें ताकि सही रूप में इससे न्याय मिल सके । अगर सरकार उनको यह सुविधा देती है कि उनको उनकी इच्छानुसार क्षेत्रों में रखा जाय तो इससे उनके साथ निश्चय ही न्याय हो सकेगा ।

इसके अलावा हो सकता है कि सरकार उन खंडों का परिवर्तन अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रख कर करे । वह खंडों को इस तरह से भी बना सकती है कि जिससे उनके दल के लोग आसानी से चुन कर आ सकते हों और खंडों में पंचायत के रहने से सरकारी दल के लोग इसमें नहीं आ सकते हैं । हो सकता है कि संशोधन के जरिये सरकार इस तरह का परिवर्तन उसके अन्दर करे कि सरकारी पक्ष के लोग इस खंड से जरूर चुनकर आ सकें । हम यह जानते हैं कि सरकार खुद इन खंडों में परिवर्तन नहीं करेगी, बल्कि सरकार के इशारे पर कोई अधिकारी करेगा । ऐसी दशा में यह कहां का इन्साफ है कि जो पंचायतें वहां से निकाली जायंगी और दूसरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अमरनाथ]

जगह भेजी जायंगी उन्हें अपनी राय रखने का भी अवसर न मिले ? अगर खंड ३ का संशोधन मान लिया गया होता तो इसकी जरूरत न होती, लेकिन जब वह संशोधन नहीं माना गया तो कम से कम इस संशोधन को जोकि बहुत ही स्पष्ट है और इन्साफ के लिये है और सरकार को इस इल्जाम से बचाने के लिये है कि सरकार ने बिना पंचायतों की राय के खंडों में परिवर्तन किया। इसी के साथ साथ मुझे यह भी कहना है कि पुराने खंड आज जिस आधार पर बने हैं वह अपनी जगह पर ठीक नहीं हैं इसको मान लिया जाय । ये खंड विकास योजना के आधार पर बनेंगे, लेकिन जिला परिषद् के चुनाव के लिये और क्षेत्र समिति के लिये इनका इस्तेमाल होगा । इसीलिये पुराने खंडों में परिवर्तन करना जरूरी है । जहां तक मेरी जानकारी है सरकार पुराने खंडों को ही मानना चाहती है, लेकिन ऐसा हुआ तो उससे बड़ा अहित होगा । अगर आप परिवर्तन करें तो निश्चित ही इस संशोधन के जरिये से करें जिससे वहां की जनता को कहने का मौका मिल सके कि हमारा क्षेत्र फलां क्षेत्र से निकाल कर फलां क्षेत्र में शामिल किया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं आचार्य जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री लालबहादुर--मैं अब क्लोजर मूव करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--अभी तो एक स्पीच हुई है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं । सदन के उस ओर श्री रामलखन मिश्र बैठे हुये हैं जो कि जामवन्त की तरह बुड्ढे सदस्य हैं, लेकिन जब कभी किसानों के नुकसान की बात होती है तो झट से संशोधन पेश कर देते हैं । और उसको सरकार मान लेती है और अब जबकि किसानों के फायदे की बात है वह चुप-चाप बैठे हुये हैं । अगर वह इसका समर्थन कर दें तो सरकार इसको अवश्य स्वीकार कर लेगी ।

सरकार स्वयं मानती है कि कुछ क्षेत्र गलत बन गये हैं, कुछ जगहें खाली हैं जहां नहीं बने हैं और कुछ निकाले जायेंगे और दूसरी जगह मिलाये जायेंगे । दीपंकर जी चाहते हैं कि गांव वालों को स्वतंत्रता रहे कि अपनी सुविधानुसार वह आपत्ति उठा सकें कि हमें फलां खंड से निकाल कर फलां जगह कर दिया जाय । यह सर्व विदित है कि अगर बाजार करना हो १० मील उत्तर जाओ, अगर थाने में काम हो तो १० मील दक्षिण जाओ, अगर पटवारी से काम हो तो १० मील पश्चिम जाओ और खंड विकास का काम हो तो १० मील पूरब में जाओ । तो इस चीज को दूर करने के लिये यह संशोधन रखा गया है कि किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है--यह सभी मानते हैं, अगर उसको कम समय में यह सुविधा सरकार दे कि एक ही जगह पहुंचने से उसके सारे जीवन के काम आसानी से हो जायं तो अत्युत्तम है और अगर इसमें कोई बाधा हो और गांव वाले यह चाहें कि हमारा गांव इस खंड से निकाल कर फलां गांव में कर दिया जाय तो ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सरकार को कोई हानि होती हो । यह सरकार और जनता दोनों के हित में है । दीपंकर जी इतना चाहते हैं कि उनको आपत्ति करने का अधिकार हो ।

श्री लालबहादुर--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि खंड ३ के पास हो जाने के बाद यह आउट-आफ-आर्डर हो जाता है । इसका कोई महत्व ही नहीं रहता है ।

श्री अधिष्ठाता--यह एतराज तभी करना चाहिये था जबकि यह पेश हो रहा था ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मुझे दुख है कि श्री लालबहादुर हमारे पुराने जेल के साथी होते हुये ऐसी बात कहते हैं जो न्यायसंगत नहीं है । अधिष्ठाता महोदय, जब आप बनारस जेल में थे तो हम तनहाई में थे ।

श्री अधिष्ठाता--आप संशोधन पर ही बोलें तो अधिक अच्छा है ।

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन केवल इतना चाहता है कि जिस गांव को दूसरे खंड में मिलाया जाय उसकी रजामन्दी ली जाय, इतना सरकार मान लें। इसमें न कोई समय का सवाल है और न खर्चे का। सरकार के बारबार यह कहने पर भी कि वह बहुत जल्द चुनाव कराना चाहती है, इस संशोधन से कोई देर नहीं होती है। जनता के नित्यप्रति कामों के लिये ही यह कानून बनाया जा रहा है। तो फिर सरकार को यह संशोधन मान लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस सरकार के पास इस तरह के विभाजन की कोई नीति नहीं है। लेखपाल का सर्किल कुछ कहता है, कानूनगो सर्किल कुछ कहता है, अगर कोई पुलिस का मामला हुआ तो लोगों को एक दिशा में जाना पड़ता है, अगर भूमि सम्बन्धी हुआ तो दूसरी दिशा में, और दूसरे प्रकार का मामला हुआ तो उसे और दूसरी दिशा में जाना पड़ता है। श्रीमन्, चूंकि जनता के पास पैसा बहुत कम है इसलिये सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसी सुविधा दे कि जिससे जब कोई मनुष्य घर से निकले तो एक साथ बाजार भी कर ले, लेखपाल का काम भी कर ले, पुलिस का भी करले और ब्लाक इत्यादि का भी करले। इन सुविधाओं को देखते हुये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करे।

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उग्रसेन--यह क्या माननीय मंत्री जी का जवाब है? हम भी बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--यह इन्टरवीनिंग जवाब है। आपको भी मौका मिलेगा।

श्री जयराम वर्मा--यह संसोधन खन्ड ४ को बगैर सावधानी से पढ़े हुये लाया गया है। इसका यह उचित स्थान हो ही नहीं सकता है। यह खंड ३ में आ सकता था जहां ग्राम्य क्षेत्रों को खंन्डो में विभाजित किया गया है। खंड ४ में तो यह है कि विभाजन के फल स्वरूप अगर एक खंड से कोई क्षेत्र निकाल कर दूसरे में शामिल किया जाय तो उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम यह होता है कि जिसमें सामिल किया जायगा उसके नियम और विधि वहां लागू होंगे और अगर असेट्स ट्रांसफर करने की जरूरत हो तो सरकार उनको ट्रांसफर कर देगी। इसलिये यह संशोधन इस खंड में नहीं बैठता है और मेरे खयाल से यह आउट-आफ-आर्डर है। अभी तक जो समय इसमें लगा, मेरा बिचार है कि वह उपयुक्त नहीं था और आगे समय न लगाया जाय तो अच्छा होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप इसकी व्यवस्था दें कि यह आगे चल सकता है कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--आउट-आफ-आर्डर होने के बारे में पहिले रूलिंग हो चुकी है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।

श्री लालबहादुर--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है, मैं इसे लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अब वाद-विवाद खत्म किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आचार्य दीपंकर--मान्यवर, यह बात जो कही गई कि खन्ड ३ में यह संशोधन आना चाहिये था, खंड ४ में आउट-आफ आर्डर है, यह इसलिये गलत है कि तीसरे खंड में तो यह बात कही गई है कि इस प्रकार से अलग ग्राम्य क्षेत्रों को पृथक खंडों में विभक्त किया जायगा। मैं समझता हूं कि गांव वालों को यह अधिकार देना बिलकुल उचित है कि वह किसी विशेष खंड में सम्मिलित होना चाहें, इस बारे में अपनी राय प्रकट कर सकें और यदि किसी में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उस पर आपत्ति कर सकें। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के लिये यह बिलकुल उचित

[आचार्य दीपंकर]

स्थान है । चकबन्दी को छोटी-छोटी बातों में भी हम लोगों को आपत्ति का अधिकार दिया है और अधिकारी उन आपत्तियों पर विचार करते हैं । अभी तक यह बातें कही जाती थी कि समय ज्यादा लग जायगा और खर्चा ज्यादा हो जायगा । लेकिन इस संशोधन से न तो समय ज्यादा लगेगा और न खर्चा ही ज्यादा होता है । केवल गांव के लोगों को यह सहूलियत मिल जाती है कि कि वे अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार किसी विशेष खन्ड में सम्मिलित हो सकें और अगर किसी खंड में उनको असुविधा है तो सरकार के पास आपत्ति कर सकें । यह ऐसी बात है जिसका विरोध करने के लिये सरकार के पास कोई आधार नहीं है । इस वजह से जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन का समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनको धन्यवाद देते हुये अपने संशोधन को प्रेस करता हूं ।

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, जो कारण मैंने इसके विरोध का पहले बताया है वह अपनी जगह पर सही है । इस संशोधन के यहां मान लेने से बहुत कठिनाई पैदा हो जायगी । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदन इसे अस्वीकार करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के अन्त में "और प्रतिबन्ध यह है कि" वाले वाक्य से पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा के उपरान्त ३० दिन के अन्दर उन ग्राम्य क्षेत्रों की पंचायतों को राज्य सरकार के सम्मुख यह आपत्ति करने का अधिकार होगा कि अमुक ग्राम क्षेत्र किसी विशिष्ट खण्ड में (जिसका वे नाम बतावें) सम्मिलित कर लिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५

क्षेत्र समितियों की स्थापना तथा उनका निगमन

५—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, और विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जाने वाले दिनांक से, प्रत्येक खंड के लिये एक क्षेत्र समिति स्थापित करेगी जिसका नाम उस खंड के नाम पर होगा, जिसके लिये वह स्थापित की जाय ।

(२) प्रत्येक क्षेत्र समिति सतत् अनुक्रम तथा सामान्य मुद्रा वाली (perpetual succession and common seal) एक निगमित निकाय होगी और, किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा लगाये गये निबंधनों या शर्तों के अधीन रहते हुये, उसे सम्पत्ति का अर्जन करने, उसे धारण करने तथा उसका निस्तारण करने और संविदा करने का अधिकार होगा और वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री गेंदासिंह ।

(श्री ब्रजनारायण तिवारी के खड़े होने पर) आपको अधिकार दे गये हैं क्या गेंदासिंह जी ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जी हां, । मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं ।

खण्ड ५ के उपखण्ड (१) की पहली पंक्ति के शब्द "राज्य" तथा दूसरी पंक्ति के शब्द "करेगी" तक का वाक्यांश निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा १ जनवरी, १९६१ से पूर्व प्रत्येक खण्ड के लिये क्षेत्र समिति स्थापित करेगी ।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसे पेश करते हुए जो मूल अधिनियम का वाक्य है उसे मैं पढ़ना चाहता हूं।

वह इस प्रकार है:—

"राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा और विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जाने वाले दिनांक से प्रत्येक खन्ड के लिये एक क्षेत्र समिति स्थापित करेगी जिसका नाम उस खन्ड के नाम पर होगा, जिसके लिये वह स्थापित की जाय।"

संशोधन यदि स्वीकृत हो जाय तो उसका रूप होगा —

"राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा १ जनवरी, १९६१ से पूर्व प्रत्येक खन्ड के लिये क्षेत्र समिति स्थापित करेगी जिसका नाम उस खन्ड के नाम पर होगा, जिसके लिये वह स्थापित की जाय।"

अभी सदन में बोलते हुए हमारे मंत्री जी ने यह घोषित किया है कि वह चुनाव फरवरी तक करा देना चाहते हैं इसलिये वे चाहते हैं कि जल्दी से बिल पास हो कर ऐक्ट हो जाय। इस संशोधन द्वारा सरकार को मजबूर किया जाता है कि वह पहली जनवरी तक, यह निश्चित तौर पर प्रस्तुत कर दे अपने गजट में, कि इन खन्डों को बनाने का काम पूरा हो जायगा। इसमें सरकार को सुविधा होगी। सरकार की मंशा जो है जल्द से जल्द चुनाव कराने की उसमें यह संशोधन मदद करता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी काम-काज धीरे-धीरे लम्बा होता जाता है और लालफीताशाही का नक्शा आप समझते हैं कि १३ वर्ष के बाद तो यह बिल आया जो जनता के हृदय से संबंध रखने वाला है, तो गेंदासिंह जी ने यह संशोधन रखा है कि इस समय को सीमित कर दिया जाय ताकि आसानी से चुनाव जल्द से जल्द हो जाय और जनता को जल्द से जल्द उसका फल मिले। जैसा अभी है वैसा ही रहने दिया जाय तो सरकार को बहाना मिल जायगा, वह कहेगी कि गवर्नर महोदय ने अभी हस्ताक्षर नहीं किया, विधान परिषद् से नहीं पास हुआ है या सरकार को फुरसत नहीं है, इस तरह से चुनाव की अवधि टाली जा सकती है। जो इस संशोधन के स्वीकार हो जाने के बाद नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय होरीलाल जी, आपका संशोधन भी करीब-करीब वही है। आप भाषण दीजिये संशोधन मत पेश कीजिये।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड ३ पर बोलते हुए मंत्री जी ने फरमाया था कि वे चुनाव के काम को जल्द कराना चाहते हैं और इसीलिये सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य उतावली में मालूम पड़ते हैं और बार-बार क्लोजर मूव कर रहे हैं। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि चुनाव बहुत जल्द हो जाय यह उनकी इच्छा है। इसीलिये यह संशोधन लाया गया है कि सरकार की इस इच्छा को बल मिल सके और चुनाव जल्द हो जायं। १२ वर्ष हुए जिला परिषदों का चुनाव कराया गया था। डेढ़ दो वर्षों से वहां कलेक्टर का शासन जनता के ऊपर लदा हुआ है और आज समय आ चुका है कि जब चुनाव जल्द से जल्द कराये जायं। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए यह संशोधन रखा गया है कि क्षेत्रीय समिति बनाने में कठिनाई न पड़े और संबंधित अफसरान को भी यह जिम्मेदारी महसूस हो कि इतने समय के अन्दर क्षेत्रीय समिति के चुनाव कराने हैं और सारा काम तेजी से हो। नहीं तो जैसा माननीय अजनारायण जी ने कहा है, लालफीताशा ही द्वारा तमाम बाधायें उपस्थित की जा सकती हैं और सरकार को मौका मिल सकता है अगर कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता समय बढ़ाने का।

मंत्री महोदय ने कहा कि हम यथाशीघ्र चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। इसलिये अगर यह संशोधन मंत्री जी स्वीकार कर लेते हैं तो चुनाव होना निश्चित हो जायगा। और प्रदेश की जनता को यह मालूम हो जायगा कि चुनाव मार्च, ६१ तक हो जायेंगे। क्योंकि अगर

[श्री होरीलाल यादव]

६१ के पहले क्षेत्र समितियां बन जाती हैं तो यह संभव हो सकेगा कि मार्च, ६१ तक जिला परिषदों के चुनाव हो जायं। इसी मंशा से यह संशोधन लाया गया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसको अगर स्वीकार कर लेंगे तो उनको बल मिलेगा और उनके अधिकारियों को भी काम करने की जिम्मेदारी महसूस होगी और लालफीताशाही के चक्कर में न पड़ कर वे चुनाव को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय मंत्री जी बीच में कुछ कहना चाहेंगे ताकि गलतफहमी दूर हो जाय ?

श्री जयराम वर्मा—इस संशोधन की मंशा यह है कि क्षेत्र समितियों की स्थापना १ जनवरी, १६६१ से पहले हो जाय। लेकिन स्थापना का क्या अर्थ होगा इस पर पूरे तौर से विचार नहीं किया गया। स्थापना का अर्थ होगा कि उससे पूर्व गांव सभाओं का चुनाव हो जाना चाहिये क्योंकि उन्हीं के प्रधान क्षेत्र समितियों के मेंबर होंगे। इसके अतिरिक्त और संस्थाओं के जो मेम्बर होंगे उनका भी चुनाव हो जाना चाहिये, तभी क्षेत्र समितियों की स्थापना होगी। अभी तक सरकार ने यह कहीं नहीं कहा कि गांव सभाओं का चुनाव जनवरी से पहले समाप्त करा दिया जायगा। जब कभी बात आयी है तो यही कहा गया है कि गांव सभाओं का चुनाव दिसंबर जनवरी, तक हो सकता है और देर भी हो सकती है और यह आशा की जाती है कि फरवरी तक जिलापरिषदों के चुनाव हो जायं। लेकिन इस प्रकार जकड़ देना कि गांव सभाओं के चुनाव दिसम्बर में खत्म हो जायं और उसके पहले कोआपरेटिव संगठनों के चुनाव हो जायं, यह संभव नहीं है। इसलिये इस संशोधन को मानने में दिक्कत है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अमरनाथ—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन खंड ५ के अन्तर्गत रखा गया है उसके जरिये से सरकार के ऊपर यह अंकुश लगाया गया है कि सरकार निश्चित समय के अन्दर चुनाव करा दे और क्षेत्रीय समितियों की स्थापना कर दे। हमने देखा कि १३ साल से बोर्डों के चुनाव नहीं हुए। एक बार इसी सदन में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन ऐक्ट पास हुआ, फिर बोर्ड भंग किये गये। उसके बाद अंतरिम जिला परिषदों की स्थापना की गयी और आज इस संशोधन के जरिये से यह कोशिश की जा रही है कि चुनाव आगे को हमेशा के लिये न टाल दिये जायं, इसको रोकने के लिये और चुनाव को निश्चित समय के अन्दर कराने के लिये यह संशोधन लाया गया है। हो सकता है सरकार सन् १६६१ में भी चुनाव न कराये और कहे कि पंचायतों के चुनाव नहीं हुए या और कोई बहाना बनाये। लेकिन इस संशोधन को मान लेने से पंचायतों के चुनाव दिसम्बर में कराये जा सकते हैं और जिला परिषदों के चुनाव भी समय पर हो जायंगे। इन शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि हम तो यह चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाय, जैसी कि सरकार की मंशा है। यह संशोधन बहुत ही स्पष्ट संशोधन है। इसको मान लेने में माननीय मंत्री जी को कोई संकोच नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। मैं अभी माननीय अमरनाथ जी को सुन रहा था। मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि यह बिल जो हमारे सामने इस रूप में आया है, उस सिलसिले में बार-बार यह शिकायत न की जाय और इस बात को दोहराया न जाय कि हमारे प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हुए १३ वर्ष बीत गये आदि आदि। क्योंकि वह बहुत पुराना इतिहास हो गया और उसके स्पष्टीकरण भी कि उसके क्या वजूहात थे, कई बार इस सदन में सरकार की तरफ से दिये जा चुके हैं और उसी का फल है कि जो १३ साल के अन्दर खोज हो रही थी कि विकेन्द्रीकरण का क्या रूप हो, इसमें इतना समय लगा और उसी के फलस्वरूप यह बिल

काफी विकेन्द्रीकरण के स्वरूप को लेकर आज हमारे सामने प्रस्तुत है। तो मैं समझता हूं कि उन सारी बातों को दोहराना यहां पर उचित नहीं होगा।

श्रीमन्, अगर प्रस्तुत संशोधन को सरकार मान ले तो उसका यह अर्थ जरूर है कि सरकार सन् १९६१ के चुनाव के पहले क्षेत्र समितियों की स्थापना करने के लिये विवश होगी, इसमें कोई दो रायें नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार आज स्वयं इस बात के लिये प्रयत्नशील है जितनी जल्दी हो सके जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों का चुनाव अपने समय से और जल्दी से जल्दी करा दिया जाय। इसलिये बार बार हमारे माननीय मंत्री जी की तरफ से सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया जा चुका है। अब यह यकीन करने और न करने की बात है कि हमारे माननीय सदस्य उस आश्वासन पर यकीन करें या उसको शुबहा की दृष्टि से देखें। मैं समझता हूं कि यह अधिक उचित बात हम लोगों की तरफ से नहीं होगी। जिस परिस्थितियों में माननीय मंत्री जी ने एक अच्छा सा बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसके बाद अगर वे कोई घोषणा करें या हमारे सामने कोई वादा करें तो हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम सब लोग मिलकर उनके साथ हाथ बटावें और उनको सहायता दें ताकि जल्दी से जल्दी वह काम पूरा हो जाय। लेकिन यह न करके कोई तारीख ऐसी मुकर्रर कर देना जिसकी वजह से हम माननीय मंत्री जी के ऊपर कोई अंकुश लगा दें, मैं समझता हूं कि ऐसा करना और सरकार के ऊपर इस तरह का बन्धन लगाना किसी भी विधान सभा के लिये बहुत उचित बात नहीं होगी।

मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह काम इतना बड़ा है कि पहले तमाम ग्राम पंचायतों का चुनाव होना होगा और उसमें कई करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, उसकी सारी तैयारी करनी होगी। समय कम है। मैं माननीय मंत्री जी की घोषणा से स्वयं इस बात में दिक्कत महसूस करता हूं कि सरकार किस प्रकार से इतनी जल्दी यह सब तैयारी कर लेगी। यह बिल यहां से पास होकर कानून की सूरत लेगा, जिसमें समय लगेगा, उसके बाद ग्राम पंचायतों की सूची वगैरह सब तैयार होगी, उनका चुनाव होगा, उसके बाद क्षेत्र समितियों की स्थापना इतनी जल्दी हो जायगी और जिला परिषदों का चुनाव फरवरी तक हो जायगा, मुझे खुद इस बात में दिक्कत मालूम पड़ती है कि सरकार के कंधों पर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा, कितना परिश्रम उनको करना पड़ेगा, किस तरह से उन्होंने इस बात का आश्वासन दे दिया, मुझे स्वयं इस बात से आश्चर्य है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जिस निश्चय से माननीय मंत्री जी यह बिल सदन के सामने लाये हैं कि वे शासन को विकेन्द्रित करना चाहते हैं, वह सही है। उसके लिये सब को सरकार पर यकीन करना चाहिये कि वह स्वयं इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करा कर परिषद् का चुनाव जल्दी से जल्दी कराना चाहती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रस्तुत संशोधन को जल्दी से जल्दी वापस ले लिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य राय बरेली के भाषण को मैं सुन रहा था। उनके कहने से यह भासित हुआ कि १३ वर्ष तक जिला बोर्ड्स के चुनाव में जो देर हुई उस बीच इस बात की खोज हो रही थी कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण का कौन सा स्वरूप प्रदेश में लागू किया जाय।

श्रीमन्, १३ वर्ष की इस घनघोर खोज के बाद हमें वही कहावत याद आती है कि 'खोदा पहाड़ और निकली चुहिया'। माननीय रामेश्वर जैसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के नेता यह मान बैठे हैं कि यह विधेयक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने वाला है, तो मैं समझता हूं कि वह अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं बल्कि एकत्रीकरण और सरकारीकरण है।

दूसरी बात श्रीमन्, उनको यह बात खटकती है कि सरकार को जकड़ना नहीं चाहिये किसी बंदिश से। श्रीमन्, जब चुनाव होता है तो उसके लिये एक निष्पक्ष चुनाव कमीशन बनता है, क्षेत्र बंटते हैं, जो एलेक्शन डायरेक्टर होता है वह छानबीन करके काम करता है।

[श्री उग्रसेन]

मान्यवर, इंगलैन्ड के चुनाव में तो सब तारीखें जिस दिन पार्लियामेन्ट डिजाल्व होती है उसी दिन छप जाती हैं। अभी सीलोन का चुनाव हुआ। जब सीलोन की पार्लियामेन्ट ने कह दिया कि इस तारीख के अन्दर चुनाव कर देंगे उसकी राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी चुनाव कराये गये। श्री ब्रजनारायण तिवारी ने जो संशोधन रखा है कि १ जनवरी, १९६१ के अन्दर गठन हो जाय क्षेत्र समितियों का, तो उस पर माननीय वर्मा जी ने बिलकुल उल्टा कहा माननीय शर्मा जी के। माननीय शर्मा जी ने सदन को कल आश्वासन दिया कि हम शीघ्रातिशीघ्र इसका चुनाव कर देंगे, और माननीय वर्मा जी ने अपनी मधुर वाणी से यह आभास दिलाया कि यह कोई जरूरी नहीं है इसमें तो बड़ी कठिनाइयां हैं, कैसे जल्दी हो जाएगा। एक दूसरे के विरोधी वक्तव्य हो गये, श्रीमन्। माननीय शर्मा जी ने कल आश्वासन दिया कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। माननीय ब्रजनारायण तिवारी ने उसको सुगम बनाने के लिये अपना १ जनवरी, १९६१ वाला प्रस्ताव रख दिया कि इसके अन्दर क्षेत्रीय समितियों का गठन हो जाय। अगर यह भी सीधा साधा राज्य मार्ग देने वाला संशोधन आप नहीं मानेंगे तो मैं फिर कहने के लिये मजबूर हूं कि कैसे आप शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराएंगे। यह हमारी समझ में तो आता नहीं है।

यह सही है कि किसी की नीयत पर शक नहीं किया जाता। माननीय रामेश्वर जी ने कहा कि सरकार पर विश्वास कीजिये। अगर किसी की नीयत पर शक नहीं किया जाता तो राजनीति में किसी पर विश्वास भी नहीं किया जाता। "बिलीफ ऐन्ड फैक्ट" एक किताब है श्रीमन्, उसमें लिखा है कि विश्वास की पद्धति बहुत खराब है। हिटलर कहता था कि हममें विश्वास करो। पुरोहित जी कहते हैं कि हममें विश्वास करो। "सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं ब्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो माक्षिष्यामि मां शुचः"। श्रीमन्, अगर सब यही कहें कि विश्वास करो तो कैसे काम चलेगा? १३ वर्ष के विश्वास में क्या मिला? मरने के बाद कफन नहीं मिला, जेल में तरकारी मिली सड़ी हुई, राजनारायण जी का ३६ पौन्ड वजन घट गया। १ जनवरी वाला यह संशोधन मान लें, अगर दिल्ली यहां से जाना है तो काकोरी, हरदोई तक का तो टिकट कटाएं, बाराबंकी, फैजाबाद का नहीं।

श्री लालबहादुर—मैं आपकी आज्ञा से क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जल्दी-जल्दी यह विधेयक पारित होना है तो इस पर ज्यादा भाषण न हो, काफी प्रकाश पड़ चुका है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, हमारी पार्टी से तो कोई बोला नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—कोई नुकसान नहीं होगा इससे आपको।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संशोधन पर अपने विचार प्रकट किये। मैं निश्चित इस राय का हूं कि किसी भी गवर्नमेन्ट को दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिये। अगर कोई सरकार कोई योजना लागू करने के लिये कोई निश्चित ब्रिथि मुकर्रर नहीं करती है तो वह किसी नीति को चलाने वाली नहीं हो सकती और न उसकी कोई निश्चित नीति ही हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं और तीसरी की रूप रेखा हमारे समने है। उसी रूप रेखा को पूरा करने के लिये उसका एक अंग यह भी है कि समाज का नये ढंग से गठन हो। श्रीमन्, हमारे वर्मा जी ने कहा कि इस संशोधन का अर्थ यह है कि मानो गांव सभाओं में चुनाव हो गये हों। आपकी इजाजत से मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि यह तो मैं मानता हूं उनकी तरफ से यह विधेयक पेश है। लेकिन यह रचना और संगठन

से संबंधित नहीं है। यह केवल स्थापना से संबंधित है। संगठन के बाद का कार्य क्रम आगे की धाराओं में है। मैं आपकी आज्ञा से खन्ड १० (२) पढ़ना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष---आपका खयाल है कि स्थापना होने के बाद मूर्ति बनेगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---जी हां, खन्ड १० (२) यह है किसी संघटक गांव सभा के प्रधान के या खन्ड में स्थित किसी टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन अथवा नोटीफाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेन्ट के पद की या किसी खन्ड से जिला परिषद् के सदस्य के स्थान की रिक्ति के कारण अथवा धारा ६ की उपधारा (१) के खन्ड (३) या खन्ड (४) के अधीन प्रतिनिधि का चुनाव न होने के कारण किसी खन्ड की क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्-संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी।

तो जहां तक संघटन का सवाल है वह तो किसी गांव सभा का चुनाव हुआ हो या न हुआ हो समितियों का संघटन हो जायगा। लेकिन स्थापना में, जहां गजट द्वारा प्रकाशित करने का अधिकार है उसमें एक निश्चित तिथि के अन्दर उसकी स्थापना हो जाय उसके बाद भी उसकी कार्यवाही चल सकती है। जैसे धारा १० के मुताबिक उनको अधिकार है जिस गांव में गांव सभा का चुनाव न हुआ तो वहां उनका संघटन हो जायगा।

इसलिये यह सरकार के लिये ऐसी चीज है जिससे सरकार निश्चित समय के अन्दर निश्चित ढंग से अपने वादे के मुताबिक उसको पूरा करे। महोदय, यह मुंह केवल बोलने के लिये नहीं है वरन् जो कहा जाय उसको पूरा भी किया जाय लेकिन इस कथन के लिये कोई सजा नहीं मिलती है। मंत्री जी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हों इसलिये प्रवर समिति में न भेजा जाय और अधिक समय न लिया जाय और जब हम कहते हैं कि १ जनवरी, १९६१ के भीतर लागू कर दिया जाय तो सरकार आनाकानी करती है, यह सरकार के लिये उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री जयराम वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, स्थापना शब्द के अर्थ के बारे में भ्रम होने की वजह से ऐसी बात हो रही है। जैसा माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि स्थापना का मतलब चुनाव से कुछ नहीं बल्कि बगैर चुनाव के ही उसकी स्थापना हो जायगी, ऐसी बात नहीं है। अगर वह खन्ड ८ (२) को देखें जिसमें लिखा हुआ है "किसी खन्ड की प्रथम क्षेत्र समिति का कार्यकाल, धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित दिनांक से प्रारम्भ होगा।" कार्यकाल धारा ५ में जो विज्ञापित दिनांक है उसी से शुरू होगा। तो बगैर चुनाव हुए तो कार्य-काल आरम्भ हो नहीं सकता। उसकी स्थापना तभी होगी जैसा धारा ६ (२) में दिया है जब कि प्रधान गांव सभाओं के उसके मेम्बर हो जायं और कोआपरेटिव संगठनों से जो प्रतिनिधि आते हैं उनका चुनाव हो जाय तब उसकी स्थापना हो सकेगी। तो इतना चुनाव कराना १ जनवरी, १९६१ के पहले संभव नहीं मालूम पड़ता। इसलिये तिवारी जी का सुझाव मान्य नहीं है।

जहां तक जिला परिषदों के चुनाव की बात कही गई वह तो हम जल्दी कराना चाहते हैं और इसके लिये भरसक प्रयास किया जायगा कि फरवरी में इनके चुनाव हो जायं। लेकिन उसके पहले की कार्यवाही में किसी तरह से जकड़ देना उचित नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं दिसम्बर के पहले ही गांव सभाओं का चुनाव हो जाय। हर बार यह कहा गया कि गांव सभाओं का चुनाव संभव नहीं है कि दिसम्बर में ही हो जायगा, जनवरी तक जा सकता है।

जब गांव सभाओं का चुनाव जनवरी तक जा सकता है तो उसके पहले क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की घोषणा कैसे हो जायगी? इस बात का भरसक प्रयत्न किया जायगा कि फरवरी में चुनाव हो जाय। लिहाजा इस संशोधन के द्वारा जो एक सीमा रखी जा रही है उसका रखा जाना किसी तरह से संभव नहीं है। उसे प्रेस न किया जाय और वापस ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) की पहली पंक्ति के शब्द "राज्य" तथा दूसरी पंक्ति के शब्द "करेगी" तक का वाक्यांश निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा १ जनवरी, १९६१ से पूर्व प्रत्येक खंड के लिये क्षेत्र समिति स्थापति करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से, खास तौर से जिनके संशोधन हैं उनसे, निवेदन करूंगा कि ८, ९ दिन में इस विधेयक को पास करना है इसलिये केवल महत्वपूर्ण संशोधन पेश किये जायं और जो कम महत्व के हों उन पर दो एक सदस्य बोलें तभी पूरे विधेयक के साथ न्याय हो सकेगा। नहीं तो यह होगा कि तीन चार खंडों तक हम रह जायं और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ ही न सकें। इस अपील का ध्यान रखते हुए माननीय सदस्य आगे अपने संशोधन पेश करेंगे।

श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष—यह आज्ञा नहीं है अपील है।

श्री प्रतापसिंह—जो आपने कहा वह शिरोधार्य है। १० दिन में इस बिल को पास करना है। यह भी मैं चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण संशोधन हों उन्हीं पर बोला जाय, लेकिन जब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहस करते हैं तो क्लोजर आ जाता है। चेयर से रूलिंग भी हो गयी है कि एक संशोधन पर २, ३ स्पीचेज हों।

श्री उपाध्यक्ष—क्लोजर का काम आप लोग ले लें तो वे लोग न करें।

श्री प्रतापसिंह—हम लोग करेंगे, लेकिन अपील का असर हो जाय तो अच्छा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वास्तव में मैं यह चाहता हूं कि क्लोजर न मूव किया जाय। जो ये मामूली खंड ह इन्हीं पर सारा समय नष्ट हो जाय ताकि बाद में पूरा विधेयक आसानी से पास हो जाय।

श्री भीखालाल—जो आपने बात कही वह बहुत ही उचित है और उसको ध्यान में रख कर विवाद करेंगे तो हमारा फायदा ही होगा।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि एक खंड में जितने संशोधन होंगे सब एक साथ मूव कर दिये जायं लेकिन कुछ खंड ऐसे हैं जैसे खंड ६ में, खंड १८ में क्षेत्रीय समिति का गठन है। जिन माननीय सदस्यों के इन खंडों में संशोधन हों वे सब एक साथ मूव कर दिये जायं ताकि पूरा दृष्टिकोण मालूम हो जाय और सबका जवाब माननीय मंत्री जी दे दें तो इसमें ज्यादा सुविधा होगी और एक खंड पर ज्यादा समय नष्ट न होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—इस चेयर से सदैव आज्ञा होती है, आज अपील हो गयी। उस अपील के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि महत्वपूर्ण तथा महत्वहीन संशोधनों का निश्चय कैसे हो?

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग करेंगे और कौन करेगा? आपस में बैठ कर विचार कर लें कि इसमें यह महत्व का है और यह महत्व का नहीं है।

श्री लालबहादुर--जो भीखालाल जी ने कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--जो एक प्रकार के संशोधन हैं वे एक साथ ही लिये जायं, उन्होंने उचित ही कहा ।

खंड ६

क्षेत्रसमिति की रचना ।

६--(१) क्षेत्र समिति में निम्नखित सदस्य होंगे :--

(१) संघटक गांव सभाओं के समस्त प्रधान;

(२) खंड के भीतर आने वाली प्रत्येक टाउन-एरिया कमेटी का चेयरमैन तथा प्रत्येक नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेंट ;

(३) जिन खंड संघों (ब्लाक यूनियन) तथा सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खंड के भीतर हों उनका एक प्रतिनिधि, जो ऐसी शर्तों के अधीन तथा ऐसी रीति से चुना जायगा जो नियत की जाय;

(४) जिन सेवा-सहकारी समितियों तथा बहु-प्रयोजन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खंड के भीतर हों उनके दो प्रतिनिधि जो ऐसी शर्तों के अधीन तथा ऐसी रीति से चुने जायेंगे जो नियत की जाय;

(५) धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (७) के अधीन खंड से निर्वाचित जिला परिषद् के समस्त सदस्य ;

(६) लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के वे समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में खंड का कोई भाग सम्मिलित हो; तथा

(७) राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास-स्थान खंड में स्थित हो ।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्य इस अधिनियम के अधीन क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्संघटन के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय निम्नलिखित को क्षेत्र समिति के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में अनुमेलित (कोआप्ट) करेंगे :

(१) पांच से अनधिक व्यक्ति, जो अनुमेलित करने वाले सदस्यों को नियोजन और विकास में अभिरुचि रखने वाले प्रतीत हों ;

(२) यदि उपधारा (१) तथा इस उपधारा के खंड (१) में उल्लिखित सदस्यों में महिलाओं की संख्या पांच से कम हों, तो उतनी महिलायें जिनसे उनकी संख्या कुल मिलाकर पांच हो जाय; तथा

(३) उस समय तक के लिये जब तक "भारत का संविधान" के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये रक्षण बना रहे यदि उपधारा (१) तथा इस उपधारा के खंड (१) तथा (२) में उल्लिखित सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या पांच से कम हो तो अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उनकी संख्या कुल मिलाकर पांच हो जाय :

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम उक्त खंड के क्षेत्र की राज्य-विधान सभा की निर्वाचक-नामावली में निर्वाचक के रूप में सम्मिलित न हो अथवा जो धारा १३ के अधीन अनर्हित हो, उपधारा (१) के खंड (३) तथा (४) के अधीन सदस्य न चुना जायगा और न उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित किया जायगा ;

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि प्रधान या टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन या नोटी-फाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेन्ट के पद के रिक्त रहने की अवधि में यथास्थिति उप-प्रधान, वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसीडेंट का पद धारण करने वाले व्यक्ति, (यदि कोई हो) क्षेत्र समिति या उसकी समितियों (कमेटियों) की बैठकों में प्रधान, चेयरमैन या प्रेसीडेन्ट के स्थान पर सम्मिलित होने का हकदार होगा ; और

अन्तिम प्रतिबन्ध यह है कि खंड (२) तथा (३) के अधीन अनुमेलन उतनी बार किया जा सकता है जितनी बार महिलाओं या अनुसूचित जातियों के सदस्यों की कुल संख्या पांच करने के लिये इसकी आवश्यकता हो ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (१) के आगे 'जो चुने गये हों' बढ़ा दिया जाय ।

हाल ही में पंचायत राज ऐक्ट में एक संशोधन इसी सदन में पास हुआ है जिसका अर्थ यह है कि जिस ग्राम के प्रधान का चुनाव निश्चित समय के अन्दर न हो उस ग्राम के प्रधान को सरकार नामिनेट कर सकती है। मान्यवर, किसी भी सभा या समिति में नामिनेटेड मेम्बर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसी के अनुसार मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि समिति में केवल वही प्रधान शरीक किये जायं जिनका वैधानिक चुनाव हुआ हो, जो नामिनेटेड हों वे उस समिति के सदस्य न हों । यह बुनियादी जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है अगर इतना उसमें जोड़ दिया जाय । इसमें सरकार का कोई नुकसान भी नहीं होगा और जनतन्त्र की हिफाजत भी हो सकेगी। मैं समझता हूं कि सरकार ने पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन करके जो नामिनेट करने का अधिकार लिया है वह जनतन्त्र के बुनियादी अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य नामिनेटेड नहीं हैं, सब के सब एलेक्टेड हैं और इस मर्यादा को कायम रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि हमारा संशोधन बिल्कुल उचित है और जनतन्त्र के पक्ष में है और माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन आपकी आज्ञा से पेश करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (१) में शब्द "प्रधान" के आगे शब्द "जिसका चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से हुआ हो" बढ़ा दिये जायं ।

जैसा कि अभी माननीय तिवारी जी ने कहा उससे हम भी सहमत हैं कि जब आपने पंचायत राज ऐक्ट में मान ही लिया है कि चुने हुए सभापति आयेंगे तो यहां मान लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ताकि हमको यह भ्रम भी न रहे कि सरकार नामिनेट कर देगी और चुनाव नहीं करायेगी। इसलिये इसको आप मान लें तो बड़ी उत्तम बात होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ब्रजनारायण तिवारी ने बहुत जायज संशोधन रखा है। जैसा कि अभी वीरेन्द्रशाह साहब ने कहा , जब पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन करके सरकार ने मान लिया है कि सभापतियों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा तो इसमें सरकार को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इसमें 'गुप्त मतदान द्वारा' शब्द रह गये थे, ये इसमें जोड़ दिये जायं और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आये हैं उनका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। संशोधन में कहा गया है कि चुने हुए प्रधान वोट करें और वे ही खंड समिति के सदस्य हो सकें और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सदन में सभी चुने हुए सदस्य हैं। अपने मित्र को मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि इस सदन में एक ऐसे सदस्य भी हैं जो चुने हुए नहीं हैं बल्कि नामिनेटेड हैं। खंड ६ में यह व्यवस्था इसलिये रखी गयी है

अगर किसी गांव सभा के प्रधान का चुनाव न हो सके और वह अनरेप्रेजेन्टेड न रह जाय या अगर एक दो सभापति ऐसे आ जाते हैं जो नामजद हों तो मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय समितियों में किसी का बहुमत नहीं हो सकेगा और कोई बात बिगड़ेगी नहीं। ऐसे चन्द लोगों के आ जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो विधेयक में आया है उसे स्वीकार कर लिया जाय। एक बात माननीय ऊदल जी ने कही कि गुप्त मतदान प्रणाली से चुनाव हो। तो यह बात तो निश्चित हो चुकी है। अब उसे दुबारा दुहराना बेकार है। मैं समझता हूं कि इतना काफी है कि जो गांव सभा का सभापति हो वह क्षेत्र समिति में रहे। उनमें अगर कोई दो एक सभापति नामजदवाला हो तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री वीरेन्द्र शाह जी का है मैं समझता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण एक और है कि उसमें मंत्री जी ने केवल यह लिखा है कि गांव सभा का प्रधान जो आज कल है, यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का हो जो मतदान से चुना हुआ न हो। इस दृष्टि से भी यह संशोधन महत्वपूर्ण है कि अब प्रधान को ऐसी पावर्ं मिल रही हैं—वह अध्यक्ष बनेगा क्षेत्र समिति का और उसे बहुत से अधिकार मिल रहे हैं। इसलिये मंत्री जी इसको मान लें क्योंकि जल्दी से जल्दी इस कार्य को करना है। ग्राम पंचायतों का चुनाव हो जायगा उस समय यह बात भी आ जायगी कि प्रधान कैसा चुना जाय। जनता भी इस बात को समझ लेगी और इसका गठन भी ठीक प्रकार से हो जायगा। इसलिये इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, यह दोनों संशोधन निरर्थक हैं। पहला तो अपूर्ण जानकारी पर आधारित है। अभी कुछ दिन पहले इसी सदन में पंचायतराज संशोधन विधेयक पास किया गया था जो अब अधिनियम बन गया है। उसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई गांव सभा अपने प्रधान का चुनाव न करा सके तो एक बार उसको आहूत किया जायगा कि वह अपने प्रधान का चुनाव कर दे। लेकिन फिर भी अगर वह असमर्थ रहे तो सरकार को यह अधिकार होगा कि वह गांव के किसी व्यक्ति को जो उस पद की योग्यता रखता हो, नामजद कर दे और वह नामजद किया हुआ व्यक्ति विधिवत चुना हुआ प्रधान माना जायगा। इसी सदन ने इसको पास किया है अगर किसी जगह नामजदगी की गुंजायश होती है तो वह चुना हुआ माना जायगा। इसलिये यहां पर इसके रखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी माननीय सदस्य को यह शंका हो कि क्षेत्र समितियों के बनने से पहले गांव सभा का चुनाव नहीं होगा और जो प्रधान पहले का है वही रह जायगा तो ऐसी बात नहीं है। हम गांव सभा का चुनाव कराने जा रहे हैं। जो चुना हुआ प्रधान होगा या ऐसा प्रधान होगा जो चुना हुआ माना जायगा वही क्षेत्र समिति में होगा।

दूसरा संशोधन भी अपूर्ण जानकारी पर आधारित है। पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि प्रधान का चुनाव सीक्रेट बैलट के द्वारा होगा तो इसमें रखा जाना बेकार है। मुझे तो डर यह है कि कहीं माननीय सदस्य यह न कहने लग जायं कि विधायकों के लिये लिख दिया जाय कि सीक्रेट बैलेट के द्वारा चुने हुए ही क्षेत्र समिति के सदस्य होंगे। जो चीज है उसको दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? इस आधार पर मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि इन को वापस कर लिया जाना चाहिए।

श्री बुद्धी सिंह (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, मैं माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी के संशोधन का समर्थन कर रहा हूं। अभी-अभी माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि न जानकारी की बिना पर यह संशोधन आया है।

श्री जयराम वर्मा—"अपूर्ण जानकारी" मैंने कहा था।

श्री बुद्धी सिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन बड़े ठीक ढंग से पेश हुआ है और इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। अब भी सूबे में न मालूम कितनी ग्राम सभाओं के

[श्री बुद्धोसिंह]

प्रधान इस वक्त नहीं हैं। अगर तादाद देखी जाय तो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में इस तरह की ग्राम सभाएं निकलेंगी। जो चुनाव आप जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं, अव्वल तो पता नहीं कि कब करवाएंगे, लेकिन जो चुनाव आप करवायेंगे उनमें फिर भी सैकड़ों ऐसी ग्राम सभायें रह जायंगी जहां पर प्रधानों का चुनाव नहीं होगा। जिस ग्राम सभा का प्रधान नहीं चुना जायगा तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उस समिति में जिसका निर्माण होगा ?

यह जो कहा गया कि उसको सरकार नामजद करेगी, उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि यह उपहार नामजदगी का जो दिया जाता है हमने पिछले दिनों में देख लिया है कि किस तरह दिया जाता है। नामजदगी की बिना पर कानून और जनतंत्र का कितना दुरुपयोग होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्षेत्र समितियों में चुने हुए ही प्रधान आयें। सम्पूर्ण सूबे में पूरे तरीके से प्रधानों के चुनाव करने के बाद चुने हुए प्रधानों को ही लिया जाय। ऐसा न होकर उनको नामजद करना पड़ेगा इसलिए मैं श्री ब्रजनारायण तिवारी के संशोधन का समर्थन कर रहा हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल—श्रीमन्, तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इसका इसलिए समर्थन करता हूं कि जहां चुनाव नहीं होता है और सरकार अपनी ओर से आदमी नियुक्त करके भेज देती है तो वहीं पार्टी की बात आती है। ऐसी दशा में कोई सदस्य इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि सरकार द्वारा सभापति भी नियुक्त किये गये हों। अगर सरकार को नियुक्त करना ही है तो जनता से वोट लेने की कोई जरूरत नहीं। यहीं से सरकार सब को नामजद करदे कि फलां प्रधान होगा, फलां सभापति होगा, फलां मंत्री होगा। सरकार को किसी प्रकार का चुनाव करने के अधिकार को देने के मानी यह हैं कि 'भेड़िये को भेड़ सौंप देना" जब कि सरकार अयोग्य है, चुनाव करने में नितान्त अपनी पार्टी का ध्यान रखती है। अभी तक जिलों में जो अन्तरिम जिला परिषदें बनायी गयी हैं, जहां उनका बहुमत है कोई काम नहीं हो रहा है, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए तरह-तरह की कोशिश करते हैं।

इस पार्टीबाजी से क्या लाभ है ? नीचे से ऊपर तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मामूली सदस्य तक सब कांग्रेस पार्टी के रहे, आज भी हैं, तो क्या कल्याण आपने किया, १२–१३ सालों में ? हुकूमत छोड़ कर फिर भी पार्टीबन्दी का मोह है और इस प्रकार की बात गलत है। मैं इस मनोवृत्ति को ठीक नहीं समझता। इसलिए इस प्रकार का चुनाव का अधिकार सरकार को न दिया जाय, न डी० एम० को दिया जाय, क्योंकि सरकार भी डी० एम० को अधिकार देगी, जिसमें न्याय नहीं होगा, न कोई सच्चा आदमी आ सकेगा, दुर्दशा ज्यों की त्यों रहेगी। वहां भी पार्टीबन्दी की बात आयेगी और जिसकी तरफ लोग इशारा करेंगे वही आयेंगे। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि जनता के प्रतिनिधियों का जनता के द्वारा ही चुनाव करायें।

***श्री शिवप्रसाद नागर**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। सब से पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि यह नामजदगी की प्रथा ब्रिटिश रेजीम में थी। वह यह समझते थे कि हिन्दुस्तान के चुनाव में कहीं भी अपने नुमायन्दे जरूर भेजने चाहिये क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाय कि कोई गड़बड़ हो। सिर्फ सी० आई० डी० के रूप में वह २, ४ नामजदगी किया करते थे। वही प्रथा यह सरकार अपना रही है। यह बड़ी गलत बात है। अब सरकार को कोई सन्देह हमारी तरफ से नहीं होना चाहिये। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। हम विदेशी नहीं हैं। वह विदेशी हुकुमत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

थी। वह उसमें अपने सी० आई० डी० भेजना जरूरी समझते थी। यह उनकी प्रथा है। इसकी नक़ल हमारी सरकार को नहीं करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली में बैठी है और प्रदेशीय सरकार यहां पर बैठी है। केन्द्रीय सरकार ने कभी यह प्रलोभन नहीं किया कि हमारी प्रान्तीय सरकार में वह अपना कोई आदमी नामजद कर दे। हमारे इतने विधायकों में कितने आदमी केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद हैं? हमारी प्रान्तीय सरकार के भीतर किसी को नामजद नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो आप ही क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार से हम केन्द्रीय सरकार के मातहत हैं उसी प्रकार से हमारे मातहत लोकल बोर्ड्स हैं। अगर केन्द्रीय सरकार नामजद करना नहीं चाहती और उसको प्रलोभन नहीं होता है और इस ४३१ सदस्यों की विधान सभा में २०, २५ या ३० अपने नामजद उन्होंने नहीं भेजे हैं, तो फिर आप क्यों भेज रहे हैं? इसलिये मैं कहता हूं कि ब्रिटिश रैजीम की नकल नहीं होनी चाहिये। उसकी आवश्यकता नहीं है। हमार संविधान में भी कहा गया है कि इस प्रकार की संस्थाओं को स्वतन्त्र बनाना चाहिये। तो हम भी स्वतन्त्र बनाना चाहते हैं और सत्ता का विकेन्द्रीकरण उन तक पहुंचाना चाहते ह। सत्ता का विकन्द्रीकरण हम करना चाहते ह। तो उनके हाथ में ही सब सत्ता हम दे दें जैसे चाहें वह अपना प्रतिनिधि चुने। एक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये नहीं तो वहाँ जाकर उन लोगों को काम करने नहीं देंगे। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपमंत्री जी का बड़ा आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अपूर्ण जानकारी से अपना यह संशोधन लाया हूं। मैं निश्चित हूं और मेरी जानकारी उनसे ज्यादा पूर्ण है। इसलिये मैं फिर भी इस राय का हूं कि जो संशोधन मैंने पेश किया है अगर सरकार उसको नहीं मानती है तो पंचायत राज ऐक्ट में दिये हुये जनता के बुनियादी अधिकारों का अपहरण करती है। मेरी निश्चित राय है कि सरकार की तरफ से इस समिति में सदस्य नामजद न किये जायं, क्योंकि डेमोक्रेसी का अर्थ यह है कि जिसके द्वारा जो चुना जाता है उसके प्रति वह जवाबदेह होता है। जो नामजद प्रधान होगा वह सरकार के द्वारा नामजद होगा। वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। जो भी वह कार्य करेगा वह जनता के हित में नहीं करेगा। वह सरकार के हित में करेगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि यह समिति जो बनाई जाय उसमें नामजद प्रतिनिधि नहीं होन चाहिये। वह जनता द्वारा भेज जाने चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन को फिर सदन की स्वीकृति के लिये रखता हूं।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, इसमें कोई नई बात नहीं कही गई है। वही पुरानी बातें हैं इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (१) के आगे "जो चुने गये हों" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (१) में शब्द "प्रधान" के आगे शब्द "जिसका चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से हुआ हो" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं, जैसा कि भीखालाल जी का सुझाव था, खंड ६ के उपखंड (१) के जितने संशोधन हैं उनको एक साथ ले लेता हूं।

अब माननीय वीरेन्द्रशाह जी, आप १६ नम्बर वाला संशोधन पेश कीजिये। छपने में कुछ गड़बड़ हो गयी है।

*राजा वीरेन्द्रशाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) में से भाग (३) निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इससे मेरा मतलब यह था कि जो क्षेत्रीय समिति बनेगी उसमें व्यवस्था है कि जिन खंड संघों तथा सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खंड के भीतर हों उनका एक प्रतिनिधि जो ऐसी शर्तों के अधीन तथा ऐसी रीति से चुना जायगा जो नियत की जाय, रहेगा। तो मेरा कहना है कि क्षेत्रीय समिति इतनी न बढ़ायी जाय कि काम करने में असुविधा हो। जब प्रधान वहां रहेगा तो उस क्षेत्र का पूरा और अच्छी तरह से वह प्रतिनिधित्व कर सकता है और इसकी कोई वजह नहीं है कि उन छोटी समितियों में जो काम न भी होते हों उनके लोगों को आप प्रतिनिधित्व दें। इसस क्षेत्रीय समिति बहुत बढ़ जायगी और कोई खास लाभ न होगा।

श्री उपाध्यक्ष---अब श्री खुशीराम जी अपना संशोधन पेश करेंगे।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मेरे चार संशोधन हैं और वे इस आशय के हैं कि .....

श्री उपाध्यक्ष---पहले आप संशोधन पेश तो कर दें।

श्री खुशीराम---मेरा संशोधन १४ नम्बर पर है और उसे पढ़ा हुआ माना जाय, मुझे कम दिखायी दे रहा है इसलिये।

श्री उपाध्यक्ष---यह बड़ी कठिनाई है, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री खुशीराम---मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उक्त संशोधन को श्री माताप्रसाद जी को पेश करने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ क उपखंड (१) के भाग (३) या (४) के अन्त में निम्न शब्द और जोड़ दिये जायं---

"और जिन खंडों के भीतर अनुसूचित पिछड़ी जाति की उत्थान समितियां रजिस्ट्रीकृत हों, उनमें से भी एक प्रतिनिधि चुना जायगा।"

श्री उपाध्यक्ष---आप इसका मतलब बतलायें कि यह ३ में जोड़ा जाय या ४ में जोड़ा जाय अथवा ३ और ४ दोनों में जोड़ दिया जाय।

श्री खुशीराम---मेरे संशोधन का मतलब यह है कि हरिजनों के लिये १८ सीटों का रिजर्वेशन है, लेकिन इस बिल में जो दिया गया है उसमें १८ के बजाय ५ रह गयी हैं। इसमें यह रखा है कि फी जिले में ५ रखे जायंगे। तो यह तो बहुत कम है। इस संशोधन के द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि हमारा जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से हमें स्थान मिलना चाहिये। आज चारों तरफ राष्ट्र की यह नीति है कि इनको उठाया जाय, इनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायं, तो क्या कारण है कि इनमें इन लोगों को संख्या के हिसाब से स्थान न दिये जायं। आशा है माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

*राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (४) की दूसरी पंक्ति में शब्द "उनके बाद दो" के स्थान पर शब्द "एक" रख दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, सरकार का मंशा इन समितियों में दो प्रतिनिधि रखने का है। हम यह चाहते हैं कि इनमें दो रखने से क्या फायदा होगा इस पर सदन विचार करे। अभी तो सेवा सहकारी समितिय बनी ही नहीं हैं। जो ब्लाक के अधिकारी होंगे उनका बहुमत कराने के लिये यह सरकार दो प्र तिनिधि चाहती है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। जब चुने हुए लोग वहां मौजूद हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को मान लिया जाय।

यह जो दूसरा संशोधन है मेरा कि खंड ६ के उपखंड (१) में से भाग (३) निकाल दिया जाय, यह पहले वाले संशोधन की ही तरह का है। इसकी मंशा वही है। अगर पहला वाला संशोधन नहीं मानते हैं मंत्री जी, तो इसको भी नहीं मानेंगे। इसलिये इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं अपना पहला संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। १७—क वाला पेश कर रहा हूं।

श्रीमन्, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (६) व (७) निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इनमें यह प्राविधान किया गया है कि लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के सदस्य, राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के जो सदस्य होंगे वे भी उन क्षेत्र-समितियों के सदस्य होंगे। मैं इसका इसलिये विरोध करता हूं कि लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों के पास इतना अधिक काम रहता है जिसके कारण न तो वे उन क्षेत्रीय समितियों में भाग ले सकते हैं और न ही उनको लेना चाहिये। वहां पर जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको हमें अवसर देना चाहिये कि वे अपनी स्वतंत्र बुद्धि से अपने क्षेत्र के विकास के लिये कार्य कर सकें। जब यह लोग, जो देश तथा प्रान्त के नेताओं में शुमार किये जाते हैं, वहां जाकर हस्तक्षेप करेंगे तो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वे विकास के कार्य में उतना भाग नहीं ले सकेंगे जितना कि उनको लेना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इन को इन समितियों का सदस्य नहीं होना चाहिये और इसीलिये मैंने अपना यह संशोधन पेश किया है। आशा है माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (७) के आगे एक नया प्रतिबन्ध इस प्रकार रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि क्षेत्र समिति में टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के चेयरमैन तथा प्रेसीडेंट वोट नहीं कर सकेंगे तथा उसी प्रकार क्षेत्र समिति का प्रमुख भी उक्त टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया की बैठक में सम्मिलित होने का अधिकारी होगा।"

ये टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया तो क्षेत्र समिति के एरिया में आते नहीं हैं और जो चेयरमैन शामिल किये गये हैं उनका क्षेत्र समिति से कोई मतलब नहीं है। वह तो जिला परिषद् के अधिकार में हैं इसलिये उनको रखना बेकार सा है। अगर उनको रखना ही है तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह से वह आयें, विकास के कार्य को देखें, अनुभव करें, लेकिन वोट नहीं देंगे। इसी प्रकार क्षेत्र समिति के प्रमुख को भी मीटिंगों में शामिल किया जाय और उसे भी वोट देने का अधिकार न हो, इसी लिहाज से इसको रखा है। आशा है कि इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री अमरनाथ—मैं अपना संशोधन १७—ककक नहीं पेश करना चाहता हूं, मैं १७—क का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उपखंड (१) के सब समाप्त हो गये हैं, आप बोलिये।

श्री अमरनाथ---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के जरिये यह बात कही गयी है कि जो राज्य विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्य हैं उनको इसका सदस्य नहीं होना चाहिये। यह उचित ही है। उनके पास बहुत से काम हैं, बहुत सी कमेटियों के वे मेम्बर भी हैं और यह अच्छी परम्परा नहीं होगी कि उनको क्षेत्र समिति का भी सदस्य बनाया जाय। इससे उनके कामों में असुविधा भी होगी। अ.र अगर उनको रखना जरूरी है तो सभी को न बनाया जाय, बल्कि उस क्षेत्र से इस किस्म के जो लोग हों उनमें से उन्हीं के द्वारा चुने हुए कुछ व्यक्ति लिए जायं तो बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, उधर से जो संशोधन पेश हैं मैं हर एक के बारे में अपनी राय देना चाहता हूं। पहले तो खुशी राम जी ने, आपने स्वयं देखा, जिन जज्बात को ध्यान में रख कर यह प्रस्ताव रखा है, जिन जज्बात की बिना पर यह प्रस्ताव रखा गया है, उचित नहीं है और इसका मानना सरकार के लिये उचित नहीं होगा। क्योंकि खंड के भीतर जितनी भी अनुसूचित और बैकवर्ड जातियां हैं उनके प्रतिनिधित्व को इस प्रकार से मान लिया जाय तो कोई हद न रहेगी। वे रजिस्टर्ड संस्थायें १०--२० भी हो सकती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे अनिश्चित सी दशा हो जायगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं उनकी भावनाओं से हमदर्दी करता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस स्थान पर नहीं तो मैंने जो संशोधन खंड २ में दिया है उसको या तो मंजूर कर लें अथवा किसी न किसी तरह से इन धाराओं में संशोधन आ जाना चाहिये।

माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह उन्होंने बड़ी होशियारी से रखा है। उन्होंने यह कोशिश की है कि एक न सही तो दूसरे तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जाय। उनकी बुद्धिमत्ता की मैं सराहना करता हूं, परन्तु उनके विचारों का मैं घोर विरोध करता हूं। क्योंकि अब जो समाज का संगठन होने जा रहा है उसमें हम विकेन्द्रीकरण का सपना देख रहे हैं। जिस समाज की हम रचना करने जा रहे हैं उसका आधार दो संस्थायें ही होंगी--- एक तो सहकारी संगठन और दूसरी गांव पंचायतें। तो मैं नहीं समझता कि सरकार के लिये यह कहां की बुद्धिमानी होगी कि जिन क्रय-विक्रय समितियों और सहकारी समितियों की स्थापना की रोजाना बातें हम करते हैं उनके रिप्रेजेन्टेशन को ही सरकार न ले। मैं इसको अच्छी विचारधारा नहीं समझता। बल्कि उसको तो मैं यह कहूंगा कि यह रिऐक्शनरी विचारधारा का द्योतक है। इसलिये मैं वीरेन्द्रशाह जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय भारतीय जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि सेक्शन ६ और ७ को निकाल दिया जाय। इन सेक्शन्स को रखे जाने के बारे में कांग्रेस पार्टी में भी काफी चर्चा हुई थी और सरकार का जो पहला निश्चय था उसमें एम० एल० ए० और एम० पी० को नहीं रखा गया था। इसके ऊपर काफी चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी ने इधर व उधर के बहुत से सदस्यों की नाराजगी और असंतोष को देख कर इस प्रावीजन को इसमें रखा। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह अच्छा ही किया। प्लानिंग के युग में जब कि सरकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रही है, यह बिल्कुल ही उचित है, क्योंकि हम लोग उन्हीं जिला परिषदों और क्षेत्रीय समितियों के क्षेत्रों से ही चुने जाते हैं जहां कि विकास के कार्य होते हैं, और उनके कार्यकलाप को देखने के लिये उनका रहना अत्यन्त आवश्यक था। अतः माननीय मंत्री जी ने जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में किया है, उसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

अब मैं दूसरी बात देख रहा हूं कि भारतीय जी इसको निकालने की बात कहते हैं। मैं भारतीय जी की राय का नहीं हूं और उनकी राय का विरोध करता हूं।

रामहेतसिंह जी का जो प्रस्ताव है उसमें यह है कि क्षेत्रीय समिति के प्रधानों को टाउन एरियाज में जाने का अधिकार दिया जाय और टाउन एरिया कमेटी के प्रधान को क्षेत्रीय समिति में जाने का अधिकार दिया जाय और वोट का अधिकार न हो। मैं समझता हूं कि अब चूंकि हर स्टेज पर यह विधेयक कम्पाइल हो रहा है उसको देखते हुये फुलफ्लेज्ड मेम्बरशिप

नोटीफाइड एरिया के अध्यक्ष का होना जरूरी है। टाउन एरियाज की कोई स्कीम हो सकती है और अगर उसमें राय देने का प्रधान को हक न हो तो वह उचित नहीं होगा। साथ ही साथ जो टाउन एरिया वाली बात कही गयी है वह उचित बात नहीं होगी क्योंकि क्षेत्रपति के अन्तर्गत कई टाउन एरियाज हो सकती हैं और वह वाइड पालिसी का आदमी होगा। इसलिये उसको वहां क्षेत्र समिति में भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। उस क्षेत्र का निवासी न होने से उसका उससे कोई सम्बन्ध भी नहीं होता। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह से करना उचित नहीं होगा।

अब जो अमरनाथ मिश्र जी ने रखा है उसके लिये आपने बहस करने का मौका दे दिया है इसलिये उस पर ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। जो भी प्रस्ताव आये हैं मैं उनका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक की इस खंड की शब्दावली का समर्थन करता हूं।

श्री होरीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के जो माननीय सदस्य हैं वह राजनीतिक क्षेत्र में खुदा की जगह लेना चाहते हैं। खुदा हर जगह सर्वव्यापी है और विधान सभा के सदस्य भी राजनीतिक क्षेत्र में गांव सभा से लेकर विधान परिषद् तक सब जगह अपनाना चाहते हैं और सारी सत्ता अपने हाथ में हथियाने की कोशिश करते हैं। सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं और गांव के लेविल पर एक नया नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं परन्तु इस खंड के रहते हुए यह साबित होता है कि वास्तव में वह चाहते हैं कि हमीं हर जगह के नेता हो जायं चाहे वह ब्लाक में हो, चाहे जिला परिषद् में हो, वे अपना रोब हर जगह जारी रखना चाहते हैं और इससे यह होता है कि गांव में नया नेतृत्व जो पैदा हो सकता है वह दबता है। मुझे तजुर्बा है मान्यवर, कि गांवों में आजकल क्षेत्रीय समितियां हैं इनमें जो मेम्बर्स होंगे उनमें से २० फीसदी ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक गांव की पंचायत या क्षेत्रीय समितियों को अटेन्ड किया हो। जहां जिस दिन कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जाते हैं या माननीय मंत्री जाते हैं तब तो वे तशरीफ वहां ले जाते हैं, लेकिन जहां बी० डी० ओ० आदि छोटे अधिकारी जाते हैं वहां जाना ये अपनी शान और मर्यादा के खिलाफ समझते हैं। तो इस तरह से क्षेत्रीय समिति के मेम्बर बन जायं, जिला परिषद् के मेम्बर बन जायं बीसों कमेटियां हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती उनमें श्रीमन्, बहुत से मेम्बर ऐसे होंगे जो आज तक नहीं गये होंगे। विधान सभा के सदस्यों की इतनी कमेटियां हैं, जिनमें जाना आज कल बड़ा मुश्किल हो रहा है और वे परेशानी का बायस हो रही हैं तो फिर आप क्यों उन परेशानियों की ओर ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अगर विधायक या एम० पी० क्षेत्र समिति के मेम्बर न हों या जिला परिषद् के मेम्बर न बनें तो आपकी कोई मर्यादा या इज्जत घट जायगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिये जो संशोधन श्री देव-नारायण भारतीय जी ने पेश किया है, मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह उसे मंजूर करें ताकि नये नेतृत्व, नये दल और नये लोग ज्यादा पैदा हो सकें जो अपने स्वतंत्र विचार तथा अपनी नयी राय दे सकें जिससे हम गांवों का नवनिर्माण कर सकें। हमको वहां जाने का अधिकार है, हम वहां जा सकते हैं, वहां बैठ कर उनको अपनी सलाह भी दे सकते हैं परन्तु उसका मेम्बर होना और उसमें वोट देने का अधिकार लेना हम माननीय सदस्यों के लिये उचित नहीं होगा।

***श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत खंड ६ के उपखंड में अनेक सदस्यों द्वारा अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। अगर गम्भीरतापूर्वक इन उपखंडों के ऊपर विचार किया जाय तो शायद किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

जहां तक इस खंड के प्रथम उपखंड की बात है, उसमें क्षेत्र समिति के प्रधान को अधिकार दिया गया है—उसके सम्बन्ध में जो चुने जायं, या जो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुने जायं, इस बात के ऊपर भी संशोधन आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—शायद आप उस समय सदन में थे नहीं, वह सब समाप्त हो गये।

श्री जगन्नाथ लहरी—अच्छा तो अब मैं आगे वाले संशोधनों पर आ रहा हूं। प्रस्तुत विवाद विधायक लोगों के सम्मिलित करने के ऊपर चल रहा है। हम जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक जनता की कमेटी में अपने विचार प्रकट करने से उस जगह को न हथिया लें, जैसा कि अभी एक संशोधन उस कर्तव्य की महान चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या माननीय सदस्य यह बतला सकते हैं कि इस विधान सभा में जहां कि हम लोगों का अधिकांश समय विधेयकों और अधिनियमों के ऊपर विचार विमर्श में ही व्यतीत होता है, क्षेत्र की जनता जो हम लोगों से अपने क्षेत्र के निर्माण और क्षेत्र के कार्य और सुधार की आकांक्षा रखती है उसकी पूर्ति हम इस विधान भवन के अन्दर बैठ कर कहां तक करते हैं? क्षेत्र की जनता की सही सहायता, क्षेत्र की जनता की सही आकांक्षा की पूर्ति के लिये निर्माण और योजना के लिये हम लोग अपने सुझाव प्रकट कर सकते हैं। अन्तरिम जिला परिषद् के निर्माण के पूर्व योजना समिति के पदेन सदस्य के रूप में वहां हम लोग सुझाव रखा करते थे। अन्तरिम जिला परिषद् बनने के बाद जिला बोर्ड और प्लानिंग कमेटी दोनों समाप्त कर दी गयीं और अन्तरिम जिला परिषद् के नाम पर एक नयी बाडी हम लोगों के सामने आयी। पहले जिला बोर्ड का कोई भी विधायक सदस्य नहीं होता था, लेकिन निर्माण-कार्य के लिये नियोजन समितियों के विधायक सदस्य होते थे। जब अन्तरिम जिला परिषद् को नियोजन का भी काम सौंपा गया है तो नियोजन के लिये ही हम लोगों को उसका एक पदेन सदस्य रखा गया है। आज भी जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय बार-बार कहा था, क्षेत्र समितियों के आयोजन के कार्य की सफलतापूर्वक संचालित करने के लिये, आयोजन के सफल संचालन के लिये और उसमें पूरा-पूरा हाथ बटाने के लिये विकेन्द्रीकरण की जरूरत है। क्षेत्र समिति अब एक कानूनी रूप धारण करने जा रही है, लेकिन उससे पूर्व आज भी ब्लाक कमेटी और छाया कमेटी हैं और वही सब के सब सदस्य आज भी ब्लाक कमेटी और छाया कमेटी के सदस्य हैं। इन समितियों में हम विधायक लोग अपने जो विचार प्रकट करने के लिये प्रतिमास पहुंचते हैं तो क्या उससे यह बात कही जा सकती है कि उन समितियों की सदस्यता के फलस्वरूप हम लोगों ने गांव-गांव का नेतृत्व अपने हाथ में हथिया लिया है? प्रत्येक क्षेत्र की जनता इस बात की आकांक्षा करती है कि उनके क्षेत्र के लिये क्या किया जा रहा है उसके बारे में हम वहां की जनता को बता सकें। तो जब आज भी हम विधायक लोग ब्लाक कमेटी और छाया कमेटी के सदस्य हैं और अपने विचारों को वहां प्रकट करते हैं तो जब यह विधेयक क्षेत्र समिति और जिला परिषद् की बात रखता है तो उसमें क्या दिक्कत है?

आज जो ब्लाक ऐडवाइजरी कमेटी और शैडो ब्लाक ऐडवाइजरी कमेटी हैं वह सलाहकार समितियों के रूप में रखी गई हैं। उनको अभी तक स्वायत्त शासन की इकाई स्वीकार नहीं किया गया है। आज यह कमेटियां ऐडवाइजरी कमेटी के रूप में राय दे देती हैं और अन्तरिम जिला परिषद द्वारा उनकी राय को जब स्वीकृति मिल जाती है तभी वह कार्य रूप में परिणत की जाती है। लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद क्षेत्र समितियों का जो चुनाव होगा तो आज जो एडवाइजरी कमेटी के रूप में हैं वह क्षेत्र समिति के नाम से होंगी और स्वायत्त शासन की एक नई इकाई होंगी। अगर एक स्वायत्त शासन की इकाई जो कि अभी तक एडवाइजरी कमेटी के रूप में कार्य कर रही है, कानूनी रूप में आ जाती है और उसमें क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि चाहे वह विधान सभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो...

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल माननीय अध्यक्ष ने समय निश्चित किया था स्पीचों के लिये कि जो संशोधन पेश करेगा वह ७ मिनट और फिर बाद को ५ मिनट से अधिक कोई सदस्य नहीं बोलेगा। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था चालू नहीं है, आप कृपया ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष—छोटी-छोटी स्पीचें हो रही हैं। व्यवस्था चालू है। वह अब खत्म करने ही वाले हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं .....

श्री जगन्नाथ लहरी—माननीय नागर जी बिना व्यवस्था के प्रश्न के बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप समाप्त कीजिये जल्दी।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन, अब मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री शिवप्रसाद नागर से) आप कृपा करके बैठ जाइये। माननीय लहरी जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री जगन्नाथ लहरी—मान्यवर, मैं सदन के सम्मुख अपने विचार प्रकट कर रहा हूं कि क्षेत्र समिति.....

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब मैं आपके द्वारा कुछ निवेदन करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा उधर के लोग बोलें और फिर क्लोजर मूव कर दें, इस बीच में मैं आप से कुछ निवेदन नहीं कर सका और इसी बीच में सारे प्रश्न लहरी जी ने कर दिये। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दूसरा सदस्य खड़ा होकर हमको डांट नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग ऐसा मौका इसलिये देते हैं कि मैंने इजाजत नहीं दी थी और आप बोलने लगे।

श्री जगन्नाथ लहरी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पक्ष में इसलिये बोल रहा हूं कि अभी भी हमारे जिले में अन्तरिम जिला परिषद् है.....

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

***कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समर्थन बहुत थोड़े से शब्दों में करूंगा। सब से पहले तो जो० एम० एल० एज रखे गये हैं मैं इसका विरोध करता हूं। संसार प्रसिद्ध बात है कि कुश्ती के अखाड़े में बहुत कम बुद्धिवादी लोग जाते हैं। जो कुश्ती लड़ते हैं उनको आम तौर से कहा जाता है कि यह बुद्धिवादी नहीं हैं। मगर वहां भी कुश्ती बेजोड़ नहीं लड़ाई जाती है, दर्जे से लड़ाया जाता है, जोड़ से लड़ाया जाता है। मगर क्या कहूं सरकार एम० एल० एज को जिला परिषद् और क्षेत्र समिति में ले जाकर लड़ा रही है। हमारे मंत्री जी चुहिया के बिल में हाथी घुसाना चाहते हैं। अतः यह वास्तव में एम० एल० एज की प्रतिष्ठा के खिलाफ़ है और इस प्राविधान को कतई नामंजूर किया जाय। अपने से छोटे अखाड़े में क्यों उतारते हैं मंत्री जी?

इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हर सहकारी समिति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, यानी जितनी भी रजिस्ट्रीकृत सहकारी समितियां होंगी उनके एक-एक प्रतिनिधि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

होंगे। अभी कल ही माननीय सहकारिता मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पहले स्कीम यह थी कि हर गांव की एक समिति बनायी जायगी मगर उसमें कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज गलत हो गई जिसके कारण हर गांव की न रख कर शायद १,००० या ३,००० की आबादी पर एक समिति रखी गयी। आम तौर से एक ब्लाक के अन्दर ५० से लेकर १०० गांव तक होते हैं। अगर हम यह मान लें कि तीन गांव की एक समिति होगी, तो भी आप देखें कि २० मेम्बर उन्हीं के होंगे। इसके अन्दर ६० औसत मान लें तो २० मेम्बर उन्हीं के हो गये। तो इसके माने यह हुए कि क्षेत्र समिति क्षेत्र के उत्थान के लिये नहीं बनी, बल्कि कोआपरेटिव आन्दोलन के प्रचार के लिये यह समिति बनी। कोआपरेटिव वालों का ही बहुमत हो जाय तो और दूसरे की बात न चल सकेगी। तो जो चीज मंत्री जी चाहें सहकारिता में ले जाकर रख लें।

श्रीमन्, मैं रामहेत जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जब टाउन एरिया का प्रेसीडेंट आकर क्षेत्र समिति में शरीक हो सकता है तो क्षेत्र समिति का प्रेसीडेंट टाउन एरिया समिति में क्यों नहीं शरीक हो सकता? जरूर होना चाहिये। गांव से नगरों का बिलगाव हो और नगरों का गांवों पर प्रभुत्व हो यही उद्देश्य मालूम होता है। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं संशोधनों का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे चूंकि गांधीवादी हैं उनको सहकारिता के आधार पर इसको छोड़ कर, महात्मा गांधी के गांधीवाद को छोड़ कर सोचना चाहिये कि ये सारी चीजें जो विदेशी कल्पना में घुस रही हैं न आने पायें।

*श्री प्रतापसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, खंड ६ में जो संशोधन उपखंड ६, ७ को निकालने के लिये रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं लहरी जी को सुन रहा था और कल तक जो चीज हमारे बीच में बैठ कर कहते थे आज उसका उल्टा कह रहे हैं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में सब से बड़ी जरूरत पड़ेगी एक विलेज लीडरशिप की। सेकंड रैंक लीडरशिप कैसे पैदा होगी? जब किसी भी समिति में एम० पी०, एम० एल० एज बैठते हैं तो ग्राम सभा का सरपंच जो होता है उसको मौका नहीं मिलता कि वह अपनी बात सही तरीके से कह सके। आज कांग्रेस राज्य की तरफ से जो नियोजन चल रहा है उसमें विलेज लीडरशिप की जरूरत है। गांव के लोगों का स्तर कैसे ऊंचा हो और कैसे वे वहां का इन्तजाम कर सकें यह तभी हो सकता है जब एम० एल० एज तथा एम० पीज उसमें न रहें।

माननीय लहरी जी की दलील मेरी समझ में नहीं आई कि एक व्यक्ति एम० एल० ए० है या एम० पी० है वह जिला परिषद् में जाकर राजनीति का अखाड़ा बनाये। अगर इस विकेन्द्रीकरण को सफल करना है तो ऐसे प्रोफेशनल पोलिटीशियंस को रखना चाहिये जिससे सही तरीके से काम चल सके। अगर ये रहेंगे तो इस विधेयक का जो प्रयोजन है, विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त, वह सफल नहीं हो सकेगा। इसलिये यह मानी हुई बात है कि जनतांत्रिक तरीके से हर आदमी को नैतिकता के अनुसार काम करने का मौका मिले तो जो बैठे हुए विधायक हैं उनसे कहूंगा वे जरा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि जिन व्यक्तियों को आपने असेम्बली में चुन कर भेजा है उनको आप रोकना चाहते हैं। एम० एल० एज, एम० एल० सीज और एम० पीज अगर उसके मेम्बर नहीं होंगे तो उनके बदले वे लोग मेम्बर होंगे जो उनको चुन कर यहां भेजते हैं। इसलिये आज जो लोग इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं उसका मतलब है कि वे अपने मतदाताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। विकेन्द्रीकरण का मतलब है कि यह सदन इस प्रान्त की असेम्बली हो, जिला परिषद् जिले की असेम्बली हों और वैसे ही क्षेत्र समिति विकास खंड की असेम्बली हो। हम उन मतदाताओं की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं जिन्होंने अपने कीमती वोट से हमको और आप सब को चुन कर यहां भेजा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका एक मिनट रह गया है।

श्री प्रतापसिंह—बहुत अच्छा। माननीय मंत्री जी का, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनका स्वयं, विचार था कि एम० एल० एज०, एम० पीज वगैरह उसमें नहीं होने चाहिये, वह बहुत उत्तम था। इनके उसमें रहने से सेकेंड रैंक लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकती। चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, हम लोग तो खड़े होकर यही कहने लगते हैं कि हम तो असेम्बली में यह पास करके आये हैं। तो गांव का एक कम पढ़ा-लिखा किसान अपनी बात को वहां पर अच्छी तरह से नहीं रख सकेगा और वह यही समझेगा कि हमने जिस एम० एल० ए० को भेजा है वह अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जिला स्तर पर दलगत राजनीति कायम न हो। सेकेंड रैंक लीडरशिप डेवलप करे और जनता के प्रतिनिधि आगे आयें। इसके लिये यह आवश्यक है कि खंड ६ और ७ निकाल दिये जायं।

***श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव** (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भारतीय जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बड़ी चर्चा इस बात की है कि एम० एल० एज, एम० पीज अगर ब्लाक कमेटीज में या जिला परिषदों में बैठेंगे तो विकेन्द्रीकरण न हो सकेगा।

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं नहीं समझ पाया, जैसा कि अभी माननीय प्रतापसिंह ने कहा, कि विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को बड़ा भारी आघात पहुंचेगा अगर एम० एल० एज और एम० पीज वहां पहुंच गये। दो दिन से इस बिल पर होने वाली चर्चा को मैं सुनता चला आ रहा हूं और जिस कांटेक्स्ट में चर्चा रही, चाहे वह ब्यूरोक्रेसी की आलोचना हो या कोई और चीज हो, और फिर भी अगर माननीय प्रताप सिंह यह चाहें कि एम० एल० ए० या एम० पी० वहां न जायं तो मुझे ताज्जुब होता है। बिल के कांटेक्स्ट में और जो विवाद चल रहा है उसके कांटेक्स्ट में अगर देखा जाय तो इन लोगों का वहां रहना जरूरी है।

एक बात यह कही गयी कि अगर एम० एल० ए० और एम० पी० वहां पहुंच जाते हैं तो सेकेंड लीडरशिप नहीं ग्रो करेगी। हर चीज नीचे से ग्रो करती है, यह सब मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बीज के रूप में तो ऊपर से डालना ही पड़ता है। आज अगर ब्लाक कमेटीज में और जिला परिषदों में एम० एल० ए० और एम० पीज जाते हैं तो जो चुने हुये सदस्य वहां आयेंगे उनको वे कुछ रास्ता ही दिखायेंगे। कल या परसों हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने भी यह कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की परिभाषा क्या है और वहां पर असेम्बली में हम लोगों का कार्य क्या है। दोनों को बतलाते हुए उन्होंने कहा कि वही एक स्थान है जहां पर हम सेवायें कर सकते हैं, यहां पर तो हम केवल बैठ कर कानून बना सकते हैं। वहां पर जो सरकार की पालिसी है उसका अध्ययन करते हुये हम नीचे तक उसे पहुचा सकते हैं और जो नये चुने हुये नुमायन्दे होंगे उनको कम से कम उस हवा से बचा सकते हैं जो हवायें उनकी ग्रोथ में बाधक बन सकती हैं।

तीसरी बात, मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह भी कहूंगा कि जब आज हम नियोजन के युग से गुजर रहे हैं और एक तरह का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक निर्माण का, तो कितना कार्य हमको नीचे के स्तर पर करवाना है, कितना कार्य हमको जिला स्तर पर करवाना है और कितना कार्य हमको राज्य के स्तर पर करवाना है इसके लिये यह जरूरी हो जाता है कि वहां पर वह लोग होने चाहिये जो कम से कम आगे का परफारमेंस दे सकें और काम करा सकें। यदि क्षेत्र समितियों में एम० एल० एज नहीं जाते हैं तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

आगे का परफारमेंस कौन करेगा? इसलिये उनका वहां जाना नितान्त आवश्यक है। यह नहीं की वह उनके ग्रोथ में रुकावट हों बल्कि वह उनकी ग्रोथ में सहायक बनें और विलेज इवोल्यूशन को पूरा करके दिखायें, इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, संशोधन जिस क्रम में उपस्थित हुये हैं मैं उन सब को एक एक करके लेता हूं। पहला संशोधन जो राजा वीरेन्द्रशाह का है वह इस प्रकार है कि "खंड ६ के उपखंड (१) में से भाग (३) निकाल दिया जाय"। इसके भाग (३) में यह व्यवस्था की गई है कि "जिन खंड संघों (ब्लाक यूनियन) तथा सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खंड के भीतर हों उनके एक प्रतिनिधि जो ऐसी शर्तों के अधीन तथा ऐसी रीति से चुने जायंगे जो नियत की जाय।" लेकिन माननीय वीरेन्द्रशाह चाहते हैं कि कोआपरेटिव समितियों के सदस्यों के चुनकर आने की जरूरत नहीं है। इनके आने की बहुत जरूरत है और मैंने कल भी निवेदन किया था कि जो क्षेत्र समितियों में काम होंगे उनसे बहुत कुछ सम्बन्ध सहकारी संगठनों का होगा। जो क्रय-विक्रय समितियां होंगी वह उत्पत्ति के बढ़ाने में साधन जुटायेंगी और उसके बिकवाने में सहायता करेंगी। इसी तरह से खंड में जो सहकारी संघ होंगे वही सामान पहुंचाने में तथा रुपया पहुंचाने में मदद करेंगे। इसलिये ऐसे संगठनों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। इसलिये मैं इसका और खंड (४) के जो निकालने की बात कही गई है, उसका विरोध करता हूं।

दूसरा संशोधन जो माननीय खुशीराम जी का है, उसमें कहा गया है कि जिन खंडों के भीतर अनुसूचित पिछड़ी जाति की उत्थान समितियां रजिस्ट्रीकृत हों, उनमें से भी एक प्रतिनिधि चुना जायगा। इसके उपखंड (३) और (४) में सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का उल्लेख है, इसमें किसी और के प्रतिनिधि का जोड़ना अनुचित है और इसके अलावा प्रस्तावक महोदय ने जो आशय व्यक्त किया था उससे यह मेल नहीं खाता। उनका कहना था कि अनुसूचित जातियों का संरक्षण हो तो इसकी भी पूर्ति नहीं होती है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

इसके अतिरिक्त १७—क पर जो संशोधन अंकित किया है उसमें विधायकों और एम० पीज को इन समितियों की सदस्यता से हटाने की बात कही गयी है, मैं उसका भी विरोध करता हूं। मैं यह नहीं मानता कि विधायक और एम० पीज किसी प्रकार सहायक इन समितियों और जिला परिषदों में नहीं होंगे। उनका सहय ग वहां पर काम बढ़ाने में सहायक हो सकता है। जो यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वह क्षेत्र समिति या जिला परिषद् के प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो सकेंगे यह बहुत काफी है। माननीय सदस्य की जो यह आशंका है कि उनके रखे जाने से जो सेकेंड लीडरशिप डेवलप करेगी वह कुंठित हो जायगी ऐसी बात होने वाली नहीं है। यदि वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख या उपप्रमुख हो सकते तो यह बात सम्भव हो सकती थी, लेकिन इस प्रतिबन्ध के होते हुए ऐसा नहीं होगा। तो इसमें किसी आशंका की गुंजायश नहीं है। उनका सहयोग होना आवश्यक और उचित है। उनके रखे जाने से उन समितियों का लाभ होगा।

अब तीसरा संशोधन जो श्री देवनारायण भारतीय जी का है उसकी मंशा यह है कि टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन और प्रेसीडेंट को वोट देने का अधिकार न हो। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् में सभी सदस्यों को सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो जब टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के चेयरमैन और प्रेसीडेंट को रखा जा रहा है तो वोट का अधिकार देने से ही लाभ होगा।

समितियों में उनके रखने की एक मंशा और है। जिले में ऐसा कोई एन्क्लेव न छूट जाय कि वह बिल्कुल अलग रहे। जब कि जिले का विकास होने जा रहा है तो ऐसा न हो कि उनका उससे कोई मतलब न हो। बहुत से ऐसे खंड होंगे जिन में टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड आ गये होंगे। इस तरह उनको छोड़ देने से अहित होगा। इसलिए

टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के चेयरमैन और प्रेसीडेंट को क्षेत्र समिति का मेम्बर बनाया गया है। जहां तक यह बात कही गयी कि उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं होगा यह बात पूरी सही नहीं है। क्योंकि टाउन एरिया जिला परिषद् के अधीन रहेगी और उनकी निगरानी जिला परिषद् करेगी। फिर यह कहना और यह शर्त लगाना कि उनको वोट का अधिकार न दिया जाय और जो हमारी क्षेत्र समितियां होंगी उनके प्रमुख टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के मेम्बर हो जायं, यहां पर उपयुक्त नहीं है। इस तरह से इस खंड के अन्तर्गत जितने संशोधन रखे गये हैं मैं सबका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदन इनको अस्वीकार करेगा।

श्री भीखालाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन माननीय देवनारायण भारतीय जी ने पेश किया है कि खंड ६ के उपखंड (६) और (७) को निकाल दिया जाय मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय उपमंत्री जी ने अभी बड़ा जोर दिया कि क्षेत्र समिति में विधायकों, लोक सभा के सदस्यों को जरूर रहना चाहिए क्योंकि उनके रहने से विकास के काम में सुविधा होगी और वे ज्यादा योगदान कर सकेंगे। जहां तक विकास का ताल्लुक है जिस तरह से यह जिला परिषद् विधेयक आया है विकास की योजनाएं मान्यवर, ग्राम सभा से चलेंगी। ग्राम सभाएं विकास योजनाएं बना कर क्षेत्र समितियों के पास भेजेंगी। क्षेत्र समितियां उनको कंसालिडेट करके जिला परिषद् के पास भेजेंगी। अगर माननीय मंत्री जी का यह उद्देश्य है कि सब एम० एल० ए० और एम० पी० उसमें सहयोग दे सकते हैं तब तो माननीय मंत्री जी को ग्राम सभा से शुरू करना चाहिये था और एम० एल० ए० और एम० पी० ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के सदस्य रहने चाहिये थे। उसको क्यों छोड़ दिया इसको मैं नहीं समझा। हर मर्ज की दवा एम० एल० ए० और एम० पी० ही हैं, यह नहीं हो सकता। यहां पर विधान सभा में विकास के कामों में वह अपना योगदान कर सकते हैं। हर शख्स वहीं पर योग दान कर सकेगा, इस तर्क को मैं समझ नहीं पाया। जहां क्षेत्र समितियों में एम० एल० ए० या एम० पी० रहेंगे तो वह उन कमेटीज पर पूरे तौर से छाये रहेंगे, यह सत्य है। आज भी हम उन कमेटियों के मेम्बर हैं और हमारे सम्पर्क में रहने वाले जो प्रधान या दूसरे लोग उन कमेटियों के मेम्बर हैं, अगर किसी मामले में हम कोई बात करने लगते हैं तो वे लोग उस बात पर खामोश रहते हैं। वह समझते हैं कि एम० एल० ए० साहब बात कह रहे हैं तो हमारे बोलने की क्या आवश्यकता है। वे अपनी बात नहीं कह सकते हैं। वह पीछे पड़ जाते हैं। गांव का छोटा आदमी उसमें आकर अपना योग दान करे वह बात पीछे पड़ जायगी। वह दबे रहेंगे। इसलिये जो तर्क इसके लिये दिया गया है वह उचित है। मैं समझता हूं एम० एल० ए० और एम० पी० को क्षेत्री समितियों में नहीं रहना चाहिये। उनका योगदान जहां पर उचित है वहीं कर सकते हैं। इस कारण मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो प्रस्तावित संशोधन हैं उन सभी के सम्बन्ध में अपना राय प्रकट करना चाहता हूं। इस खंड ६ के उपखंड (१) के ऊपर जो ३, ४ संशोधन रखे गये हैं उनमें काफी वजन है। आप यह देखें कि यह क्षेत्र समितियां जो बनेंगी उसमें हमें इस बात को देखना है कि उसमें ऐसे सदस्य हों जो सचमुच क्षेत्र समितियों के निर्माण में या विकास के कार्य में उचित योग दे सकें। यदि उसमें अपने बहुमत के द्वारा पार्टीबन्दी लाना चाहें तो फिर उसका लक्ष्य पूरा न होकर उलटा परिणाम निकलेगा।

हम यह देख रहे हैं कि आज हमारी सहकारी समिति या अन्य क्रय-विक्रय समितियों का संगठन अभी ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है, लेकिन क्षेत्र समितियों का संगठन क्या फरवरी से पहले होने की आशा है? ऐसी हालत में जब यह सहकारी समितियां नहीं बन रही हैं और इनके प्रतिनिधि चुने जाने का प्राविधान हो, तो उससे यह होगा कि कुछ योग्य व्यक्ति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

आ सकेंगे। नहीं तो फिर उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा या सरकार के इशारे पर आने वाले व्यक्ति आ जायेंगे। वह इस प्रकार का निर्माण होगा जो हमारे लिए वाञ्छनीय नहीं है। उसमें ऐसे व्यक्ति आ सकेंगे जो उचित नहीं हों। लेकिन मुख्यतः उपखंड ६, ७ के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनके समर्थन में मुझे कहना अवश्य है।

सरकारी पक्ष की ओर से कुछ विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिये जोर डाला गया है, लेकिन क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि इनको सदस्य बनाने के लिये आप क्यों जोर देते हैं। यह सभी सदस्य लोक सभा, विधान सभा और विधान परिषद् के उस समिति में सलाहकार की हैसियत से जा सकते हैं और किसी भी समय उनको सलाह दे सकते हैं, लेकिन यदि नियमित रूप से सदस्य उसके होते हैं तो उनके पास वोट का अधिकार रहेगा। वह वोट का प्रयोग वैसे करेंगे जैसे कि उनको उनकी पार्टी का आदेश मिलेगा। यह सदस्य पहले यहां क्षेत्र समिति में वोट देंगे और फिर इनके वोट से जिला परिषद् में प्रतिनिधि भेजे जायंगे। एक दफा वोट दे चुके और अपने प्रतिनिधि भेजने में वोट के अधिकार का प्रयोग कर चुके तो दोबारा यह जिला परिषद् में जाकर अपना वोट देंगे। इस बार वहां अध्यक्ष कौन चुना जाय, किसको अध्यक्ष बनाया जाय, इसके लिये ये सदस्य क्षेत्र समिति में और जिला परिषद् में अपने बल को दिखाते रहेंगे जो काफी तादाद में जिलों मे हो सकते हैं। मुझे इस बात की आशंका है कि यह सरकार एक प्रकार से इन सदस्यों को लादना चाहती है। जो लोग क्षेत्र समिति के स्तर पर ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं, जो अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, उन पर सरकार अंकुश लगाना चाहती है।

यह मानी हुई बात है कि जिस छोटी कमेटी में एक सदस्य विधान सभा का बैठ जाता है तो लोग उसकी ओर देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ विचार करना है वह यही कर लेंगे, हमें अपनी निजी बुद्धि के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अंतरिम जिला परिषद् में उन सदस्यों को एक छाया सा बना दिया है और लोग इनकी गुटबन्दियों में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं और यही क्षेत्र समितियों में होने वाला है। यह उसी समय हो जायगा कि जब उनको वोट देने का अधिकार दे दिया जायगा। ये ऐसे मौके पर उपस्थित रहेंगे कि जब वोट के द्वारा अपनी ओर का वजन बढ़ाना होगा। हम उन सदस्यों का इस प्रकार कोई अनादर नहीं करना चाहते, उनकी राय हमको मिल सकेगी। आप राय देने के लिये हम को जिला परिषद् में बैठाते हैं। हम बैठते तो राय देने के लिये यहां भी हैं, लेकिन वहां हमको राय देने की बात ही रह जाती है, वोट देना हमारे लिये जरूरी न हो।

इसके अलावा अभी हमारे सामने बहुत सी बातें कही गयीं। उनमें मैं माननीय लहरी जी का विशेष उल्लेख करूंगा। वे जो बड़बोल मुंह से बोलते हैं उससे मुझे आश्चर्य होता है। १९५७ में उन्होंने कैसे स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में जनता का आवाहन किया था कि हम को योग्य बना कर भेजो।

(* * *)

श्री अध्यक्ष—यह व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उनकी राय परिवर्तन के बारे में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आप की राय में भी परिवर्तन हो सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अब माननीय सदस्य किस मुंह से जाकर जनता में अपनी बात कहेंगे। राय तो हर एक की बदलती है.....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं और कार्यवाही में इस प्रकार के जुमलों को नहीं रखा जायगा।

[* * *] उक्त अंश माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे इसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन मैंने अपने हृदय के भावों को प्रकट कर दिया। मैं चाहूंगा कि उसमें सदस्यों का प्रतिनिधित्व न रखा जाय क्योंकि उनके न रहने से ही क्षेत्र समितियां वास्तविक प्रतिनिधित्व करेंगी।

श्री नवलकिशोर—अध्यक्ष महोदय, इस उपखंड के सम्बन्ध में जितने भी संशोधन पेश किये गये हैं मैं उन सबका विरोध करता हूं। मान्यवर, जो बहस हुई उसमें अधिक से अधिक जोर इस बात पर था कि जो क्षेत्र समितियां हैं उसके सदस्य एम० एल० एज और एम० पीज न हों और इसके लिये एक ही तर्क दिया गया कि उनके होने से इस बात की आशंका है कि और जो दूसरे तत्व वहां आयेंगे उन पर यह इस तरह छा जायंगे कि जो ग्रामीण नेतृत्व की बात है उसका विकास नहीं हो पायेगा। मान्यवर, इसमें कोई सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है और यह भी मैं मान सकता हूं कि इस पर दो रायें हो सकती हैं। लेकिन हम इसको जब प्रैक्टिकल प्वाइंट आफ व्यू से देखते हैं, तो व्यावहारिक दृष्टि से इसमें आपत्ति होने वाली कोई बात नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस जरूर हुआ कि जहां एक तरफ नौकरशाही के प्रति अविश्वास की बात थी वह कुछ आगे बढ़ गयी और जनता के प्रतिनिधि जो हैं उन पर भी एक अविश्वास की बात पैदा हो गयी। यह बतलाया गया है कि इनके होने से वे अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करेंगे। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि क्षेत्र समितियों में औसत तौर पर ८० से लेकर १०० तक सदस्यों की तादाद होगी और जिसमें ४, ५ या ज्यादा से ज्यादा ६ एम० एल० एज व एम० पीज होंगे। मान्यवर, मैं इस बात को मानने से इन्कार करता हूं कि उस समाज में जहां ८० या १०० प्रतिनिधि हों उनमें यह ४, ५ या ६ आदमी उन पर हावी हो जायंगे।

दूसरी बात यह कि उन तत्वों में और एम० एल० एज में संघर्ष क्यों होगा। जिस क्षेत्र का एम० एल० ए० होगा उसी में क्षेत्र समिति होगी, विकास खंड होगा और उसकी भी दिलचस्पी उसमें होगी कि उसके पूरे क्षेत्र का विकास हो। तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वहां कोई संघर्ष की बात पैदा होगी। और इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि एम० एल० एज यहां आकर सरकार के सीधे सम्पर्क में रहते हैं। आज कल एक विशेष परिस्थिति है, चारों तरफ विकास का दौर है। शासन का अधिकांश कार्य देश के व प्रदेश के विकास करने का है। श्रीमन्, अगर इस तरह से एम० एल० एज को हटा दिया जाता है तो इसके माने यह हैं कि आप विकास की जो इकाई है उससे ही उसको हटाते हैं और फिर जो हम यह आशा करते हैं कि वे अपने क्षेत्र की कठिनाइयों को ध्यान में रखें और यहां आकर सरकार के सामने उसकी एक कड़ी के रूप में पेश करें, वह बात नहीं हो पायेगी। उस क्षेत्र समिति में जब एम० एल० एज वगैरह होंगे तो उन्हें वहां के हर मामले की पूरी तरह जानकारी होगी कि कहां पर किस चीज की आवश्यकता है, वहां के लोगों की क्या कठिनाइयां हैं और वह यहां से उनको दूर करा सकेंगे।

इसके अलावा एक बात और है। अगर वहां पर किसी तरह का भी कोई संघर्ष पैदा होता है भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों में तो वे यह कर सकते हैं कि वहां पर एक तरह का बैलेन्स उन दोनों के बीच में स्थापित करा दें। वे वहां की हर बातों की जानकारी रख सकेंगे। फिर बहुमत तो वहां पर उन लोगों का होगा ही जो गांव सभाओं से आयेंगे और हर बात वहां पर बहुमत से ही तय होगी।

तीसरी बात, श्रीमन्, इसके पीछे और छिपी हुई है, जिसको माननीय सदस्य कहना नहीं चाहते। इसके पीछे एक धारणा यह भी है कि आपको जनता पर विश्वास नहीं है। आप देखें कि एक सब ने तो यहां तक संशोधन पेश किया कि खंड १ के उपखंड ५ को भी निकाल दिया जाय.....

राजा वीरेन्द्रशाह—यह तो पेश भी नहीं हुआ है। आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—खैर, मुझे अफसोस है, मैं समझता था यह पेश हो गया है।

[श्री नवलकिशोर]

तो मैं अपनी पहली बात पर आता हूं कि यह जो आशंका बनी हुई है कि एम० एल० एज अगर उनक सदस्य रहत हैं तो वे वहां जाकर हावी हो जायेंगे, मैं समझता हूं यह बात बिलकुल निर्मूल है। नौकरशाही पर कुछ नियंत्रण रखने की दृष्टि से भी उनका रहना आवश्यक है।

दूसरी बात, श्रीमन्, और भी कही गयी है। यह कहा गया कि प्रधान जो हों वे चुने हुए हों। यह तो सही है कि प्रधान चुने हुए हों। यह भी कहा गया कि वे गुप्त मतदान द्वारा चुने जायं, यह भी सही है। जो संशोधन हमने पंचायत राज्य में किया है उसके द्वारा मैं समझता हूं कि वह गुप्त मतदान द्वारा ही होगा।

मगर मान्यवर, एक तरफ तो यह मांग की जाय कि जिला परिषदों का चुनाव फरवरी तक करा दिया जाय। दूसरी तरफ यह मांग की जाय कि प्रधानों का चुनाव भी गुप्त मतदान द्वारा हो जाय। तो मेरी समझ में एक ही बात हो सकती है कि पहले गांव पंचायतों का चुनाव हो और अगर किसी वजह से देर हो जाय तो फिर उसका चुनाव हो नहीं सकेगा। इसलिये.....

श्री मोतीलाल अवस्थी--अध्यक्ष महोदय, जिस धारा पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं उस पर तो मतदान हो चुका है।

श्री नवलकिशोर--मेरे भाई ने ठीक ही कहा। इस पर मतदान हो चुका है। इस पर मैं समय नहीं लेना चाहता।

मैं अपनी उसी बात पर आता हूं। एक बात यह कही गयी कि जो हमारी सर्विस कोआपरेटिव्ज हैं उनके प्रतिनिधियों की तादाद कम कर दी जाय। श्रीमन् जब विकास का एक पूरा नक्शा, एक पूरी तस्वीर हम अपने सामने रखते हैं और यह मानते हैं कि एग्रीकल्चर फार्मिंग हो, कोआपरेटिव फार्मिंग हो, जिसकी बुनियाद सर्विस कोआपरेटिव ही है, तो फिर उनके नुमाइन्दों की तादाद कम करने की क्या आवश्यकता है। मेरे भाई कम से कम अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ऊपर अविश्वास तो न करें। इसलिये मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

***राजा वीरेन्द्रशाह**--अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी का उत्तर सुना। मेरे संशोधन के पक्ष में जिन माननीय सदस्यों ने अपना भाषण दिया है मैं उनका आभारी हूं। मेरी समझ में, श्रीमन्, यह नहीं आता है कि सरकार ने अपनी यह नीति क्यों बना ली है कि चाहे कोई बात न्यायसंगत हो, न हो, असंगत हो, फिर भी उसको पूरा करने के लिये क्यों तुले रहते हैं।

सहकारी समितियों का अभी हवाला दिया गया। वे जानते हैं कि उनमें कितनी गड़बड़ी हो रही है। जितनी बातें और गड़बड़ी उनमें हैं, वह चाहते हैं कि क्षेत्र में भी गड़बड़ी हो, उनमें भी रखा जाय चाहे वह काम करें या न करें। यह तो कोई दलील की बात समझ में नहीं आती। अगर विकास में रखना ही है तो सुदृढ़ और अच्छे लोगों को रखिये जिनसे लाभ हो। यह नहीं कि अपनी बात को चलाने के लिये कोआपरेटिव फार्मिंग के लिए बहुमत पैदा करने के लिए उनको रख दीजिये, यह आपकी जबरदस्ती है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

अगर क्षेत्र में ऐसी चीज लाना चाहते हैं कि जिससे देहाती क्षेत्र में विकास हो तो ३-४ मेम्बर आपने बढ़ा दिये--जो हमारे दोनों संशोधन हैं--दो व्यक्ति तो सेवा सहकारी समिति के प्रतिनिधि और एक बिक्री करने वाली समिति का सदस्य दिया, और कुछ सदस्यों ने कहा कि एम० पी० और एम० एल० एज का रखना आवश्यक है। शिवशरणलाल जी ने कहा कि बीज बोयेंगे।

---

* जनता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जब खुद वहां खड़े होकर अपना साया वहां रखेंगे तो वह उगेगा कैसे? कोई वहां का कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकेगा, आप चाहते हैं कि हम ही हर जगह रहें, हमारी विचारधारा रहे और हमारी वैभव-छाया वहां छायी रहे, तो किस प्रकार उनका विकास हो सकेगा? मैं तो कहता हूं आप को उदार होना चाहिए और अपने भाइयों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बी० ए० वाला विद्यार्थी कहे कि हम पहली वाली क्लास में बैठकर शिक्षा देंगे तो यह ठीक नहीं है। इसलिए संशोधन रखा गया था। सरकार इसको माने और क्षेत्र के जो नुमाइंदे हों उन्हीं को रखा जाय, बेकार के जो हैं उनको न रखा जाय।

श्री खुशीराम—महोदय, मैंने जो संशोधन रखा वह इस अभिप्राय से है कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया है। १८ प्रतिशत हरिजनों का रिजर्वेशन नौकरियों में और इस विधान सभा में है। यहां ४३१ में से ८५ हैं, १/५ हिस्सा दिया गया है। जो गांव का विधान बन रहा है, जहां से ऊपर उठ कर हमें यहां आना है वहां प्रतिनिधित्व कम है, वह ज्यादा होना चाहिए, यदि आप उस तबके को, समुदाय को राजनीतिक तरक्की का मौका देना चाहते हैं। मैं अल्मोड़े का रहने वाला हूं, पहले वहां ८–८, १०–१० थे अब ज्यादा से ज्यादा ५ हैं। तो हमारी तो इतिश्री है। जो राष्ट्र ने दिया है वह चीज हमको दी जाय, यही हमारी मंशा है। और भी ३, ४ संशोधन आगे हैं और सब इसी आशय के हैं। अगर सरकार हमको आश्वासन दे दे तो भी हम अपने संशोधन को वापिस ले सकते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में जिन मेरे माननीय मित्रों ने अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उन सबके लिये आभार प्रकट करता हूं। खंड ६ में उपखंड (६) और (७) क्यों रखे गये, इसका रहस्य माननीय रामेश्वर जी ने बताया कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री पहले विधायकों और संसद् सदस्यों को नहीं रखना चाहते थे लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस बात पर बड़ा विरोध हुआ और विधायकों ने जोर दिया कि उन्हें इसमें अवश्य रखा जाय। मैं माननीय रामेश्वर जी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की बात को वह सारे सदन पर क्यों लागू कर देते हैं। वह कम से कम इस बात का तो ध्यान रखते कि विरोधी दल ने इस बात पर कभी जोर नहीं दिया और न माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की कि विधायकों का इसमें रखा जाय।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी वह खड़े हैं, उनके बैठने के बाद आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—जब विरोधी दल ने इस बात के लिये कभी नहीं कहा तो मंत्री जी ने क्यों अपनी इच्छा के विरुद्ध यह प्रस्ताव रखा? उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को सन्तुष्ट करने के लिये ही यह रखा है, यह बात माननीय रामेश्वर जी ने प्रकट कर दी।

लहरी जी ने भी मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। वह अभी कल ही कांग्रेस दल में पहुंचे हैं और चूंकि कहावत है कि नया मुसलमान प्याज ही प्याज चिल्लाता है इसलिये मुझे उनसे विशेष शिकायत नहीं है। एक और माननीय मित्र ने उधर से मेरे प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र समितियों में अपने विचारों और अनुभवों से सहायता कर सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि सहायता करने का ही प्रश्न है तो आप विधायकों को विशेष अतिथियों के रूप में क्यों नहीं बुलाते और उनको क्षेत्र समितियों का सदस्य होने का और राय देने का अधिकार क्यों देते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि विधायकों और संसद् सदस्यों को क्षेत्र समितियों में रखने से वहां का, देहाती क्षेत्रों का नवीनतम नेतृत्व का विकास असम्भव हो जायगा। उनके विकास के लिये आवश्यक है कि संसद् सदस्य और विधायक क्षेत्र समितियों में न रहें।

मान्यवर, आप अब इस सदन के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके पहले आप भी विधायक थे और यदि आपको एक गांव समाज की मीटिंग में अथवा क्षेत्र समिति की मीटिंग में उपस्थित

[श्री देवनारायण भारतीय]

कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि आपकी स्वयं की पोजीशन क्या होगी। आप स्वयं अपने आपको ऐसे झगड़े में पड़ा हुआ पावेंगे कि अपना विचार प्रकट करते हुये संकोच करेंगे। मैं समझता हूं कि यही स्थिति हम विधायकों की है। हम जब जिला परिषदों में पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिला परिषदों के काम में ज्यादातर हाथ इन्हीं विधायकों का रहता है और जो अन्य सदस्य होते हैं उनको अवसर नहीं मिलत कि वे अपने विचारों को प्रकट कर सकें। इसलिये जब हम क्षेत्र समितियों में पहुंच जायेंगे तो वहां की लीडरशिप जो जरा छोटे दरजे की हमारे मुकाबिले में होगी हमारे वहां उपस्थित रहते हुये वे अपना विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा मैं यह समझता हूं कि विधायक और संसद् के सदस्य होते हुये न जाने कितनी कमेटियों में अपने जिलास्तर पर हम सदस्य होते हैं। इस कारण भी हम पूरा समय इन समितियों के लिये नहीं निकाल सकते कि क्षेत्र समितियों को पूरा सहयोग दे सकें। इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर जोर देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी और सदन उसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल भारतीय जी से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब तो वह बोलकर खत्म कर चुके।

श्री रामहेतसिंह—श्रीमन्, इस मेरे प्रस्ताव का आशय यह था कि जो नोटीफाइड एरिया हैं उनमें क्षेत्र समितियों के सदस्य जायं। अभी माननीय वर्मा जी ने कहा था कि वह उनके अधिकार में आता है, लेकिन क्षेत्र समिति के अधिकार में टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया नहीं आते। तो एक तरफ तो क्षेत्र समिति में आकर अधिकार जमाने का सवाल है और क्षेत्र समितियों के अधिकार से जब वह बाहर हैं नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया तो उनके मेम्बर को शामिल किया जाय, मेरी समझ में नहीं आता। तो मेरा मतलब यह था कि यदि वे शामिल किये जाते हैं तो अपने विचार देकर वहां समन्वय स्थापित कर सकें और उनके कार्यों में रुचि लें। लेकिन चूंकि उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं तो वह राय नहीं दे सकेंगे इसी तरह यह अधिकार क्षेत्र समिति के प्रमुख को हो जाता है कि वह नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया में जाकर मीटिंग अटेन्ड करें। जिस अधिकार से टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के चेयरमैन क्षेत्र समिति में आते हैं उसी भावना से मैंने रखा है कि टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में क्षेत्र समिति के प्रमुख शामिल हो जायेंगे, यही मेरा मंशा है कि दोनों में समन्वय स्थापित हो ताकि वह एक दूसरे के विकास कार्य में सहयोग दें। मैं चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें और अगर माननीय मंत्री जी नहीं चाहते हैं तो बाद में फिर वापस लूंगा।

श्री जयराम वर्मा—पहले मैं १७ (क) को लेता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय जी को क्यों अविश्वास जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के बारे में हो गया है। कभी एक बात तो यह कही जाती है कि सीधे चुनाव हों और जो सीधे चुने हुये आदमी हैं फिर उनपर अविश्वास भी किया जाता है कि उन को अधिकार न दिया जाय। यह बात उससे मेल नहीं खाती। अब जो विधायक या एम० पी० वहां अपना जाना उपयुक्त नहीं समझते हैं हम उनको मजबूर नहीं करते, जो अपने को उपयुक्त समझते हैं, अपने अधिकारों को जो वहां समझते हैं और अपना सहयोग देना ठीक समझते हैं वे जायेंगे और जो नहीं समझते हैं वह नहीं जायेंगे। और यह बात कि खाली इधर के लोग ही वहां के सदस्य होना चाहते हैं तो उधर के कई माननीय सदस्यों से मेरी निजी बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका यह खयाल है कि वहां पर विधायकों का होना जरूरी है। तो केवल इधर के ही लोग

जाना चाहते हैं उधर के नहीं जाना चाहते हैं यह बात सही नहीं है। बात बाहर चलती है तो कहते हैं कि जाना चाहिये और यहां उसका विरोध करते हैं लेकिन उधर के बहुत से लोग जाना चाहते हैं। केवल इधर के लोग ही जाना चाहते हैं यह बात बिलकुल सही नहीं है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री जी ने अभी यह बतलाया कि इधर के लोग भी चाहते थे और उधर के लोग भी चाहते थे लेकिन यह नहीं बतलाया कि इधर के कौन लोग चाहते थे। इस तरह से कह कर वे इधर के लोगों पर लांछन लगा रहे हैं नहीं तो सरकार से किसने कहा था वह बतला दें। नहीं तो हम पर भी विश्वास करे और इस संशोधन को मान लें।

श्री अध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—मेरी यह भी जानकारी है कि बहुत से माननीय विधायकों ने चुनवा कर अपने आप को गांव सभाओं का प्रधान बनाया है और उसको वे मुनासिब समझते हैं। इस लिये यह कहना कि प्रधान क्यों नहीं बना देते, कुछ ठीक नहीं है।

अब रही टाउन एरिया के चेयरमैन और नोटीफाइड एरिया के प्रेसीडेंड को वहां रखने की बात। कहा गया कि उनको वहां रखा तो जाय लेकिन उनको वोट देने का अधिकार न हो। अगर उनको वोट देने का अधिकार न होगा तो उनकी दिलचस्पी क्या रहेगी ? लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी दिलचस्पी रहे और वह सहयोग दें। ऐसे भी कहा गया कि फिर इसके बदले में प्रमुख व उप–प्रमुख टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के सदस्य हो जायं, यह चीज कुछ उपयुक्त नहीं है।

माननीय खुशीराम जी ने रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के प्रतिनिधित्व की बात कही। अव्वल तो यहां जोड़ना ठीक नहीं है कि कोआपरेटिव संस्थाओं के प्रतिनिधि जहां चुने जायं वहां उनके प्रतिनिधि भी चुने जायं, यह संशोधन उचित नहीं है।

जहां तक अनुसूचित जातियों के स्थान देने की बात है, उसकी व्यवस्था अलहदा है। और उसकी व्यवस्था इसीलिये की गई है सम्भव है कि वे अगर चुनाव में न आ सकें और उन की संख्या ५ न होती हो तो कोआप्शन के द्वारा उनकी संख्या ५ कर दी जायगी। इसलिये इस संशोधन की भी यहां आवश्यकता नहीं है।

जहां तक संशोधन संख्या १५, १६, और १६—क का सम्बन्ध है, उनमें यह कहा गया है कि जो सहकारी संगठन हैं उनके प्रतिनिधि न हों। लेकिन उनका होना आवश्यक है। हम उनके सहयोग से काफी काम चलाने वाले हैं, उत्पादन में उनका काफी सहयोग लेने वाले हैं। इसलिये मैं उसका भी विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इन सब संशोधनों को वापिस ले लिया जायगा वरना सदन उनको अस्वीकृत कर देगा।

श्री रामेश्वरप्रसाद—मैं अपने बुजुर्ग भारतीय जी की एक गलतफहमी का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि मैंने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी में विवाद हुआ और उस विवाद के दबाव में शर्मा जी ने इस बात को रख दिया। उसके बजाय मैंने यह कहा था कि इस बात की कांग्रेस पार्टी में भी चर्चा हुई। इसके साथ-साथ उधर के भी बहुत से माननीय सदस्यों ने माननीय मन्त्री जी से इस चीज को रखने के लिये कहा। इन्हीं सदस्यों की मांग की वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के किसी भी सदस्य ने मन्त्री जी से नहीं कहा। इन्हीं लोगों ने उन पर दबाव डाला कि हमको भी रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) में से भाग (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—३३,

विपक्ष में—८७।)

श्री अध्यक्ष—श्री खुशीराम जी, आप अपना संशोधन प्रेस कर रहे हैं ?

श्री खुशीराम—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (४) की दूसरी पंक्ति में शब्द "उनके बाद दो" के स्थान पर शब्द "एक" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—जब तक इस संशोधन पर राय न ले ली जाय, ५ बजे के बाद भी हम लोग बैठेंगे। उसकी सीमा १५ मिनट तक होगी।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उप-खंड (१) के भाग (४) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—३६,

विपक्ष में—९८।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (६) व (७) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—३७,

विपक्ष में—९५।)

श्री रामहेतसिंह—मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री रामहेत सिंह जी को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ सितम्बर, १९६० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४४ पर)

तालिका 'अ'

Staff originally sanctioned in 1949-50 for the teaching of B. M. B. S. students at the K. G. Medical College, Lucknow

1. Anatomy Department—			
Lecturer	Two.		
Demonstrator	One.		
Senior Laboratory Assistant	Two.		
Laboratory Bearer	Three.		
Sweeper	Three.		
2. Physiology Department—			
Lecturer	Two.		
Senior Laboratory Assistant	One.		
Laboratory Bearer	Three.		
Sweeper	Two.		
3. Pharmacology and Indian Medicine—			
Reader	Two.	(One for Pharmacology and another for Charak Sahitya.)	
Lecturer	Two.		
Demonstrator	One.		
Senior Laboratory Assistant	Two.		
Laboratory Bearer	Three.		
Sweeper	One.		
4. Pathology Department—			
Reader	One.		
Senior Laboratory Assistant	One.		
Laboratory Bearer	Two.		
Sweeper	One.		
5. Medicines Department—			
Reader	One.		
Laboratory Bearer	One.		
6. Surgery Department—			
Reader	One.	(Post held in abeyance.)	
7. Ministerial staff—			
Clerk	Four.		
Daftari	One.		
Peon	Three.		
Chowkidar	One.		
Sweeper	One.		

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१४४ एल० ए०—१९६०—८४५ ।